

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

21 मार्च, 1983

खंड 1, अंक 11

अधिकृत विवरण

विशय सूची

सोमवार, 21 मार्च, 1983

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(11)1
---------------------------	-------

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(11)24
हरिजन लडकियाओ के कथित अपहरण। कानून तथा व्यवस्था की स्थिती सम्बन्धी मामला उठाया जाना	(11)27
वक्तव्य	
मुख्य मंत्री द्वारा उपयुक्त मामले सम्बन्धी	(11)28
विभिन्न विशयों का उठाया जाना—	
(i) फतेहाबाद मे हरिजनों को तंग करने सम्बन्धी	(11)29
(ii) पुलिस अफसरों को बहादूरी के लिए ईनाम देने सम्बन्धी	(11)30
(iii) दवाइयों पर सेल्ज टैक्स ऐबोलि । करने सम्बन्धी	(11)30
(iv) डी.ए. की तीन किस्तों सम्बन्धी	(11)30
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—	
सिविल हस्पताल, महैन्द्रगढ, सम्बन्धी	(11)31
बिलज (इन्द्रोड्यूस्ड—सदन की अनुमति से)	
(i) दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैंडमैंट एंड	(11)34

वैलीडै 1न) बिल, 1983	
(ii) दि फरीदाबाद कम्पलैक्स (रैगुले 1न एंड डिवैल्पमेंट) अमेंडमेंट बिल, 1983	(11)36
(iii) दि पंजाब आयुर्वेदिक एंड युनानी प्रैक्टि 1नर्ज (हरियाणा अमेंडमेंट) बिल 1983	(11)38
(iv) दि हरियाणा फौरेस्ट डिवैल्पमेंट बिल, 1983	(11)39
(v) दि महार्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल, 1983	(11)42
वर्ष 1983-84 के बजट पर अनुदानों की मांगो पर चर्चा	(11)44
बैठक का समय बढ़ाना	(11)79
वर्ष 1983-84 के बजट पर अनुदानों की मांगो पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(11)79
वर्ष 1983-84 के बजट पर अनुदानों की मांगो पर मतदान	(11)80

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 21 मार्च, 1983

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार तारासिंह) ने अध्यक्षता की।

तांराकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे।

Remodelling/Renovation of Civil Hospital, Ambala.

***99. Seth Ram Dass Dhamija:** Will the Minister for Health be pleased to State—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to re-model/revovate the building of the Civil Hospital in Ambala Cantt.

(b) whether the bed strength of the said Hospital is also proposed to be raised; and

(c) if so, the details thereof togetherwith the details of the new X-Ray plants and Ambulace Vehecles, if any, proposed to be purchased?

स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमति प्रसन्नी देवी):

(क) नहीं जी।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, परन्तु इस बारे में मांग तथा रोगियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा सकता है।

(ग) उपरोक्त (क) तथा (ख) के सम्मुख प्र न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री राम बिलास भार्मा: मंत्री महोदय ने भाग 'ख' के उत्तर में कहा है कि रोगियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा सकता है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगी कि यह विचार कितने समय में किया जा सकता है।

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, जब भी पैसा मिल जाएगा उस वक्त जितना विस्तार करने की जरूरत होगी उतना विस्तार कर दिया जाएगा।

सैठ राम दास धमीजा: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने तीनों भागों का जवाब नहीं दिया है। स्पीकर साहब, अम्बाला छावनी बहुत बड़ा भाग है। लगभग एक लाख की आबादी यहाँ की है और दौ लाख की आबादी आसपास के गावों की है। पहले यह अस्पताल मिलिटरी एडमिनिस्ट्रेटिव के नीचे था। लेकिन बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने ले लिया और जब से एक पैसा भी इस पर नहीं

लगाया गया है। मंत्री महोदया, का जवाब ना जसल्लीबक । है। चीफ मिनिस्टरप साहब ने हाउस में वायदा किया था कि और बजट में से कुछ हिस्सा काट कर इस हस्पताल की तरफ पूरी जबज्जो दी जाएगी तथा 31 मार्च तक इस अस्पताल में ऐम्बूलेंस आ जाएगी और एक्सरे तथा दिगर सहूलियते अगले सात तक दी जाएगी। क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेगी कि इस मुनासिब काम को कब तक पूरा कर दिया जाएगा?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, इस अस्पताल की बिल्डिंग को पी.डब्ल्यू.डी. ने कन्डैम किया हुआ है। अगर इस सारी बिल्डिंग को नए सिरे से बनाया जाता है तो 225 लाख रूपया खर्च करना पड़ेगा और अगरप इसकी रिपेयर की जाए तो 68 लाख रूपया चाहिए। स्पीकर साहब, हमारे बजट मे हैल्थ के लिए केवल 70.70 लाख रूपया रखा गया है। इसलिए जब भी बजट में पैसा बढ़ जाएगा इसको ठीक करवाने का यत्न किया जाएगा। इस वक्त समस्या पैसे की है।

Shri Mangal Sein: Speaker, Sir in reply to part (b) of this question it has been written as under:-

“There is no proposal but it can be considered depending upon the demand and attendance of patients.

क्या मंत्री महोदया बातने की कृपा करेगी कि कितने पैनेन्टस के बाद किसी अस्पताल को अपग्रेड किया जाता है ओर

दूसरी सारी फ़ैसिलीटीज प्रोवाइड की जाती हैं और क्या दूसरे अस्पतालों का अपग्रेड करने के लिए भी कोई डिमान्ड आई है?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, फ़ैसिलीटीज बढ़ाने के बारे में डिमान्ड और भी बहुत से अस्पतालों की है ओर फ़ैसिलीटीज बढ़नी भी चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य की सेवाएँ जितनी ज्यादा से ज्यादा दी जा सकती हो उतनी दी जानी चाहिए लेकिन स्पीकर साहब, बजट के मुताबिक ही चलना पड़ता है।

श्री मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने कहा कि पैसे की कमी है और इस वजह से उनकी मजबूरी हैं। क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेगी कि अम्बाला छावनी के साथ ज्यादाती करने का क्या कारण है?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: अध्यक्ष महोदय, ज्यादाती किसी के साथ नहीं हो रही है। अम्बाला सिटी में दो सौ बैडज का अस्पताल है और अम्बाला छावनी में पचास बैडज का अस्पताल है। दोनों मिलकर अढ़ाई सौ बैडज के अस्पताल बन जाते हैं ओर कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन असली पैसे वाली बात है। जब भी पैसा आ जाएगा काम कर दिया जाएगा।

श्री वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने माना है कि इस अस्पताल की कंडीशन ठीक नहीं है, छते गिरी हुई हैं और यह मुरम्मत गांगती है। क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेगी कि जहा-जहां पर सी.एम.साहब ने नए अस्पताल बनाने की

घोशणा की हैं वहां पर पहले अस्पताल बनाए जाएंगे या वहां का फण्ड काटकर जो बिल्डिंग पहली बनी हुई है उनकी मरमम्त या रैनोवे इन पर पैसा खर्च किया जाएगा?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, जिस अस्पताल की बिल्डिंग ठीक नहीं हैं, जैसे अम्बाला छावनी के बारे में कहा गया है, जहां दवाईयों की कमी हैं, जहां डाक्टर नहीं और जहां पर ऐम्बूलेंस नहीं है वहा पर और जगह का पैसा काटकर इन्तजाब किया जाएगा। स्पीकर साहब, ऐसी जगहों पर सरकार पूरी तरह से पूरा इन्तजाम करेगी।

श्री मनफूल सिंह: क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेगी कि असन्ध मे कितने बैडज का अस्पताल है?

(इस प्र न का उत्तर नहीं दिया गया)

श्री फतेह चन्द विज: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने रिटन रिप्लार्ड मे कहा है कि पे ेन्टस की संख्या देखकर विचार किया जा सकता है और सप्लीमैन्टरी के जवाब में कहा है कि पैसा नहीं हैं इसलिए काम नहीं हो सकता। क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी की कौन सा जवाब ठीक है?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: जो मुख्य मंत्री महोदय ने कहा है वह जवाब ठीक हैं।

श्री हरिचन्द हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने कहा हैं कि जो भी अस्पताल खराब हालत मे होगा हम उसका इन्तजाम पहले करेगें। अध्यक्ष महोदय, रोहतक सिविल अस्पताल में जब भी बरसात होती हैं तो लगभग चार—चार फुट पानी भर जाता हैं। क्या मुख्यमंत्री महोदय सिविल अस्पताल रोहतक के बारे में भी कुछ विचार करेगें।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदया, मैने कहा है कि जिस अस्पताल की बिल्डिंग खराब होगी उसकी मरम्मत की जाएगी। अस्पताल के अन्दर पानी भी जाता हैं यह अलग बात हैं। अध्यक्ष महोदय मैने खुद ने देखा है कि रोहतक भाहर में बहुत सी जगह ऐसी है जहां बरसात में पानी खड़ा हो जाता है। हमारी मंत्री महोदया ने भी गली गली घूम कर देखा हैं। सरकार ने सारे भाहर के लिए स्कीम बनाई है और चालू भी कर दी हैं तथा हमारी पूरी कोशिश है कि अगली आने वाली बरसात में पहले हम ऐसा इन्ताजाम कर दे जिससे कि वहा पर पानी इक्ठ्ठा न हो। इसमें थोड़ा बहुत समय लग सकता हैं लेकिन हमारी कोशिश होगी कि अगली बरसात मे रोहतक भाहर में पानी इक्ठ्ठा न हो।

श्री मंगल सैन: अध्यक्ष महोदया, मै मुख्य मंत्री महोदय का बहुत मनाकूर हूं कि इन्होंने रोहतक के लिए स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई है। क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगें कि यह योजना कब तक पूरी हो जाएगी और क्या उस अस्पताल मे बैडज बढाने तथा दूसरी फैसिलिटीज बढाने के बारे में वहा से कोई

रिप्रेजेंटेंट इन इनका मिला हैं। अगर हां तो अब तक क्या एक इन लिया गया हैं।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से अपने वजीर साहब से एक बात बताना चाहता हूं। (व्यवधान व भाोर) मेन सवाल तो 1978-79 और 1979-80 के बारे में है लेकिन इनके पास अपटूडेट जवाब तो तैयार होगा। क्या उनकी नालेज में कोई ऐसी बात है 1982-83 में रोहतक मंडी में नीलामी हुई थी और क्या वहां पर किसी कैटेगरी के लिए साईट्स रिजर्व की हुई हैं? क्या मुख्य मंत्री जी ने लाईसेंस होलडर्स को यानि व्यापारियों को रिजर्व प्राईस ऊपर जमीन देने का वायदा किया था। क्या वे यह भी बताएंगे कि औक इन कैसे की जाती हैं?

सरदार हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, इस सवाल की आड़ में रोहतक की मंडी के बारे में पूछने की कोई रैलेवैसी नहीं हैं। वैसे मंडियों में हम जो औक इन करते हैं वह समय-समय पर की जाती हैं। जब औक इन रिजर्व प्राईस से ऊपर चली जाये जो वह औक इन ऐप्रूव हो जाती हैं औरप जहां पर प्राईस कम रह जाए तो वह औक इन ऐप्रूव नहीं होती। कुछ देर इसलिए वेट करते हैं ताकि मंडियों की कुछ डिवैल्पमेंट हो जाए ओर औक इन में प्राईस ज्यादा आ जाए। इसलिये समय समय पर औक इन की जाती हैं। मंडी रोहतक में कब औक इन हुई ओर कितने प्लाट बाकी रह गए, इसके लिए डाक्टर साहब अलग से नोटिस देगे तो सारी बात इन्हे बता दी जाएगी।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मेरा प्र न बड़ा ही सिम्पल था कि आया मुख्य मंत्री महोदय ने किसी औल्ड लाईसैंसी को इस तरह की साईटस रिजर्व प्राईस के ऊपर देने का आ वासन दिया था।

श्री अध्यक्ष: उन्होने कहा कि यह बात उनके इल्म में नहीं हैं।

श्री नेकी राम: अभी मिनिस्टर महोदय ने यह जवाब दिया है कि 1981 में कुछ मंडिया ऐग्रीकल्चर मार्किटिंग बोर्ड को ट्रांसफर हुई हैं। क्या वे बताएंगे कि बोर्ड द्वारा हरिजनो को कितनी दुकाने दी गई है?

सरदार हरपाल सिंह: ऐग्रीकल्चर मार्किटिंग बोर्ड में इस तरह की रिजर्वे ान हैं। उनके द्वारा कितनी दुकाने दी जा चुकी हैं या नहीं दी जा चुकी हैं, इस बारे में चौधरी सुरेन्द्र सिंह जी ही ठीक बता सकते हैं। लेकिन मैं इनता ही बता सकता हूं कि रिजर्वे ान उसमें अव य हैं। 5 परसैन्ट हरिजनो के लिए और 10 परसैन्ट औल्ड लाईसैंसीज के लिए रिजर्वे ान हैं।

श्री नेकी राम: स्पीकर साहब, मेरा सवाल है कि बोर्ड को कितनी मंडिया ट्रांसफर हुई और उनमें कितनी दुकाने हरिजनो को अलाट की गई हैं?

सरदार हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, बोर्ड को 1981 में 10 मंडियां ट्रांसफर हुई थी और 35 मंडियां अब डिपार्टमेंट के पास हैं।

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, जो जमीन मंडियों के लिए ऐक्वायर की जाती हैं, उस जमीन का मालिक अमूमन किसान ही होता है या कोई दूसरा व्यक्ति होता है। उन मंडियों में चाहे रैजिडेंसि टचल प्लॉट्स दिए जाएं या दूकानों के लिए प्लॉट्स दिए जाएं क्या जिन किसानों की जमीने ऐक्वायर की जाती हैं, उनको भी कोई इस मामले रिजर्वेशन दी जाती है यानि उन लोगों को रिजर्व प्राईस पर प्लॉट्स दिये जाते हैं या नहीं?

सरदार हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, 1960 के न्यू-मण्डी टाऊन टि एसप ऐक्ट में इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है और जितने भी प्लॉट्स चाहे रैजिडेंसि टचल हैं या भौपस के हैं, सभी प्लॉट्स औक्शन पर दिये जाते हैं।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अभी सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि कुछ रिजर्वेशन रखी जाती हैं लेकिन अपने लिखित जवाब में यह कहा कि कोई रिजर्वेशन नहीं है। क्या मंत्री जी बताएंगे कि लिखित उत्तर में ऐसा क्यों लिखा गया है?

सरदार हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, केवल कोलोनाईजेशन डिपार्टमेंट में कोई रिजर्वेशन नहीं है।

कृषि मंत्री(चौधरी सुरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब, मैं सदन की जानकारी के लिये बताना चाहता हूँ कि ओल्ड लाईसैन्सीज की प्रोपोजल हमारे पास आयी थी और उस पर पूरी तरह से विचार विर्म करके बोर्ड की मिटिंग में यह फैसला किया गया कि ओल्ड डीलर्ज को प्लाटस दे दिये जाए। स्पीकर साहब, मैं अब हाउस की जानकारी के लिये बताना चाहता हूँ कि अब जितने प्लाटस हैं उससे ज्यादा लाईसैन्सीज हमें मिल जाते हैं। रिजर्वे गन का जहां तक सवाल है, बोर्ड ने यह फैसला किया है कि 10 परसैन्ट ऐक्स सर्विसमैन के लिए, 5 परसैन्ट हरिजनों के लिए, 10 परसैन्ट बैकवर्ड क्लासिज के लिए और 10 परसैन्ट उन लैन्ड ओनर्ज के लिये जिनकी जमीन सरकार ने मंडियो के लिए ऐक्वायर की है, रिजर्वे गन दी जाए।

चौधरी हुकम सिंह: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने यह बताया कि ऐक्स सर्विसमैन के लिये, बैकवर्ड क्लासिज के लोगों के लिये और हरिजनों के लिये सरकार ने प्लाट्स में रिजर्वे गन दी हैं लेकिन जो किसान अनाज पैदा करता है और फिर मंडियो में लाता है उनके लिये ऐसा प्रोविजन क्यों नहीं है? क्या सरकार ऐसा करने का विचार रखती ताकि किसान को भी कुछ राहत मिल सके?

चौधरपी सुरेन्द्र सिंह: ग्रेअर्ज के लिए तो पहल ही हमने ग्रेन मर्किट्स में सभी तरह की सहूलियतें दी है लेकिन जहां तक प्लाट्स का ताल्लुक है, उनके लिये तो ओपन ओक् गन होती है।

उसमे ग्रोअर्ज भी ले सकते हैं और ऐक्स सर्विस मैन भी ले सकते हैं। हरिजनो में ग्रोअर्ज बहुत से होते हैं।

श्री नेकी राम: स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जहां पर आबादी थोड़ी है वहां पर रिजर्वे उन ज्यादा ओर जहा पर ज्यादा आबादी है वहा पर रिजर्वे उन थोड़ी की गई हैं, इसके क्या कारण हैं।

श्री अध्यक्ष: यह कोई क्वै चन नहीं हैं।

चौधरी भाग मल: अध्यक्ष महोदय, अभी यहां पर बाताया गया कि 10 परसैन्ट ऐक्स सर्विसमैन के लिए, 10 परसैन्ट बैक्वर्ड क्लासिंज के लिए 10 परसैन्ट लैन्ड औनर्स के लिए और 5 परसैन्ट हरिजनो के लिए प्लाटस वगैरह की अलाटमैन्ट में रिजर्वे उन हैं। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि एसी ऐनीमली क्यो हैं?

चौधरी सुरेन्द्र सिंह: स्पीकर सर, इसमे किसी किस्म की ऐनामली नहीं हैं। बड़ी बात यह हे कि हरिजन इससे ज्यादा लेने के लिये भी नहीं आते।

Boards and Corporations Covered under the companies Act.

***214 Dr. Bhim Singh Dahiya:** Will the Minsiter for Finance be pleased to State—

(a) the names for Boards and Corporations in the State covered under the Companies Act and have a paid up share capital of Rs. Twenty five lacs or more; and

(b) the names of companies (Boards and Corporations) out of those referred to in part (a) above which have appointed duly qualified Company Secretaries?

Finance Minister (Chaudhri Katar Singh Chhokar):

(a) Eleven Corporations and 3 companies (subsidiaries of Haryana State Industrial Development Corporation Ltd.) have been incorporated under the Companies Act and have a paid-up share capital of Rs.25 lakhs or more in the state.

A list of such Corporations and Companies is given at annexure "A"

(b) 7 Corporations and 3 Companies (Subsidiaries of Haryana State Industrial Development Corporation Ltd.) out of those referred to in part (a) above, have appointed qualified

A list of such Corporations and Companies is given at annexure "B"

ANNEXURE "A"

Name of corporation/Companies covered under the Companies Act and have a paid up share capital of Rupees twenty five lacs more-

Corporations

1. Haryana Agro Industries Corporation Ltd
Chandigarh.

2. Haryana Handloom & Handicrafts Corporation Ltd. Chandigarh.

3. Haryana Harijan Kalyan Nigam Ltd. Chandigarh.

4. Haryana State Industrial development Corporation Ltd.

5. Haryana Land Reclamation & Development Corporation Ltd. Chandigarh

6. Haryana State Minor Irrigation (Tubewells) Corporation Ltd. Chandigarh

7. Haryana State Small Industries and Export Corporation Ltd. Chandigarh.

8. Haryana Seeds Development Corporation Ltd. Chandigarh

9. Haryana Tourism Corporation Ltd. Chandigarh

10. Haryana Backward Classes Kalyan Nigan Ltd. Chandigarh.

11. Haryana Economically Eeaker Sectors Kalyan Nigan Ltd. Chandigarh.

Companies.

1. Haryana Concast Ltd. Satrod (Hissar).

2. Haryana Tanneries Ltd. Jind.

3. Haryana Breveries Ltd. Murthal

ANNEXURE “B”

Name of corporation/Companies which have a paid up share capital of Rs.25 lacs or more and have appointed qualified Company Secretaries.

Corporations

1. Haryana Handloom & Handicrafts Corporation Ltd. Chandigarh.

2. Haryana State Industrial development Corporation Ltd.

3. Haryana Land Reclamation & Development Corporation Ltd. Chandigarh

4. Haryana State Minor Irrigation (Tubewells) Corporation Ltd. Chandigarh

5. Haryana State Small Industries and Export Corporation Ltd. Chandigarh.

6. Haryana Seeds Development Corporation Ltd. Chandigarh

7. Haryana Tourism Corporation Ltd. Chandigarh

Companies.

1. Haryana Concast Ltd. Satrod (Hissar).

2. Haryana Tanneries Ltd. Jind.

3. Haryana Breveries Ltd. Murthal

डा० भीम सिंह दहिया: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने खुद माना है कि चार कोर्पोरेट इन ऐसी हैं जिनमें कम्पनी सैक्रेटरी नहीं हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि उन चार कोर्पोरेट इन कितने अरसे से कम्पनी सैक्रेटरी नहीं हैं और उनको अप्वायंट न करने की क्या बजह थी?

चोधरी कटार सिंह छोकर: अध्यक्ष महोदय, इन चार कोर्पोरेट इंज/कम्पनीयों भुरू से ही कम्पनी सैक्रेटरी नहीं हैं। वे अब इसलिए नहीं लगाए जा सकते क्योंकि क्वालीफाईड कम्पनी सैक्रेटरी नहीं मिल पाए।

श्री राम बिलास भार्मा: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जिन 11 कोर्पोरेट इन के चेयरमैन लगाए गए हैं उनमें से नान ऑफिसियल कितने हैं और उनको चेयरमैन नियुक्त करते समय किस खास बात का ध्यान रखा गया था?

चोधरी कटार सिंह छोकर: अध्यक्ष महोदय, यह कम्पनी सैक्रेटरी के बारे में सवाल था, इसमें चेयरमैन का कोई सवाल नहीं है। अगर अलग से नोटिस दिया जाएगा तो बता दिया जाएगा।

डा० भीम सिंह दहिया: अभी मंत्री जी ने कहा कि क्वालिफाईड कम्पनी सैक्रेटरीज अवेलेगबल नहीं हैं। मैं जानना चाहूंगा कि इन चार कोर्पोरेट इंज ने क्या क्या प्रयत्न किए? कज़ी पोस्टे ऐडवरटाइज की या कोई और कोर्पोरेट की? दूसरे कम्पनी

ऐक्ट के तहत यह भी है कि अगर क्वालिफाइड सैक्रेटरी अपवायंट नहीं किया जाता तो सैट्रल गर्वनमेंट कोर्पोरेट्स इन के खिलाफ कोई ऐक्ट इन इनिशियेट करती हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या किसी कार्पोरेट्स इन के खिलाफ कोई ऐक्ट इन लिया गया?

चोधरी कटार सिंह छोकर: स्पीकर साहब, जहां तक पोस्ट भरने के लिए प्रयत्न की बात है, ये कुल चार कार्पोरेट्स इन हैं जिसमें कम्पनी सैक्रेटरी नहीं है। इनमें दो तो बहुत ही थोड़ा अरसा पहले बनी हैं। एक बैकवर्ड क्लासिज कल्याण निगम है जो 1980 में बनी थी और दूसरी इकोमिकल बैकवर्ड क्लासिज कल्याण निगम है जो 1982 में बनी थी। इसके काम का अभी बहुत ज्यादा विस्तार नहीं हुआ है कि कम्पनी सैक्रेटरी लगाए जाएं। इसके अलावा जो दो ओर कार्पोरेट्स इन हैं उनमें एक हरिजन कल्याण निगम है जिसके लिए दो बार एम्पलायमेंट एक्सचेंज को डिमांड भेजी गई है लेकिन कोई आदमी नहीं मिला एक बार अखबारों में 'एडवर्टाइजमेंट' की गई। सात आदमियों ने एप्लाई किया था जिनमें से तीन आदमी आए। तीन में से दो आदमी ऐसे थे जो पहले ही ज्यादा ग्रेड ले रहे थे, उन्होंने यहाँ आने से मना कर दिया। तीसरा आदमी जो था वह क्वालीफाइड नहीं था। चहा तक चौथी कार्पोरेट्स इन एग्री इंडस्ट्रीज कार्पोरेट्स इन का सवाल है उसके लिए भी बार बार अखबारों में ऐजवर्टाइजमेंट की गई। तीन बार लोगों ने एप्लाई किया। एप्लीकेट्स इन आई, प्रोसेस की गई लेकिन कोई भी आदमी क्वालीफाइड नहीं पाया गया। जहां तक गर्वनमेंट

आफ इंडिया द्वारा कोई एक इन लेने का सवाल है उसके बारे में पोजी इन यह है कि जैसी कोई बात होती है उसके लिए गवर्नमेंट लिखती रहती है कि ऐसा कोई आदमी लगाया जाए। इसके अलावा ओर कोई कार्यवाही नहीं हुई

श्री मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, अभी वित्त मंत्री महोदय ने फरमाया कि जो लोग आए वे आलरेडी ज्यादा ग्रेड ले रहे थे, उनको अट्रैक्शन नहीं हुई और वे वापिस चले गए। उनके अलावा इनकों क्वालिफाईड आदमी नहीं मिले। मैं मंत्री ही से जानना चाहूंगा कि उस पोस्ट के लिए रिक्वीजिट क्वालिफिके इन क्या हैं? दूसरे क्या इन्होंने यह विचार किया कि इन हालात के अन्दर जब लोग कम तनख्वासह पर आना नहीं चाहते तो तनखाह को इनक्रीज करके तथा और सुविधाएं ज्यादा देकर इन कार्पोरेट्स को संभालने के लिए कोई ऐसा विचार कर रहे हैं कि दोबारा पोस्टें एडवरटाइज की जाए?

चौधरी कटार सिंह छोकर: अध्यक्ष महोदय, जहां तक ज्यादा तनखाह बढ़ाने की बात है, ऐसा विचार तो नहीं किया गया। लेकिन टर्मज इतनी सख्त नहीं थी बल्कि ओपन थी अगर कोई सूटेबल कैंडीडेट होता तो विचार किया जा सकता था। कम्पनी सैक्रेटरी के लिए क्वालीफिके इन एक ही हैं कि आदमी के लिए इस्टीच्यूट आफ कम्पनी सैक्रेटरीज का मैम्बर होना अनिवार्य है।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इन कम्पनी सैक्रेटरीज को न लगाने की वजह से क्या इन चार कोर्पोरे इन को घाआ हुआ? क्या सरकार आवश्यकता समझती है कि इनको लगाए जाए या नहीं? दूसरे क्या सरकार हरियाणा कनकास्ट लिमिटेड वगैरह को लीज आउट या सेल करने की सोच रही हैं?

चौधरी कटार सिंह छोकर: हरियाणा कनकास्ट लिमिटेड को लीज आउट करने या सेल करने का इस सवाल से कोई संबंध नहीं है। वैसे उसमें ता बाकायदा कम्पनी सैक्रेटरी लगा हुआ है। दूसरी बात जो इन कोर्पोरे इन में सैक्रेटरी लगाने की पूछी गई उसके लिए मैंने पहले भी बताया कि दो कोर्पोरे इन ता अभी नहीं ही हैं जिसमें सरकार ने कम्पनी सैक्रेटरी लगाना ठीक नहीं समझा क्योंकि अभी काम काज इतना नहीं हैं। बाकी दो के लिए हमने पूरे प्रयत्न किए हैं और कर रहे हैं।

श्रीमती चन्द्रावती: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि क्वालीफाइड सैक्रेटरीज न लगाने की वजह से और इनका आडिट न करने की वजह से केन्द्र सरकार ने इन कोर्पोरे इन या कम्पनियों पर कोई जुर्माना भी किया है?

चौधरी कटार सिंह छोकर: कोई जुर्माना नहीं किया।

श्री हरि चन्द हुड्डा: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि प्राईवेट कम्पनियों के मुकाबिले में हमारी कोर्पोरे इन में घाटा होने के क्या कारण हैं?

चौधरी कटार सिंह छोकर: केवल कम्पनी सैक्रेटरी न होने की वजह से ही घाटा नहीं हैं। मैम्बर साहब खुद भी जानते होंगे कि हमारी कोर्पोरे इन में बड़ी देर से तनख्वाहे भी बढी देर से तनख्वाहे भी बढी है तथा खर्चा भी बढा है। इस तरह से मंहगाई का असर इन पर भी है। फिर भी सभी संस्थाए घाटे में नहीं हैं, थोड़ी बहुत में घाटा है।

श्री निहाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने इकोनोमिक प्रोग्राम को चलाने के लिए स्टेटस को हिदायत दी थी कि जितनी अननसैसरी काम करने वाली कोर्पोरे इन हैं उनकी तादाद कम की जाए ओर कोर्पोरे इन को अमलगामेट किया जाए। क्या मंत्री जी बताएंगे कि इस सिलसिले में सरकार क्या कर रही है?

चौधरी कटार सिंह छोकर: जो ऐसी एन्टरप्राइजिज है उनको सुचारू रूप से चलाया जाए, यह भी बीस प्वायंट प्रोग्राम में से एक प्रोग्राम है। सरकारप इसको समय समय पर रिव्यू करती रहती है। जहां किसी कोर्पोरे इन को दूसरी के साथ मिलाने की बात देख लेंगे। अगर कही आव यता पड़ा तो विचार कर लेंगे।

डा० भीम सिंह दहिया: स्पीकर साहब, जैसे अखबारों में आया है कि कम से कम दस कोर्पोरे इन ऐसी हैं जिनमें क्वालिफाइड कम्पनी सैक्रेटरीज लगने के बावजूद अम्बैजलमेंट हो गई * * * * *

श्री अध्यक्ष: आपने जो हरियाणा ब्रीवरीज की बात कही है, उस आप सवाल नहीं पूछ सकते क्योंकि उसकी रिपोर्ट अभी फाईनल नहीं हुई है। इसलिए हरियाणा ब्रीवरीज के बारे में सवाल कार्यवाही से काट दिया जाए।

चौधरी कटार सिंह छोकर: अध्यक्ष महोदय, इनके सवाल के बाकी भाग को जहा तक सम्बन्ध अकाऊंटस में कोई कमी नहीं है। कायदे के मुताबिक बक्तन—फवक्तन बाकायदा आडिट होता है। उसकी रिपोर्ट तैयार होती है, रिव्यू तैयार होते हैं। पूरी चौकसी रहती है।

श्री कंवल सिंह: स्पीकर साहब, अभी मंत्री जी ने बताया कि दो नई कोर्पोरे इन हरियाणा बैकवर्ड क्लासिज कल्याण निगम और हरियाणा वीकर सैव ांज कल्याण निगम बनाई गई हैं। लेकिन हरियाणा एग्री इंडस्ट्रीज कोर्पोरे इन बहुत पुरानी कोर्पोरे इन हैं और उसमें भ्रष्टाचार तथा इररैगलर्टीज बहुत ज्यादा है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि उस कोर्पोरे इन में इन—रैगुलर्टीज और भ्रष्टाचार को मद्देनजर

रखते हुए सरकार उसमें कम्पनी सैक्रेटरी अप्वायंट करने के लिए कोई स्पै इन इन्जजाम करेगी?

चौधरी कटार सिंह छोकर: अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही अर्ज किया है कि हमने कम्पनी सैक्रेटरी अप्वायंट करने के लिए बहुत बार एडवर्टाइजमेंट की थी लेकिन कोई भी क्वालिफाईड कैंडीडेट नहीं मिला। अब सरकार ने एग्री इंडस्ट्री कोर्पोरे इन में का एच0सी0एस0 आफिसर लगाया हुआ है वह कम्पनी सैक्रेटरी का काम भी करता है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, हरियाणा कनकास्ट लिमिटेड, सातरोड़ हिसान के पास है। उसमें चार करोड़ रूपय का घाटा है लेकिन उसके पड़ोस में जा प्राइवेट लोग है वे अपनी फ़ैक्टरीज चला रहे हैं और काफी पैसा कमा रहे हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि हरियाणा कनकास्ट लिमिटेड में इतने ज्यादा घाटे का क्या कारण है?

मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय—डाक्टर साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे है कि हरियाणा कनकास्ट लिमिटेड वाकई घाटे में चल रही है। इस फ़ैक्टरी में आज से घाटा नहीं है बल्कि जब से यह फ़ैक्टरी लगाई है उसी समय से घाटे में चल रही है। इस फ़ैक्टरी को प्रोफिट में लाने के लिए पूरे प्रयास भी किए गए हैं। जिस समय दूसरी फ़ैक्टरीज के लिए बिजली का कट लगाया गया था उस समय इस फ़ैक्टरी को सुचारु रूप से चलाने

के लिए आफिसर्ज भी छांट कर लगाए गए हैं ताकि किसी तरह से यह फ़ैक्टरी प्रोफिट में आ जाए। इतने प्रयास करने के बावजूद अब वह फ़ैक्टरी इतने घाटै में नहीं हैं। अब उसकी हालत पहले से अच्छी हैं। पहले उस फ़ैक्टरी में हर महीने जो लगभग 15 लाख रुपये का घाटा था अब वह घाटा घट कर लगभग 6-7 लाख रुपय रह गया है।

तांराकिज प्र न एंव उतर

Allotment of Huda Plots at Sonapat

***233. Shri Devi Dass:** Will the Minister for Town & Country Planning be pleased to state—

(a) the number of plots cut in sector 14 of HUDA colony at sonapat together with the area of the said plots, separately;

(b) The conditions on which the said plots were allotted;

(c) Whether the conditions as mentioned in the agreement made between HUDA and plots holders have been fulfilled by HUDA; if not, the reason therefore;

(d) the number to plots out of these referred to in part (a) above the allotment of which has been cancelled together with the names of the concerned plot holders; and

(e) The criterion adopted for allotting the plots, referred to in part (d) above, to other persons together with the names and all addresses of the said persons?

Town & Country Planning Minister (Sardar Harpal Singh):

(a) The numbers of residential plots Covered in sector -14 sonapat are as under--

Size of plots	Total No. of Plots
160 Sq. Yards	260
250 Sq. Yards	446
350 Sq. Yards	332
500 Sq. Yards	304
	1342

(b) a copy of the conditions, as contained in allotment letters then issued, is placed on the Table of the House.

(c) The conditions pertaining to HUDA have been fulfilled.

(d) Nil.

(e) Question does not arise.

Copy of conditions.

Registered A.D.

From

The Estate Officers,

Urban Estate.

To,

Sh./Smt. -----

Memo No. ----- /E.O.

Dated ----- the -----19.

Subject:- Allotment of Residential plots in the Urban Estate at-----

Reference you application dated ----- for the allotment of a residential plot in the Urban Estate at -----

1. Plot No. ----- measuring ----- in sector No. ----- of the Urban Estate at ----- -- is hereby allotted to you. The total tentative sale price of the said plot is Rs. -----

2. The plot is preferential one and an additional price at the rate of 10 percent of the price mentioned in Para I above is Rs. -----

3. The total tentative sale price of this plot (normal plus Preferential cost) is Rs. -----

4. The above price of the plot is subject to variation with reference to the actual measurement of the plot as well as in case of enhancement of compensation of acquisition cost of land of this sector by the Court or otherwise and you shall have to pay this additional price of the plot, if any, as determined by the Department within 30 days from the date of demand.

5. You shall unless you refuse to accept this allotment by a Registered A/D letter within 30 days from the date of issue of this allotment letter, have to pay----- percent of the total tentative sale price amounting to Rs. ----- or such other amount which together with the amount already paid equals to at least ----- percent of the total tentative sale price of the plot. In case of failure to deposit the said amount the allotments shall be cancelled and earnest money already paid forfeited for which you shall have no claim.

6. In case you refuse to accept this allotment through an acknowledgement due registered letter addressed to the undersigned within 30 days from the date of issue of allotment letter you will be entitled to the refund of the earnest money already paid by you.

7. On payment of 25 percent of the total tentative sale price of the plot you shall have to execute a Deed of Conveyance on the prescribed form in such manner as may be directed by the undersigned.

8. Balance----- percent of the total tentative sale price shall be payable either in lump sum within

60 days from the date of issue of allotment letter without interest or in ----- equated annual installments with interest at the rate of -----percent per annum. the first and the remaining installments of the balance amount together with interest at the rate of ----- percent per annum on the unpaid amount of the total tentative sale price shall fall due for payment as under and no notice shall be served upon you to pay the same but in case an installment is not paid in time, you will be served with a notice to pay the same within a month together with a sum not undersigned, by way of penalty. If the payment is not made with in undersigned, not exceeding three months in all from the date on which the installment was originally due, the same will be recovered as an arrear of land revenue of action will be taken under Section 10 of the Punjab Urbane states (Development and Regulation)Act 1964:-

Number of Installment	due date on which the payment is to be made
First	-----
Second	-----
Third	-----
Fourth	-----
Fifth	-----
Sixth	-----

9. Each remittance should be made to this office by means of a demand draft payable to the Estate Officer-----

and drawn on any schedule Bank situated at ----- Each such remittance shall be accompanied by a letter showing full particulars of the plot i.e. Plot No. -----, Sector No. allotment Letter No. and Dated etc. In the absence of these particulars, the amount shall not be deemed to have been received.

10. You shall have to pay separately for any building, Material, trees, structures compound wall etc., existing in the plot at the time of allotment for which compensation has been assessed and paid by the Government, in case you want to make use of the same failing which the Government shall have the right to remove or dispose of the same even after the delivery of possession is handed over to you.

11. The allotment shall be liable to cancellation in case any of the declarations made in the application for the allotment of a residential plot is established to be incorrect.

12. You shall have to complete the building within three years from the date of issue of this allotment letter after getting the plans of the proposed building approved by the competent authority in accordance with the rules regulating the erection of buildings. This time limit is extendable only if it is found due to the cause beyond your control otherwise this plot or building erected on it will be resumed and also the whole or part of the money, if any, paid in respect thereof forfeited.

13. The Government shall not be responsible for leveling the uneven plots and fragmentation of them is not permitted. Neither the plot nor any building erected thereon

can be used for a purpose other than for which it has been allotted.

14. You shall not transfer by way of sale, mortgagee gift or otherwise the site or any right, title or interest therein (except by way of lease on monthly basis) save with the sanction of the Chief Administrator till such time total sale price is paid and a building has been constructed on a minimum of at least 10 percent to the total permissible covered area of the plot.

15. This allotment is subject to the provisions of the Punjab Urban Estates(Development and Regulation) Act, 1964 and the rules framed there under as amended from the time to time and you shall have to accept and abide by them.

Estate Officer,

Urban Estate, Sonapat.

श्री देवी दास: स्पीकर साहब, मैंने अपने सवाल में यह पूछा था कि कितने आदमियों के प्लॉट जब्त किए गए? मंत्री जी ने जवाब दिया है कि किसी का भी प्लॉट जब्त नहीं किया गया। मेरी जानकारी में है कि सोनीपत के सैक्टर 14 में काफी लोगों के प्लॉट जब्त किये गये हैं और वे लोग कोर्ट में अपील कर रहे हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जिन आदमियों के प्लॉट जब्त किए गए हैं वे किस-किस को अलॉट किए गए हैं?

सरदार हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, आनरेबल मैम्बर ने जो सवाल पूछा है उसमें थोड़ी सी गलती कर दी। इन्होंने जो

सवाल पूछा है उसमें सिर्फ यह पूछा है कि कितने प्लॉट कौंसिल किए गए हैं यह नहीं पूछा कि कितने प्लॉट रिज्युम किए गये हैं। कौंसिल करने में और रिज्युम करने में काफी फर्क है। हमने वहां पर कोई भी प्लॉट कौंसिल नहीं किया यदि कोई प्लॉट कौंसिल ही न किया हो तो किसी को अलाट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने कौंसिल और रिज्युम भाब्द का लाभ उठा कर बड़ी होठियारी से सवाल का जवाब दे दिया कि सवाल पैदा नहीं होता। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि वहां पर कितने प्लॉटस रिज्युम किए गए हैं।

सरदार हरपाल सिंह: स्पीकर साहब इसके लिए सैपरेट नोटिस देना चाहिए कि कितने प्लॉटस रिज्युम किए गए हैं। लेकिन वहां पर कोई भी प्लॉट कौंसिल नहीं किया गया। जब किसी आदमी के पास प्लॉट की आफर आ जाए और वह आदमी उस प्लॉट की दस परसेंट अरनैस्ट मनी जमा करवा देता है तो उसके पास अलाटमेंट का लैटर चला जाता है। उसके साथ ही उसको यह लिख दिया जाता है कि विद इन तीस डेज पंद्रह परसेंट मीन जमा करवाएं। अगर वह तीस दिनों के अंदर पंद्रह परसेंट पैसा जमा नहीं करवाता है तो उसकी अलाटमेंट कौंसिल कर दी जाती है। अगर वह पंद्रह परसेंट पैसा जमा करवा देता है तो उसके पास अलाटमेंट कंफर्मेशन का लैटर चला जाता है।

उसके बाद यदि वह बाकी इंस्टालमेंट जमा नहीं करवाता है और उसको जो तीन-चार साल का टाईममकान की कंस्ट्रक्शन के लिए दिया हुआ होता है उसको फुलफिल नहीं करता है तो उसका प्लॉट रिज्युम कर लिया जाता है। यदि वह तीन-चार साल तक जो उसको मकान की कंस्ट्रक्शन के लिए टाईम दिया हुआ होता है मकान नहीं बनता है और उस प्लॉट को ज्यादा पैसे लेकर बेचना चाहता है तो उस कंडीशन में बकायदा उसको एक महीने का नोटिस दिया जाता है। यदि वह फिर भी मकान की कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं करता तो उसको तीन महीने का नोटिस दिया जाता है। यदि वह फिर भी मकान नहीं बनाता तो उसको तीन महीने का नोटिस दिया जाता है। यदि वह फिर भी मकान नहीं बनाता तो वहां के स्टेट आफिसर को यह अथोरिटी है कि अगर कोई अलाटी कंडीशन फुलफिल नहीं करता तो उसको हियरिंग देकर उसका प्लॉट रिज्युम किया जाए।

श्री हीरा नंद आर्य: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि ऐसे कितने अलाटी थे जो कंडीशन फुलफिल नहीं करते थे जिसके कारण उनके प्लॉट रिज्युम कर लिए गए?

सरदार हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, इसके लिए सेपरेट नोटिस चाहिए।

श्री भले राम: स्पीकर साहब, जिन लोगों ने प्लॉट खरीदे हैं उनमें से बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने प्लॉट तो खरीदे लिए लेकिन मकान बनाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों के पास मकान बनाने के लिए पैसा नहीं क्या उन लोगों के लिए सरकार कर्जा देने का प्रावधान करेगी?

सरदार हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, प्राइम मिनिस्टर महोदय के नए 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत हरियाणा सरकार ने वीकर सैक एंज के लिए हाउस कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया है। हम 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत लगभग 400 मकान फरीदाबाद में बना रहे हैं। वहाँ पर एक मकान की कौस्ट 16 हजार रूपय है जिनका हमने 12 हजार रूपये में देने का फैसला किया है। (थम्पिंग)

श्री हरि चन्द हुड्डा: स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी, ने थोड़ी देर पहले यह कहा था कि वे रोहतक की गली-गली में घूम कर आए हैं। क्या इनकी जानकारी में यह बात है कि हुड्डा वाले करोड़ों रूपय की जायदाद बनाकर बैठे हैं। (गोर एव विघ्न)

श्री अध्यक्ष: यह कोई सवाल नहीं है।

श्री देवी दास: स्पीकर साहब, सैक्टर 14 के अन्दर इन्होंने पहले सड़के बना दी थी, अब पाईप डाल रहे हैं जिस के कारण वहाँ की सारी सड़के टूट गई हैं मैं मंत्री महोदय से जानना

चाहता हूँ कि क्या पले पाईप लाईन डालकर सडके बाद में बनाने का विचार है?

सरदार हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, अर्बन सैक्टर सोनीपत में हुड्डा की तरफ से जितनी सुविधा दी जानी थी वे सारी दे दी गई हैं। वहांपर वाटर सप्लाई, सिवैरज, रौड्स और बिजी आदि पकी सारी सुविधा दे दी गई हैं। मैं आनरेबल मैम्बरज को रिक्वैसट करूंगा कि वे अब जाकर अर्बन सैक्टर को देखे कि अर्बन सैक्टर कितनी अच्छी तरह से डिवैल्प हो रहा है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हुड्डा की तरफ से अर्बन सैक्टरज को ब्यूटीफाई करने के लिए हार्टिकल्चरप की प्लान भी भुरु की जा रही हैं। वहां पर 20 परसेन्ट प्लाट वीकर सैक्टर के लिए भी रिजर्व रखे हैं। डिवैल्पमेंट पूरी हो रही है। मैम्बर साहब द्वारा उस अर्बन सैक्टर को जा कर देखें, ओर उसके बाद यहा पर सवाल पूछें।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मुझे यह सुन कर बहुत प्रसन्नता हुई कि हुड्डा की तरफ से वहां पर हार्टिकल्चर की स्कीम भी बनाई जा रही है यानि डिवैल्प हो रही है। साथ ही इन्होने यह भी कहा है कि हमें वहा पर जाकर खुद देखना चाहिए। मैं आपको निमंत्रण देता हूँ कि आप मेरी कांस्टिच्यूएँसी रोहतक में आएँ। आपने जो कमि रियल कम्पलैक्स बनाया है और जहां लोग इजी होने के लिए जाते हैं उसे जा कर देखें। वहां पर

सरकार की तरफ से करोड़ों रुपये का कम्पनसे इन कमि यिल कम्पलैक्स के लिए दिया गया है और वह चार साल से पेंडिंग है।

सरदार हरपाल सिंह: वहां पर हुड्डा की तरफ की से कोई सैक्टर डिवैलप नहीं हो रहा।

श्री मंगल सैन: कमि यिल कम्पलैक्स का क्या बना?

सरदार हरपाल सिंह: हुड्डा की तरफ से कमि यिल कम्पलैक्स अभी तक कम्पिलट नहीं हुआ है।

श्री मंगल सैन: उनको पूरा करने के लिए सी.एम. साहब ने भी कह रखा है। स्पीकर साहब, यह बड़ा सीरियस मामला है। वहां पर 4-5 करोड़ रुपये की सम्पत्ति लगी हुई है, उसको जरूर टेक-अप करना चाहिए।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): इसको जरूर देखेंगे।

चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवाल: स्पीकर साहब, हुड्डा लेण्ड औनर की जो जमीन एक्वायर करता है और उसका जो कम्पनसे इन किसानों को दिया जाता है उसमें एक और 100 रुपये का अन्तर है। मैं पूछना चाहता हूँ कि इतना अधिक अन्तर क्यों है?

सरदार हरपाल सिंह: हुड्डा नो प्रोफिट और नो लोस बेसिज पर काम करता है। हुड्डा जमीन एक्वायर करने के बाद प्लॉटों की ओर इन करता है। हुड्डा कोई प्रोफिट बौडी नहीं है।

पिछले सै ान में भी सी.एम. साहब ने सदन को आ वासन दिया था कि किसानों की जो जमीन एक्वायर की जायेगी उसका उचित मुआवजा दिया जाऐगा। उसी आधार पर सरकार ने अब पोलिसी रिवाईज की हैं। सदन में बताते हुए मुझे खु ि होती हैं कि रिवाईज्ड पोलिसी के अनुसार यदि किसानों की जमीन एक्वायर होती हैं तो उनको भविश्य में मार्किट प्राइस दी जाएगी। जो उचित मुआवजा देने की को ि ा ा की जाएगीं मेरे ख्याल में अब किसी भी मैम्बर को इस संबंध में कोई ि ाकायत नही आयी होगी। भविश्य में ज्यादातर जमीन किसानों को एक्वायर न करने की को ि ा ा पूरी-पूरी की जायेगी। यदि कही जरूरी हुआ तो उसी हालत में किसानों की जमीन एक्वायर की जायेगी क्योंकि सरकार भी किसानों की आम जमीन लेने के हक में नही हैं।

श्रीमती चन्द्रवती: भाहरों के आसपास जो जमीन एक्वायर करते समय इकट्ठी जमीन एक्वायर की जाती हैं। बीच मे किसी को छोड़ा नही जाता। हमारे पलानर जो प्लान बनाते है उसी हिसाब से जमीन एक्वायर की जाती हैं। किसी साईड में रैजिडैन्ि ायल परपजिज के लिए जमीन एक्वायर करनी होती हैं, किसी तरफ इण्डस्ट्रीज के लिए और किसी तरफ कम ि ायल साइटस के लिए जमीन एक्वायर करनी होती हैं। जिस तरह के एरिया की जरूरत होती हैं, उसी हिसाब से इकट्ठी जमीन एक्वायर की जाती है।

श्रीमती चन्द्रावती: बल्लभगढ़ के पास झाड़ सेतली गांव हैं। वहां जमीन एक्वायरप करते समय बड़े-बड़े लोगों की ओर इण्डस्ट्रीयलिस्ट्स की जमीन दी गई जबकि छोटे-छोटे किसानों की जमीन एक्वायर कर ली गई है।

श्री अध्यक्ष: इस सप्लीमेंटरी का इस सवाल से कोई संबंध नहीं है।

**Construction of an over-bridge at railway crossing,
Kurukshetra**

***220. Chaudhri Sahab Singh Saini:** Will the Minister of State for Public Works (B&R) be pleased to state—

(a) whether an over-bridge at the railway crossing, Kurukshetra, has been sanctioned; if so, the date of the sanction thereof; and

(b) if reply to part (a) above be in the affirmative the time by which the construction of the said over-bridge is likely to be started?

Minister of State for Public Works(Chaudhri Goverdhan Dass Chauhan):

(a) The consent of the Railways to share the cost of the over-bridge has been received and the formal sanction of the works will be issued shortly.

(b) The construction will be taken up during 1983-84.

चौधरी साहब सिंह सैनी: स्पीकर साहब, पुल के खर्च का हिस्सा देने के लिये रेलवेज की सहमति हो गई है और दूसरी भार्ते भी पूरी हो चुकी है मै मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या 1983-84 के अन्दर ही वहा पर काम भुरू हो जायेगा?

चौधरी गोवर्धन दास चौहान: स्पीकर साहब, इसी मार्च में भारत सरकार से सैक ान आई है। इस काम के लिए 1983-84 का जा साल दिया है इसका मतलग है कि इसी साल के अप्रैल मे हम भी अपनी सैक ान भेज देंगे उसके बाद इस पुल पर कन्सट्रक् ान का काम भुरू हो जाऐगा।

चौधरी औम प्रका ा: मै मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ओवरब्रिज बनाने का क्या क्राईटेरिया है? रोहतक और सोनीपत के अन्दर कई सड़को पर बड़ी भीड़ रहती है। इसलिए मै जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे भाहरों मे आवरब्रिज बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है?

चौधरी गोवर्धन दास चौहान: स्पीकर साहब, एक क्राईटेरिया तो यह भी है कि जिन सड़को पर ज्यादा भीड़ भड़ाका रहता है, उन पर ओवर ब्रिज बनाये जाये। यह सवाल धार्मिक स्थल कुरूक्षेत्र से संबंधित था इसलिए इसका जवाब दिया गया है ओर इस पर काम भी भीघ्र ही भुरू होने जा रहा है जिन रोड़ज पर ज्यादा भीड़ रहती है और लोगों की डिमांड होती है, उसी आधार पर हम ओवर ब्रिज बनाने की कोि ा ा करते हैं।

श्री नेकी राम: स्पीकर साहब, हिसान का ओवरब्रिज आधा बना है और आधा बनना बाकी रहता है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह कब तक पूरा हो जाएगा?

चोधरी गोवर्धन दास चौहान: स्पीकर साहब, इस पुल पर काम चल रहा है और जल्दी ही इस को पूरा कर दिया जायेगा।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, इन्होंने अभी फरमाया है कि ओवरब्रिज वहा पर बनाया जा सकता है जहां पर भीड़-भडका ज्यादा है या ट्रैफिक जाम होती है। पानीपत के बारे में इन्होंने स्थिति स्पष्ट नहीं की। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या रोहतक के डिप्टी कमि नर ने यह लिख कर भेजा है कि झज्जर जाने वाली जो सड़क है, उस पर ओवरब्रिज बनना चाहिए। क्या ऐसी कोई बात आपके नोटिस में है?

चोधरी गोवर्धन दास चौहान: यह सवाल कुरुक्षेत्र से संबंधित था। जहां तक रोहतक के डी.सी. द्वारा कोई रिकमेंडै इन करके भेजने का सवाल है, उसके बारे में मुझे मालूम नहीं है। उन्होन को रिकमेंडै इन की है या नहीं।

श्री फतेह चन्द विज: स्पीकर साहब, पानीपत के अन्दर जी.टी. रोड पर पहले ही बहुत भीड़ रहती है। अब वहां पर एक तेल भाोधक कारखाना लगने जा रहा है और वहा पर थर्मल प्लांट भी है, जिस कारण अब और भी अधिक भीड़ होने की आ ता है।

मै जानना चाहता हूं कि क्या पानीपत के अन्दर कोई ओवर ब्रिज बनाने का विचार है।

चोधरी गोवर्धन दास चौहान: स्पीकर साहब, वैसे तो इस सवाल का मूल सवाल के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है लेकिन जानकारी के लिए मै बता देता हूं कि यह मामला विचारधीन है, जल्दी ही इस पर गौर किया जाएगा।

Vacant posts of M.B.B.S. Doctors.

***250. Shri Fateh Chand Vij:** Will the Minister for health be pleased to state—

(a) the total number of Posts of M.B.B.S. Doctors lying vacant in the State as on 31.01.1983;

(b) the time by which the said posts are likely to be filled up;

(c) whether the Government proposes to provide one doctor for every 5000 persons in the State; and

(d) if so, the times by which the said proposal is likely to be implemented?

Health Minister (Shrimati Prasanni Devi):

(a) 93

(b) Appointment orders have already been issued in all cases.

(c) No.

(d) Question does not arise.

श्री फतेह चन्द विज: स्पीकर साहब, मंत्री महोदया ने पार्ट(डी) के जवाब में कहा है कि “Question does not arise” क्या यह मुनासिब नहीं है कि 5 हजार की आबादी के पिछे एक एम.बी. बी.एस. डाक्टर हो जाए?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, इन्होंने जो सवाल पूछा था, उसका मैंने उत्तर दे दिया है। जहां तक 5 हजार की आबादी के पिछे डाक्टर देने का सवाल है, ऐसी कोई स्कीम नहीं है, क्योंकि 5 हजार की आबादी बहुत कम है।

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, मंत्री महोदया ने बताया है कि एक एम.बी.बी.एस. डाक्टर की 93 पोस्ट हरियाणा में खाली थी लेकिन अग वे भरी गई हैं। मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि 93 पोस्टों में से कितनी पोस्टें रूरल हैंली सैन्टर्ज की भरी गई हैं और कितनी खाली पड़ी हैं?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मैम्बर साहब को बताना चाहती हूं कि आज के दिन तक सभी जगहों को भरने के लिए, चाहे वे गांव हों, चाहे भाहर, जितनी पोस्टे हमारे पास खाली थी, नियुक्ति-पत्र जारी कर दिये है ओर उनके ज्वाईन पोस्टे खाली बचती है और कितनी भरी गई हैं।

चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवाल: स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदया का बताना चाहूंगा कि मेरे हल्के में कुछ गांव ऐसे है जिन

की आबादी 10 हजार से ज्यादा हैं। इनमें से किसी गांव में भी डिस्पेंसरी नहीं हैं। क्या इन गावों में डिस्पेंसरी खोलने की कोई प्रयोजन है?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: मैम्बर साहब, का गांव तो भिवानी में आता है लेकिन फिर भी मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि यू.एस.एड की एक स्कीम है जिसके तहत सैन्ट-पर-सैन्ट ग्रांट मिलती है। इस स्कीम के तहत भिवानी, महेन्द्रगढ़ और सिरसा में 1985 तक के असे के मध्य, पांच-पांच हजार की आबादी के सभी गावों में एक-एक सब-सैन्टर खोला जाएगा जिसमें मल्टीपर्पज वर्कर महिलाएँ और मल्टीपर्पज वर्कर पुरुष होंगे।

श्री बसंती देवी: क्या मंत्री महोदय बतायेगी कि मल्टीपर्पज वर्कर महिलाएँ क्या होती हैं! क्या ये भी एम.बी.बी.एस. होंगी?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: ये तो एम.बी.बी.एस. होती हैं, आप इनको नर्स भी कह लीजिए।

श्री भले राम: स्पीकर साहब, गवर्नमेंट की पालिसी है कि हर एक ब्लॉक को एक-एक प्राइमरी हैल्थ सैन्टर दिया जाए। कथुरा ब्लॉक और गोहाना ब्लॉक ऐसे हैं जिन में कोई प्राइमरी हैल्थ सैन्टर नहीं है। इन गावों के लोगों ने पैसे भी भर रखे हैं और जमीन भी दे रखी है। क्या मंत्री महोदय बतायेगी कि इन

दोनो ब्लाक्स मे प्राइमरी हैल्थ सैन्टर बनाने के लिए कब तक काम भुरु हो जाएगा?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, हमारे कुछ ब्लाक्स ऐसे है जिन में प्राइमरी हैल्थ सैन्टर नही बने हैं। पिछले साल दो बनाये गये है और अगले साल दो को और टेक-अप किया जाएगा। हर साल इन में से दो-दो प्राइमरी हैल्थ सैन्टर्ज को बनाते चले जाएंगे। इकट्ठा इसलिए टेक-अप नही कर सकते क्योंकि इन पर काफी पैसा खर्च होता है। इसकी बिल्डिंग भी खुद ही बनानी पड़ती है और 60 हजार रुपये से कुछ नही बनता, तकरीबन 30 लाख रुपया खर्च होता है। इसलिए हर साल दो-दो को टेक-अप कर रहे हैं।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, बहन जी ने एक अनुपूरक प्र न के उतर में फरमाया है कि ग्रेवाल साहब का एरिया भिवानी में है और भिवानी, महेन्द्रगढ और सिरसा इन तीनों जिलो का यु.एस.एड की स्कीम के अन्तर्गत सुविधायें दी जाएगी और यह सुविधा इन जिलों के हर गांव मे दी जा रही है। मैं बहन जी से पूछना चाहता हूं कि बाकी 9 जिलों में यह सुविधा कब से दी जाएगी, क्या उनकी कोई योजना है?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, यह नीति भारत सरकार निर्धारित करती है और उनकी इस नीति के मुताबिक दो हजार ईस्वी तक पांच हजार तक के गावों को यह सुविधा दी

जाएगी। पहले इन तीन जिलों को ही टेक-अप किया जा रहा है। लेकिन फिर भी हरियाणा सरकार इस कोर्सा में है कि भारत सरकार की इस नीति को लागू करने से पहले ही पंजाब जिलों को टेक-अप करे, लेकिन इसके रास्तों में कुछ दिक्कतें हैं हमने ट्रेनिंग भी देनी है और बिल्डिंग भी बनानी है। एम्पलाईज के लिए रिहायशी मकान भी चाहिए। इस तरह की दिक्कतें हमारे रास्ते में हैं लेकिन फिर भी जो-जो सहूलियत, जितनी जल्दी हो सकेगी, सरकार देने की कोर्सा में है।

मास्टर राम सिंह: स्पीकर साहब, लाडवा ब्लॉक, गांव बबैन के अन्दर प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए पंचायत की तरफ से जमीन अलॉट हो चुकी है जिसके बारे में मुख्य मंत्री जी अनाऊसमेंट भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाने का काम शुरू नहीं किया है। क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि यह सेंटर कब तक बनाया जाएगा। इसके अलावा रादौर प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए सरकार ने एक्स-रे प्लांट मंजूर कर दिया है, लेकिन अभी तक प्लांट चालू नहीं किया है। क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि यह कब तक चालू हो जाएगा?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, वैसे तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर और एक्स-रे प्लांट का इस सवाल के साथ कोई ताल्लूक नहीं है, यह एक अलग सवाल है, लेकिन मैं बता देती हूँ कि जहां तक रादौर में एक्स-रे प्लांट लगाने का ताल्लूक है, कुछ

महीने पहले इसकी सैकान हो चुकी हैं और एक्स-रे प्लांट जितनी जल्दी हो सकेगा, दे दिया जाएगा।

चौधरी कुन्दन लाल: स्पीकर साहब, सब डिविजन सफ़ीदों के अन्दर 30 बिस्तरो का एक ही होस्पिटल हैं, लेकिन उसकी बिल्डिंग इतनी खराब हैं कि सारे के सारे मरीज सर्दी में बाहर पड़े रहत हैं। वहां पर जो एक्स-रे प्लांट हैं, पता नहीं वह किस सदी का बना हुआ है जो ठीक से काम नहीं करता। वहा पर पूरा स्टाफ भी नहीं है। वहां पर लोगो की दुर्दशाओं के समान हैं। क्या मंत्री महोदया वहा पर नया एक्स-रे प्लांट लगाने की कृपा करेगी?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, मेरे नाटिस में ऐसी बात कभी नहीं आई, लेकिन अगर माननीय सदस्य ठीक कहते हैं तो इसकी इन्क्वायरी करवायेगे। अगर इसमें कोई कमी होगी तो नौर्म के मुताबिक जो हो सकेगा, करेगे।

श्री भागी राम: स्पीकर साहब, मंत्री महोदया ने सिरसा जिले को स्वास्थ्य सुविधाए देने की बात कही है। सिरसा जिले का नाम यहा बार-बार लिया जाता हैं। क्या मंत्री महोदया बतायेगी कि सिरसा और सिरसा जैसे दूसरे जिलो के गावों को यह सुविधा कब तक दी जाएगी?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: इसके लिए अलग नोटिस दे, जवाब दे दिया जाएगा। क्योंकि सब-सैन्टरो की संख्या एक हजार

से ज्यादा हैं इसलिए अलग-अलग नहीं बताया हा सकता। अगर आनरेबल मैम्बर नोटिस देगें तो बता दिया जाएगा।

श्री भागी राम: स्पीकर साहब, ये सिरसा का नाम बार-बार ले रहे हैं लेकिन असल में ये गलत नाम ले रहे हैं। सिरसा के साथ भेदभाव बरता जा रहा है। ये जोर-जोर से इसलिए कह रहे हैं ताकि सिरसा जिले का नाम कागजों में आ जाए, लेकिन वास्तव में सिरसा के साथ भेदभाव बरता जा रहा है। 20-25 बैड्ज को होस्पिटल तो अलग बात हैं मेरी कांस्टिच्यूएंसी मे तो एक बैड का होस्पिटल भी नहीं है। क्या मंत्री महोदया एलनाबाद हल्के के होस्पिटल बनान के बारे के सोचेंगे।

श्रीमती प्रसन्नी देवी: वैसे तो तकरीबन सभी प्राइमरी हैल्थ सैन्टर में बैडज हैं, लेकिन माननीय सदस्य अपनी कांस्टिच्यूएंसी के बारे में घबराये नहीं। अगर वे बीमार होंगे तो उनका जरूर इलाज कर देंगे।

Mr. Speaker: Question Hour is now over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रख गए तारांकित प्र नो
के लिखित उत्तर

Construction of Drains in Kilo constituency

***269. Shri Hari Chand Hooda:** Will the Minister for Irrigation and power be pleased to state the Number of drains sanctioned for construction togetherwith the number out of

those as have actually been constructed during the years 1981, 1982 and 1983 in Kiloj Constituency of Distt. Rohtak?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भामदेर सिंह सुरजेवाला): अब तक नई ड्रन/लिंग ड्रन, जिस में ड्रेनो की रिमॉडलिंग भी शामिल हैं, की 15 स्कीमें स्वीकृत की गई। इसमें से वर्ष 1981 से पहले 9 स्कीमें वर्ष 1981 में 2 स्कीमे औरप वर्ष 1982 में 2 स्कीमें कार्यान्वित की गई। वर्ष 1983-84 में भोश 2 स्कीमों को टेक-अप किया जाना रहता है।

Construction Roads by the Marketing Committees in the State.

***247 Master Ram Singh:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) the number of roads constructed or got constructed by the marketing committees in the State during the period from 1972-73 to 1982-83; and

(b) whether the above said roads are being repaired or got repaired regularly; if so the name of the repairing agency thereof and the amount of expenditure incurred on their repairs during the above said period.

कृषि मंत्री (चौधरी सुरेन्द्र सिंह):

(क) 611

(ख) जी हां जब मुरम्मत की आवयकता उत्पन्न होती है। सड़को की मुरम्मत हरियाणा राज्य कृषि विपणनन बोर्ड की

निर्माण भाखा तथा लोक निर्माण विभाग (भवन एव सड़के) के माध्यम से कराई जाती हैं। 1972-73 से 31.01.1983 तक की अवधि में सड़को की मुरम्मत पर 2,56,03,195.35 रूपये खर्च किये गये थे।

Drinking Water Tanks

***278. Shri Nar Singh:** Will the Minister of State for public Health be pleased to state whether any water tanks for the supply of drinking water have been constructed in the State during the period from 1978-79 to date; if so, constituency wise number thereof?

@ INTERIM REPLY

लाल सिंह

9 / 15 / 83-पी.एच.(3)

राज्य मंत्री

जन-स्वास्थ्य विभाग हरियाणा

चण्डीगढ़

दिनांक 18 मार्च 1983

प्रिय

विधान सभा तारांकित प्र न 278 जो 21.03.1983 की सूची में श्री नर सिंह सदस्य हरियाणा विधान सभा के नाम दर्ज हैं

के संदर्भ में मुझे यह कहना है कि उक्त प्र न का उतर अभी तैयार नहीं हुआ है। इस प्र न के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है जिसको अभी समय लगेगा। अतः आप से अनुरोध करूंगा कि इस प्र न का उतर देने के लिए 14 दिन और प्रदान किये जाएं।

आपका

हस्त/—

(लाल सिंह)

श्री तारा सिंह

अध्यक्ष,

हरियाणा विधान सभा चण्डीगढ़

Taking Samples of Medicines.

***281. Shri Man Phool Singh:** Will the Minister for Health be pleased state—

(a) the designations of officers who have been authorized to take samples of the medicines in the State;

(b) whether the Government is aware of the fact that some unauthorized Juniors of such officers as mentioned in

part (a) above also take the samples of the medicines, if so, the reasons therefore?

स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी):

(क) उप-राजकीय औषधि नियंत्रक हरियाणा, सहायक राजकीय औषधि नियंत्रक तथा जिला औषधि निरीक्षक ही हरियाणा राज्य में दवाइयों के टैसट व वि लेशण हेतू नमूने भर सकते हैं।

(ख) कोई भी ऐसा व्यक्ति सरकार के ध्यान में नहीं आया।

Tehbazari in the Grain Market of Gohana

***328. Shri Kitab Singh:** Will the Minister of Agriculture be pleased to state—

(a) whether it is fact that the Market Committee of Gohana passed a resolution on 13.11.80 that the platform of the said grain Market be leased out for “Tehbazari” ; and

(b) if so, whether the said platform is being leased out for Tehbazari and if not, the reasons therefore?

कृषि मंत्री (चौधरी सुरेन्द्र सिंह):

(क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) पर दिये गये उत्तर के दृष्टिगत प्र न ही नहीं उठता।

Maintenance of Buidings of Erstwhile Zila Parishads

***324. Master Shiv Parshad:** Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state—

(a) The agency through which the State Government is maintaining teh buildings of the e rstwhile Zila Parishads in the State; and

(b) Whether there is any proposal under consideration of the Government to hand over the said buildings to the concerned Panchayat Samitis for the maintenance thereof?

विकास मंत्री (श्रीमती भारदा रानी कवंर):

(क) लोक निमार्ण विभाग(भवन तथा सड़को)

(ख) नहीं।

हरिजन लड़कियों के कथित [अपहरण/कानून](#) तथा व्यवस्था की स्थिति सम्बन्धी मामला उठाना

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मुझे कुछ टेलीग्रामज मिले हैं, मैं उन्हे हाउस मे पढ कर सुनाना चाहती हूं। एक टेलीग्राम श्री मनी राम बागड़ी एम.पी. की तरफ से आई हैं ओर इसमे लिखा हैकि—

“Two minor Harijan Girls kidnapped from Barwala on Wednesday Night stop residents agitated law and order deteriorating stop no Police action stop either you resign or

dismiss Haryana Ministry Immediately stop-Mani Ram Bagri
Member of Parliament”

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, जिस टेलीग्राम का बहिन जी जिक्र कर रही है उसके बारे में बताने में हमें कोई गुरेज नहीं है। मैं हाउस के सामने सारी स्थिति स्पष्ट कर देता हूँ।(विधन)

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं भी ला एन्ड आर्डर की सिचुएशन के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। आज ला एन्ड आर्डर की बहुत बुरी हालत है। मेरी भी इस बारे में काल-अटैन्सन मौक़ा था, उसके बारे में कोई जवाब नहीं आया। पानीपत के अन्दर ए.एस.आई. का मर्डर किया गया है। आज तक उन आदमियों को पकड़ा नहीं गया। इसी तरह से हिसार से दो लड़कियों को उठाया गया उनके बारे में भी कुछ पता नहीं चला।

वक्तव्य—

मुख्य मंत्री द्वारा उपयुक्त मामले सम्बन्धी

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, पहले मैं बहिन जी के पास जो टेलीग्राम आये हैं उनके विशद में अर्ज कर दूँ। दो हरिजन लड़कियों की जहाँ भादी हुई थी वे वहाँ पर कलेस के कारण जाना नहीं चाहती थी। वे घर से लड़कर चली गईं। बरवाला हिसार जिले में अच्छा कस्बा है। वे दोनों लड़कियाँ वहाँ पानी के टैंक में डूबी हुई पायी गईं। (गोर) अब पता नहीं

चला कि वह खुदकु गी को केस हैं या दूसरा हैं लेकिन हमने खुदक गी का केज दर्ज नहीं किया हैं बाकायदा 302 का मुकदमा दर्ज हुआ ह।। तफती ग जारी हैं। जो आदमी भी कसूरवार मिलेगा उसे माफ नहीं किया जाएगा। जहां तक ए.एस.आई. के मर्डरप का सम्बन्ध हैं एक ए.एस.आई. और एक हैड कास्टेबल सड़क पर खड़े हुए थे। उन्होंने इ गारा करके एक कार को रूकवा लिया ताकि आगे से बस में चला सके। इ गारे पर कार को रोक लिया और वे दोनो उस कार में बैठ गये। जब कार चल रही थी तो ए.एस.आई. ने कार में बैठे हुए आदमी को कहा कि तू जगदी ग हैं। जगदी ग काफी दिनो से मफरूर था। ए.एस.आई. ने जगदी ग को पकड़ने की को गी ग की। जब उसकी जफी भरने की को गी ग की गई तो गाड़ी उल्ट गई। ए.एस.आई. नीचे गिर गया। ए.एस.आई. को जगदी ग ने गोली मार दी और उसका पिस्तौल भी ले गया। गाड़ी को छोड़ कर वह एक मोटर साइकिल पर सवार हो कर भाग गया। बाकायदा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया हैं। जो ए. एस.आई. मारा गया है उसे इस हजार रूपये ईनाम दिया गया हैं। सरकार की तरफ से कोई कोताही नहीं की जा रही है। पुलिस उसकी तला ग में है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, रोहतक के अन्दर एक 23-23 साल के लड़के को उठा ले गये लेकिन आज तक उसका पता नहीं चला। लडका टैक्सी मे बैठ कर गया है न टैक्सी का

पता लगा है ओर न ही लड़के का पता चला है। ऐसी हालत है ला एण्ड आर्डर की।

दूसरे उस ए.एस.आई. को दस हजार रूपया बहुत कम ईनाम दिया गया है कम से कम 50 हजार रूपया दिया जाना चाहिए था।

श्री किताब सिंह: स्पीकर साहब, 13 तारीख को लाखन माजरे के समुंद्र सिंह को पुलिस ने पकड़ लिया। उसको पुलिस ने बहुत बुरी तरह से पीटा। 17 तारीख को उसे छोड़ा गया। 18 तारीख को उसका मेडिकल हुआ। उसके भारीर पर 6-7 नि गान हैं।(ओर)

विभिन्न विशयों का उठाया जाना---

(i) फतेहाबाद मे हरिजनों को तंग करने सम्बन्धी

श्री मनफूल सिंह: स्पीकर साहब, मैने एक काल-अटैन् गान मौ गान दी थी लेकिन आपने उसे डिस-अलाउ कर दिया है। यह तो बड़ी गलत बात हुई है। भागीरथ नाम का व्यक्ति फतेहाबाद का रहने वाला है। पुलिस की मदद से वह हरिजनो को तंग कर रहा था। 19 हरिजनों का चालान किया गया। इसने हरिजनों को रिवाल्वर से मारनेकी भी धमकी दी है। वहां बाल्मीकि हरिजनो का खतरा है इसलिए इसे आप कंसिडरप करें।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए, मैंने इसे डिस-अलाऊ कर दिया है।

श्री लछमन सिंह कम्बोज: स्पीकर साहब, इन्द्री कस्बे के अन्दर मुसलमानों की मस्जिद हैं। उस मस्जिद को गिराया जा रहा है। यह एक धार्मिक स्थान है और उस इलाके के मुसलमान बड़े परे गान हैं एक ए.एस.आई. जिस को नाम मैं बता सकता हूँ बदमाश औरत से मिल कर ऐसा कर रहा है। वहाँ के लोगों ने मुख्य मंत्री जी, को तार भी दिया है। उन्होंने मेरे पास भी एप्लीकेशन दी है। पहले यह मस्जिद किसी कमेटी के पास थी, अब भी उसी के पास रहनी चाहिए लेकिन उन लोगों के हाथ में नहीं जानी चाहिए जो इसपर नाजायज तौर पर कब्जा करना चाहते हैं। (गोर)

श्री मनफूल सिंह: स्पीकर साहब, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा प्रोसीजर की तरफ भी ध्यान दिया करें। (विधन) आप अपने मैबरान को समझाये। मैंने एक मैम्बर की काल-अैन गान मो गान डिस-अलाऊ कर दी है लेकिन फिर भी वे बोले जा रहे हैं कि क्यों डिस-अलाऊ की है। न वे पढ़ कर आते और न ही समझाने पर समझने की कोशिश करते हैं।

श्री मंगल सैन: इनका कहने का मतलब यह था कि इस बारे में किसी पहलू पर विचार करना रह गया है इसलिए ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहे थे।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, उनकी ऐसी नीयत नहीं थी।

श्री अध्यक्ष: क्या मैं आपसे पूछूंगा कि उनकी क्या नीयत थी?

(ii) पुलिस अफसरों को बहादुरी के लिए इनाम देने सम्बन्धी

श्रीमती बसन्ती देवी: स्पीकर साहब, मैं पुलिस की बहादुरी के बारे में अर्ज करना चाहती हूँ। राज सिंह एस.आई. और रणबीर सिंह डी.एस.पी. चार डाकुओं को पकड़ा है। इन डाकुओं ने 10 डाके डाले थे। क्या इन पुलिस के बहादुर अफसरों को भी इनाम दिया जाएगा?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अगर अच्छा काम किया है तो उन्हें भी जरूर इनाम दिया जायेगा।

(iii) दवाइयों पर सेल्ज टैक्स ऐबोलिशन करने सम्बन्धी

Smt. Chandravati: Sir, the second telegram reads as under

“Please Abolish sales tax on Medicine Karnal Chemists Association”

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, सारे साल में 17-18 दिन का सैटन होता है। अगर इन दिनों में भी आपका ध्यान इन बातों की ओर न दिलाये तो कब दिलायें? करनाल से मेरे पास भी

तार आया हैं। उसमे वहां के लोगो ने लिखा है कि मैडिसन्ज पर भी सेल्ज टैक्स बढा दिया है जो कि नही बढना चाहिए। हम इलैक्ट्रिड रिप्रेजैन्टेटिव्ज हैं। हमारे द्वारा ही वे सरकार के पास अपनी बात पहुंचा सकते हैं। हम आपके द्वारा ऐसा कर सकते है।

श्री अध्यक्ष: सेल्ज टैक्स का बिल आ रहा है। उस टाईम आप अपनी बात कह लेना।

(iii) डी. ए. की तीन किस्तो सम्बन्धी

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मुझे एक और टेलीग्राम कर्मचारियो को डी.ए. की किस्तों सम्बन्ध में श्री हवा सिंह से आई वह इस प्रकार हैं:—

“Please raise Assembly Question three D.A. Instalments.”

Mr. Speaker: Please take you seat. You will agree that the subject matter of every telegram that you receive, cannot be raised like this withour proper notice.

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—

सिविल हस्पताल महेन्द्रगढ संबंधी

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बरज, मुझे श्री राम बिलास भार्मा की और से महेन्द्रगढ सिविल हस्पताल के बारे में एक

काल-अटैन् इन मौ इन का नोटिस मिला है। मैं इसे ऐडमिट करता हूँ। श्री राम बिलास भार्मा अपना नोटिस पढ दे और मन्त्री महोदया अपनी स्टेटमेंट दे दें।

श्री राम विलास भार्मा: स्पीकर साहब, इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि महैन्द्रगढ़ का सिविल हस्पताल पिछले काफी लम्बे समय से ठीक नहीं चल रहा है। बीमारों का वहां कोई उपचार नहीं हो रहा है तथा उनके साथ बदसूलकी होती है। लोगों में इस व्यवहार को लेकर आक्रोह हैं। एक कैमिस्ट हस्पताल के डाक्टर की मिली भगत से नकली दवाएं बेच रहा है। इसकी रिपोर्ट की गई थी। 08.04.1981 की विभागीय जांच में उक्त कैमिस्ट औषध-पत्र (पर्सक्रिप्शन) बदलने का दोषी पाया गया था परन्तु अब वह दोषी डाक्टर एवं कैमिस्ट के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। महैन्द्रगढ़ में यदि यह सिलसिला यथावत जारी रहा तो कभी भी कुछ दुर्घटनाएं हो सकती हैं। सारी जिम्मेवारी सरकार पर होगी। 24.12.1982 को श्री वी.एन.माथुर उपनिदेशक भी जांच के लिए महैन्द्रगढ़ गए थे। महैन्द्रगढ़ के वकील समुदाय संगठन (बार एसोसिएशन) का सर्वसम्मत प्रस्ताव भी इसी सम्बन्ध में था। पूरा वकील समुदाय संगठन (बार एसोसिएशन) यानी उस दिन उपस्थित 45 वकील भारिरिक रूप से जांच में ब्यान देने आए थे। नगर एवम् इलाके के सैकड़ों लोगों ने हस्पताल में व्याताल भ्रष्टाचार, बदसलूकी और बदइतजामी के कारण नहीं हुई।

हस्पताल की बदइतंजामी, नकली दवा का डाक्टर द्वारा प्रचार और बीमारों के साथ बदसलूकी से हाहाकार मचा हुआ है। सरकार के प्रति इलाके के लोगो में भय ओर अवि वास फैल रहा है। डाक्टर के सम्बन्ध में जिन लोगो ने स्पष्ट ब्यान दिए उनको डाक्टर द्वारा डराया धमकाया जा रहा है। उन्हे नमूना(सैम्पल) भरने की धमकी दी जा रही है। इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से गुजारि है कि वह अपनी स्थिति स्पष्ट करे और डाक्टर और कैमिस्ट के खिलाफ कार्यवाही करे ताकि आम आदमी को राहत मिल सके।

स्वास्थ्य मंत्री(श्रीमती प्रसन्नी देवी): स्पीकर साहब, यह ठीक नहीं है कि सामान्य हस्पताल, महेन्द्रगढ़ सुचारु रूप से नहीं चल रहा है। यह भी ठीक नहीं है कि वहां मरीजों का इलाज अच्छी प्रकार से नहीं किया जा रहा है तथा मरीजों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है।

2. पिछले विधान सभा अधिवे ान के दौरान दिनांक 18.09.1982 को श्री राम बिलास, एम.एम.ए. ने बताया था कि "दैनिक ट्रिब्यून" 01.08.1982 तथा 09.08.1982 और "दि ट्रिब्यून" दिनांक 21.08.1982 में सामान्य अस्पताल, महेन्द्रगढ़ में कार्यरत महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जा रही अनियमिताताओं बारे खबरे छपी थी। उन्होंने महिला चिकित्सा अधिकारी के विरुध कार्यवाही की मांग की थी। इसके उपरान्त उन्होंने दिनांक 30.09.1982 को निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा को कुछ कागजात, जिसमें महेन्द्रेगढ़ अस्पताल में कार्य कर रहे चिकित्सा अधिकारियों

रखता हुआ, बेचता हुआ तथा बनाता हुआ पाया जाता है तो उसे माफ नहीं किया जाएगा।

5. सरकार अपने इस कर्तव्य से भली भान्ति जागरूक हैं कि राज्य में सभी चिकित्सा संस्थाएँ सुचारू रूप से कार्य करें तथा चिकित्सा अधिकारी जनता को न केवल पर्याप्त तथा अच्छी चिकित्सा उपलब्ध करे अपितु यह सुविधाएँ श्रद्धा तथा सहानुभूति प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान करें।

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, वैसे तो जो कुद मंत्री महोदया ने ब्यान दिया है उस पर अपनी टिप्पणी नहीं कर सकता परन्तु इन्होंने अपने जवाब में इस बात को स्वच स्वीकार किया है कि वहाँ पर बार-एसोसिएशन के 34 लोग जांच के दौरान जांच अधिकारी से मिले थे और सब ने एक यानि सर्वसम्मत ब्यान दिया। स्पीकर साहब, 18.09.1982 को मैंने इस सदन का ध्यान वहाँ पर हो रही अनियमितताओं की ओर तो डिपार्टमेंट ने प्रेस्क्रीप्शन चेन्ज करने के मामले में डाक्टर और कैमिस्ट दोना को दोशी पाया था। उन लोगों का कसूर केवल यह है कि उनका नुमायन्दा मैं हूँ। दोशी पाये जाने के बावजूद भी उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैं मंत्री महोदया से यह कहना चाहता हूँ कि वे मुझे बताना इसका क्रेडिट न दें और वहाँ पर एक बार स्वयं महेन्द्रगढ़ अस्पताल में विजिट करके लोगों से पूछ लें। इसको राजनैतिक मसला न बनायें और वहाँ के लोगों को कुछ राहत पहुंचान की कृपा करें।

श्रीमती प्रसन्नी: स्पीकर साहब, राजनैतिक मसला बनाने की कोई बात ही नहीं है। इमने इस मामले की इन्कवायरी ज्वायंट डायरेक्टर से करवाई है। मैम्बर साहब ने वैसे ही इस मसले को पोलीटीकल बना दिया है, वैसे कोई बात थी नहीं। जहां पर उन अधिकारियों के खिलाफ कुछ आरोप इन्होंने लगाये थे वहां पर यह भी आरोप बीच में आया कि क्योंकि इन्होंने चुनाव में इनके खिलाफ प्रचार किया था, इसलिये उन्हे तंग किया जा रहा है। इन सब बातों की इन्कवायरी की गई। वहां पर एक भी ऐसी चीज नहीं पाई गई जो इन्होंने अपने मोन में कही कि वहां पर काफी कुछ खराबी है। मैने अपने तौर पर भी पता किया और मुझे यह पता चला है कि वहा पर कोई ऐसी बात नहीं है जोकि सीरीयस हो और जिससे वहां के लोगों को नुक्सान हो रहा हो।

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, जो बात इन्होंने चुनाव की कह दी, वह न तो मैने पहले कभी कही है और न ही अब कहता हूं। मै मंत्री महोदया से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात को स्वयं स्वीकार किया है कि वहां पर इन्कवायरी में वहा के वकील समुदाय ने एक बात को सर्वसम्मति से का है। इसके अलावा 08.04.1981 को जब विभाग पने इन्कवायरी की थी, उस समय तो मैं विधायक भी नहीं था। जब उस समय प्रैस्क्रीप्शन चेन्ज करने के लिए कोई व्यक्ति जिम्मेदार मिलता है तो उसके खिलाफ तो कार्यवाही होनी चाहिए थी। क्या मंत्री महोदया इस बात का यकीन दिलायेगी कि जिन आदमियों

को उस जांच के दौरान दोषी पाया गया था, उनके खिलाफ कार्यवाही होगी?

श्रीमती प्रसन्नी: जैसे मैंने बताया, ऐसी कोई चीज जांच में नहीं पायी गई। फिर भी इस मामले को बड़ी गहराई से अध्ययन किया जा रहा है। अगर किसी का कोई कसूर मिलेगा तो उस को केवल बदलने से कोई बात नहीं बनती, उसके विरुद्ध कड़ी अनुपासनात्मक कार्यवाही भी की जाएगी और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। (व्यवधान व भाोर)

बिल (इन्ट्रोड्यूस्ड—सदन की अनुमति से)

(i) दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमेंडमेंट एंड वैलीडैशन) बिल, 1983

बिल, 1983

श्री अध्यक्ष: अब एक मिनिस्टर साहब दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमेंडमेंट एंड वैलीडैशन) बिल, 1983 को इन्ट्रोड्यूस करने के लिए हाउस से परमिशन लेगें।

Irrigation & Power Minister (Chaudhri Shamsheer Singh Sujewala): Speaker, Sir I beg to move—

That leave be granted to introduce the Haryana General Sales Tax (Amendment and Validation) Bill 1983.

Mr. Speaker: Motion Moved—

That leave be granted to introduce the Haryana General Sales Tax (Amendment and Validation) Bill 1983.

श्री मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, आज मंत्री महोदय दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमेंडमेंट एंड वैलीडै 1न) बिल को सदन में प्रस्तुत करने के कलए सदन से स्वीकृति लेना चाहते हैं। मै यह चाहता हूं कि सदन को उनको यह स्वीकृति नही देनी चाहिए। इसलिए नही देनी चाहिए क्योकि पहले ही हमारे प्रदे 1 का नागरिक करों के बोझ से दबा हुआ हैं। कैन्ड्रिय सरकार के कर हैं, प्रदे 1 के कर हैं और इसके अलावा एक और उप-कर लगाया जा रहा हैं। एक-एक चीज पर तीन नामों के कर लगाये गए हैं। अखिरकार उपभोक्ता तो वही हैं। स्पीकर साहब, अनाज तो एक हें लेकिन उसके ऊपर एक मार्कीट फीस हैं, दूसरे सेल्ज टैक्स हैं तीसरा इनहोने सेस लगा दिया हैं। इस सैस को लगाने के लिए इन्होने बहाना क्या बनाया है कि रुरल डिवैल्पमेंट के लिए यह फण्ड बनाया जा रहा हे। जो करोड़ो अरबों रूपया स्टेट बजट का हैं, वह किस काम आयगां? क्या 8 करोड़ रूपए से ही रुरल विलैपमेंट होगी? ऐसा करना तो तफरकात और भेदभाव पेदा करने की बात हैं हम तो यह कहते हैं कि आप 70 प्रति 1त रूपया बजट को गांवो की डिवैल्पमेंट पर खर्च कीजिए। 8 करोड़ रूपय ही क्यों खर्च करो? जो गावों के रहने वाले लोग है, उनको भी पूरी फ़ैसिलिटीज मिलनी चाहिए। स्पीकर साहब, अगर यह पेसा ही चाहते है तो अपने खच्च कम करे कान्कास्ट कम्पनी की बात पर चोधरी भजन लोल ने स्वयं स्वीकार किया हैं। यह इन्होने ठीक की कहा हैं कि जग से यह कम्पनी बनी हैं, जब से ही घाटे में जा रही हैं। मै भी इस डिपार्टमेंट के

ऊपर सवा दो साल तक रहा हूँ। इस कम्पनी की तो बुनियाद ही बे-मानी पर थी क्योंकि उस समय भी कांग्रेस का राज था जब यह बनाइ गई थी। जब मैंने अपने वक्त में इसको डिस्पोज आफ करने की बात कही तो सरकारी नौकर ग़ाही ने ऐसा नहीं करने दिया। स्पीकर साहब, आज प्रदे में जितनी कार्पोरे इनज हैं चाहे वह दूध बेचने वाली कार्पोरे इन के सभी कार्पोरे इन घाटे में जा रही हैं लेकिन फिरप भी यह सरकार इनको सीने के साथ लगाए बैठी हैं क्योंकि पोलिटिकल कम्पल इन हैं। कोआप्रोटिव सोसायटीज की तो बात ही जाने दीजिएं अध्यक्ष महोदय, हमारे जो मंत्री महोदय, बिल को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं उन्हे दो अढाई साल तक अपोजी इन में बैठने का मौका नहीं मिला है। उस वक्त वे कहा करते थे कि सरकार को ऐसे मैयर्ज अडोप्ट करने चाहिए जिनसे जनता पर बोझ न पड़े लेकिन अब जब वे मिनिस्टर बन गए हैं तो इस प्राकर से बिल इन्ट्रोड्यूस कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इन की कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए। इसलिए मेरा उनसे निवेदन है कि वे अपनी आत्मा की आवाज को सुने ओर इस बिल को हाउस में न लाए।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री(चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, डा. मंगल सैन ने कहा है कि इस बिल को इन्ट्रोड्यूस न किया जाए। इनको यह एतराज हैं कि सात परसैन्ट से जो आठ परसैन्ट की इन्क्रीज है और साथ ही आढती पर जो एक परसैन्ट का सैस लगाया है यह ठीक नहीं है। यह सैस

लगाकर सरकार गांव और भाहर के लोगों मे भेदभाव कर रही हैं। अध्यक्ष महोदय इस सम्बन्ध में सदन में पहले भी बताया जा चुका हैं और मुख्य मंत्री महोदय ने विस्तार से इसका जवाब दे दिया हैं कि इस सैस से आठ करोड़ रुपया या इससे भी ज्यादा रुपया इक्ठ्ठा हो सकता हैं। देहात में छोटे-छोटे काम हैं जिन के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं हैं वे काम इस इस रूपए से किए जाएंगे। ऐसे कामो को करने के लिए रूपए की सख्त जरूरत हैं। अध्यक्ष महोदय, गांव ओर भाहर में किसी तरह को भेदभाव करने की सरकार की कोई मं ता नहीं हैं। स्पीकर साहब, दूसरी बात यह हैं कि दो चार परसैन्ट खर्चा की हरियाणा के लोगों पर पड़ेगा वरना 98 परसैन्ट बौझ दूसरे प्रान्तो पर पड़ेगा क्योंकि एफ.सी. आई. हरियाणा में जो वीट और राइस खरीदेगी वह दूसरे प्रान्तो को िाफट हो जाएगा ओर एफ.सी.आई. को यह सैस देना पड़ेगा इसलिए मै कहना चाहता हूं कि हरियाणा के लोगों पर किसी प्रकार का बोझ नहीं पड़ेगा न भाहर के लोगो पर पड़ेगा और न ही गांव के लोगो पर पड़ेगा। जनरल सेल्ज टैक्स की अमैण्डमेंट के बारे में फाईनैस जो आम लोगो के इस्तेमाल की हैं, रोज के काम में आने वाली हैं नहीं बढाई जाएगी बल्कि जो लग्जरी आइटम्ज हैं, आम लोगों के इस्तेमाल की चीजे नहीं हैं उन पर इंक्रीज होगी इसलिए एक परसैन्ट इंक्रीज को अनजस्टिफाईड नहीं कहा जा सकता हैं।

अध्यक्ष महोदय, जहां ता कार्पोरे इन की वर्किंगे का सवाल है, फाईनैस मिनिस्टर साहब ने कहा है कि सरकार की पूरी कोशिश है कि सारी कार्पोरे इन ठीक काम करे और उनमें घाटा न हो। इन सारी बातों को देखते हुए मैं सदन की इजाजत चाहूंगा कि इस बिल को इन्ट्रोडफयूस करने की इजाजत दी जाए।

Mr. Speaker: Question is -

That leave be granted to introduce the Haryana Gernerall Tax (Amendment and Validation) Bill, 1983.

The Motion was carried.

Irrigation and Power Minister(Chaudhri Shamsheer Singh Surjewala): Speaker, Sir I introduce the bill.

(ii) दि फरीदाबाद कम्प्लैक्स (रैगुले इन एंड डिवैल्पमेंट) अमेंडमेंट बिल, 1983

Minister of State for Lacial Government (Shri A.C. Chaudhry): Mr. speaker, sir I beg to move—

That leave be granted to introduce the Faridabad Complex(Regulkation and Development) Amendment Bill, 1983.

Mr. Speaker: Motiod Moved—

That leave be granted to introduce the Faridabad Complex(Regulkation and Development) Amendment Bill, 1983.

श्री मंगल सैन (रोहतक): अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने फरीदाबाद कम्पलैक्स (रैगुले इन एण्ड डिवैलपमेंट) अमैण्डमेंट बिल सदन में इन्ट्रोड्यूस करने के लिए परमिशन चाही है। स्पीकर साहब, हरियाणा और पंजाब के पुनर्गठन के बाद फरीदाबाद का महत्व बहुत बढ़ गया है। वहाँ पर दिल्ली के उद्योगपतियों ने काफी उद्योग लगाए हैं। देश भर के मजदूर अपनी रोटी कमाने के लिए वहाँ पर आए हुए हैं। वहाँ पर ज्यादातर मध्यम श्रेणी के लोग और लोअर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं। किसानों की धरती से जो प्रोडक्ट्स होती हैं वह वहाँ के लोगों को फीड करती हैं। पहले तो वहाँ पर म्युनिसिपल कमेटी थी। फरीदाबाद टाउनशिप तो केन्द्रीय सरकार ने बनाया था लेकिन उन्होंने वहाँ पर एक कम्पलैक्स बनाया है और यह प्रवाधान कर दिया है कि दस साल तक चुनाव नहीं होंगे। इस साल के बाद उसको ग्यारह साल कर दिया और अगर ये बारह साल करने की इजाजत मांग रहा है। स्पीकर साहब, डैमोक्रेसी में इस सरकार द्वारा लोगों को उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है। यह सरकार टैक्स तो वहाँ से ले रही है। लेकिन चुनाव नहीं कराना चाहती। डैमोक्रेसी का जो ऐसैन्स है जो उनकी जान है वह लोगों की कन्सैन्ट के साथ गवर्न होनी चाहिए। सारे अफेयर्स को डील करने का लोगों को अधिकार होना चाहिए। लोगों से पूछना चाहिए। सारे अफेयर्स को डील करने का लोगों को अधिकार होना चाहिए। लोगों से पूछना चाहिए कि तुम्हारा नुमइन्दा कौन है? स्पीकर साहब, वहाँ का एक एडमिनिस्ट्रेटर है जो एक बहुत बड़े आदमी

का दामाद हैं। वहा के लोग और विधायक दोनो ही ब्यूराक्रेसी से परे जान हैं। मेरा कहना यह है कि वहा पर लोगों को जो उनका मूल अधिकार हैं वह मिलना चाहिए ओर अपने अफेयर्ज को कन्ट्रोल करने का अधिकार लोगों के नुमाइंदो को होना चाहिए। फरीदाबाद की जनता को चुनाव का मौका मिलना चाहिए। मैं मिनिस्टर महोदय से कहना चाहता हूं कि अगर आप चुनाव कराने का बिल लाते हैं तो वहां के लोग आपको फूल मालाओं से लाद देते और आपकी तारीफ करते लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह बिल सदन में न लाया जाए और मैं इसका विरोध करता हू।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, ये जो फरीदाबाद कम्पलैक्स (विनियमन तथा विकास) संशोधन विधेयक, 1983 को यहां पर इन्ट्रोड्यूस करने की इजाजत मांग रहे हैं। यह ठीक नहीं हैं। मेरे विचार से तो इस बिल को यहां पर लाने की इन्हे इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। (गोर एव व्यवधान)

सिंचाई तथा बिजली मंत्री(चौधरी भामदेव सिंह सुरजेवाला): स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि रूरज के अनुसार इस स्टेज पर इस बिल पर डिस्कशन नहीं हो सकती। यह गलत रिवायत है।

श्री अध्यक्ष: यह आवजैविक तान रेज कर सकते हैं।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मेरी समझ में नहीं आता कि ये ट्रेजरी बेन्चिज वाले इस बिल को इतनी जल्दी यहां पर इंट्रोड्यूस क्यों करना चाहते हैं, यह एक गलत रिवायत है। इसमें 17 पंचायतें इंचालवड हैं। गलत तरीके से किसानों की जमीनें एक्वायर कर रहे हैं। इसलिए हमें इस बिल की इंट्रोडक्शन पर बिल्कुल एतराज है। इतनी गलत बात ये लोग करने जा रहे हैं और फिर कहते हैं कि हमें यहां पर बोलने का इस स्टेज पर कोई हक नहीं है। स्पीकर साहब, वहां के गांव के गांव उजाड़ रहे हैं। झांक सेंजली एक गांव है, वहां की जमीन बड़ी ही उपजाऊ है। वहां पर हद से ज्यादा गेहूं और सरसों की पैदावार होती है और उसी जमीन को उजाड़ की ये वहां पर क्लोनीज बनाने के लिए जमीन एक्वायर कर रहे हैं। स्पीकर साहब, यह बिल एक एन्टीपीपल बिल है और इससे किसी गरीब आदमी का या किसान का कोई भला नहीं होने वाला है। आप को पता है कि फरीदाबाद एक गन्दगी का घर है वहां पर मच्छर ही मच्छर हैं। जिससे बीमारियां फैल सकती हैं। इस तरफ सरकार को पहले ध्यान देना चाहिए लेकिन यह सरकार उपजाऊ जमीनों को नाश करने में लगी हुई है। यह बिल केवल कुछ चन्द लोगों की भलाई के लिए ही यहां पर लाया गया है। इसलिए मैं आपकी मारफत सरकार से यह कहूंगी कि इस वक्त यह बिल यहां पर लाना गरीब किसानों के साथ घोर अन्याय करना है। यह गलत रिवायत डालना है। इस बिल को वापिस लिया जाना चाहिए। स्पीकर साहब, असल बात तो यह है कि ये लोग किसानों की उपजाऊ जमीनों को हड़पना

चाहते हैं इसी लिए बिल ला रहे हैं। मैं इसका सख्त विरोध करती हूँ और इन ट्रेजरी बेंचिज पर बैठे अपने भाइयों को आपके द्वारा फिर कहती हूँ कि यह एन्टी पीपल बिल है, इससे लोगों का भला नहीं होने वाला है, इसलिए इस बिल को वापिस ले लिया जाए।

स्थानिय भासन राज्य मंत्री(श्री ए.सी. चौधरी): स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से डा० मंगल सेन जी की बात जो इन्होंने इलैक्ट्रान के बारे में कही, का जवाब देना चाहता हूँ। (गोर एव व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब, आप इलैक्ट्रान की बात बीच में न लाए। आप यह बातए कि इस बिल को लाने की क्या आवश्यकता है।

श्री ए.सी.चौधरी: आज स्पीकर साहब, यह बिल इस लिए यहां पर इंट्रोडयूस किया गया है क्योंकि इसकी टर्म एक्सपायर हो रही थी। इस की टर्म एक साल और बढ़ाने के लिए यहां पर लाया गया है। जब तक हम बार्डबन्दी नहीं करेंगे जब तक इलैक्ट्रान नहीं करवाये जा सकते। अगर इसका इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो इसके स्ट्रक्चर की वैल्यू क्या रहेगी? जमीन एक्वायर जरूर हुई है लेकिन मेरे विचार में अगर आप लोगों से पूछें, पंचायत वालो से पूछे तो वे सभी इन बातो को कंडैम करेंगे। अतः इस बिल में चूंकि आपत्ति वाली कोई कात नहीं है, इसलिए स्पीकर साहब, इसे इंट्रोडयूस करने की आज्ञा दी जाए।

Mr. Speaker: Questionis -

That leave be granted to intorduce the Punjab Ayurvedic and Unini Practitioners (Haryana Amendment) bill 1983.

The motion was carried.

Health Minster(Shrimati Parsanni Devi): Sir, I Introduce the bill.

(iv) दि हरियाणा फौरेस्ट डिवैल्पमेंट बिल, 1983

Revenue Minister(Chaudhri Phool Chand): Sir, I beg to Move—

That leave be granted to intoduce the Haryana Forest Development Bill, 1983.

Mr. Speaker: Motion Moved—

That leave be granted to intoduce the Haryana Forest Development Bill, 1983.

श्री वीरेन्द्र सिंह(नारनोंद): स्पीकर साहब, जब से यह फौरेस्ट डिवेलपमेंट बोर्ड का आर्डिनैन्स हरियाणा के विधायकों के सामने और आम जनता के सामने आया है, तब से आम लोगों में इसकी खासी आलोचना हुई है। गवर्नर अड्रैस पर और बजट स्पीच पर डिसकान के दौरान भी इस बारे में काफी आलोचना हुई है। स्पीकर साहब, कनकरैन्ट और तीसरी स्टेट लिस्ट हैं। पहले यह मामला यूनियन लिस्ट में आता था। लेकिन 1976 मे जब 42वीं

अमैन्डमैन्ट कांस्टिट्यूट्रान मे हुई, उसके बाद यह मामला बना हुआ है और फोरैस्ट डिवैल्पमेंट बोर्ड बनाना उसके अनुकूल नहीं है तथा इस सम्बन्ध में मामला हाई कोर्ट में चैलैन्ज हुआ है। इस बारे में अखबारों में भी काफी चैलैन्ज हुआ है। इस बारे में अखबारों में भी काफी खबरें आती रही हैं। उस दिन श्री फूल चन्द मुलाना जी ने इब प्र नो का उत्तर दिया ये कुछ पत्रों को और उनको अपने पास इस तरह छिपा रहे थे जैसे कि उनके पास ये लैटर बड़े ही सुरक्षित हों। मैं उनको यह बाताना चाहता हूँ कि वे सभी पत्र मेरे पास मौजूद हैं। अगर वे कहे तो मैं उनको पढ़कर भी सुना सकता हूँ कि वे कौन कौन से लैटर हैं और उनका क्या मजबूत है। पता नहीं मंत्री जी उस दिन क्यों उनको छुपाये हुए थे। अगर आप चाहे तो मैं उस लैटर का नम्बर, डेट और सब्जेक्ट मैटर बता सकता हूँ। यह सब जो फोरैस्ट डिवैल्पमेंट बोर्ड बनाने जा रहे हैं, यह पहले के फोरैस्ट एक्ट की कन्ट्राडिक्शन में है इसलिए ऐसा कदम मत उठाओ। उन्होंने यह भी कहा कि आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उनके हिसाब से तो जो यूनियन गवर्नमेंट रिटन स्टेटमेंट फाईल करना चाहती हैं। वह कन्ट्राडिक्ट हो जाएगी। गवर्नमेंट आफ इन्डिया ने इनको एक तरह से वार्न किया है। कि यह बिल्कुल गलत बात है। इसका कोई हिसाब नहीं, सारे असैट्स और सारी लाईबिलिटीज बोर्ड को दे दी। वह बोर्ड ट्रेड भी करेगा। इस तरह से उसका बहुत वाईड स्कोप बना दिया गया है। चौधरी फूल चन्द जी एम.ए.एल.एल.बी. हैं बहुत समझदार और बढ़िया आदमी हैं। ये बहुत एफींटेण्टली काम कर रहे थे।

मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने खुद ब्यान दिया हैं कि सभी बोर्ड और कार्पोरे इन घाटे मे जा रहे हैं लेकिन फिरप भी मंत्री जी अपनी पावर क्या घटा रहे हैं और क्यो न्यूटरपेलाइज हो रहे हैं? स्पीकर साहब, इस बोर्ड को बनाने मा औबजैक्ट यह बताया गया है—

“..... for the constitution fo an alternative and effective agency for the implemenation of the massive programme.”

स्पीकर साहब, हरियाणा प्रान्त मे जब सारे बोर्डज और कार्पोरे इनज टोटल फेलयार हैं तो यह बोर्ड सारे हरियाणा प्रान्त की काया कल्प केसे बदल देगा? मै कहता हूं कि इससे मंत्री जी न्यूटरेलाठज होकर रह जाएंगे। Why is he intersted in his suicide only God Knows. मै तो मुख्य मंत्री और ट्रेजरी बैचिज के मैम्बरो से यही कहना चाहता हूं कि इस पर फिर गौर कर लें। आप जिसे अकामोडेट करना चाहते हैं, उसको ओर कही भी कर सकते हैं। इनके बहुत लम्बे हाथ हैं। परन्तु इस प्रकार से तो जो आपको 35—36 करोड़ रूपया मिलने जा रहा हैं वह बर्बाद न हो जाए। यहां पर जो भी बेदार मैम्बर बैठे हैं मै उनसे कहूंगा कि वे इस बिल को इन्ट्रोड्यूस करने की परमि इन न दें और हमारे साथ 'नो' बोले।

डा० भीम सिंह दहिया(रोहट): स्पीकर साहब, फौरेस्ट डिवैल्पमेंट बोर्ड नही होना चाहिए, इस बारे में तो चौधरी बीरेन्द्र

सिंह जी ने बहुत कुछ कह दिया। मैं तो एक टैक्नीकल बात कहना चाहता हूँ। यह तो मूझे पता है कि बोर्ड का नाम तो ये यही रखेंगे क्योंकि ये मैजोरिटी में है। इसका नाम फोरेस्ट डिवैल्पमेंट बोर्ड रख गया है। डिवैल्पमेंट बोर्ड जो है यह एक स्पैसिफिक एक्टिविटी को प्वायंट बोर्ड रखा गया है। डिवैल्पमेंट बोर्ड जो यह एक स्पैसिफिक एक्टिविटी को प्वायंट आउट करता है लेकिन क्लोज 20 में जो डियूथीज की डैमिनि अन दी गई है उसमें बी.सी. आउ डी. जो है वे डिवैल्पमेंट एक्टिविटी नहीं है। उसमें लिखा है:— (b) to market the various products both raw and refined goods, inside and outside the State of Haryana; (c) to establish and manage industries based on forest produce; (d) to undertake trade in forest produce and to promote the development of forest resources in the State of Haryana. इसलिए या तो डिवैल्पमेंट भाब्द को ड्रॉप करके इसका नाम खाली फोरेस्ट बोर्ड रख लिया जाये या फिर फोरेस्ट डिवैल्पमेंट एण्ड मार्किटिंग बोर्ड रख लें।

राजस्व मंत्री(चौधरी फूल चन्द): स्पीकर साहब, बन विकास बोर्ड पर बोलते हुए चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने कुछ आपतियां उठाईं। उन्होंने पहली आपत्ती यह उठाई कि इसकी धाराएं भारत सरकार के फोरेस्ट एक्ट के विरुद्ध हैं। हमने कानूनी विशेषज्ञों से राय ले ली है। इस बोर्ड के बिल की कोई भी धारा केन्द्र के एक्ट से कन्ट्राडिक्ट नहीं करती और यह जो बोर्ड बनाया जा रहा है। यह भारत सरकार की नई वन विकास नीति को ध्यान में रखते

हुए बनाया जा रहा है। आपको मालूम है कि पिछले साल में भी हरियाणा सरकार की ओर से 6 करोड़ पोधे लगाये गये थे। आपको यह भी मालूम है कि जब पंजाब और हरियाणा अलग अलग बने तो दोनों प्रान्त ही वनों से वंचित रह गए थे और सारे वन हिमाचल में चले गये थे। हरियाणा में हम वन उगार रहे हैं। उनको उगाने के लिए और उनकी इफैक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिये एक ऐसी एजेंसी की आवश्यकता थी जिसके लिये यह बिल हम ला रहे हैं। (विधन) एक प्रिविलेज्ड डॉक्यूमेंट की बात कही गई कि मैं उसे छुपाता रहा। इस चीज को तो ये भी समझते हैं कि केन्द्रीय सरकार और प्रान्त की सरकार में कोई भी कम्यूनिकेशन हो that is a privileged document and that cannot be disclosed. पता नहीं वह किस रास्ते से डिस्कलोज हो गया या इन्होंने उसे कैसे पढ़ लिया? इसके लिये तो मैं इनको दाद देता हूँ। पता नहीं इन्होंने कैसे घुस पैठ करके उसका विवरण ढूँढ लिया। इन्होंने एक बात यह भी कही कि सारी की सारी पावर बोर्ड को दी जा रही हैं। ऐसी बात नहीं है, हम तो बिल ला रहे हैं उसमें पूरा कंट्रोल हरियाणा सरकार का होगा। कुछेक और भी आपत्तियाँ उठाई गईं। उनके बारे में मैंने एक सवाल का जवाब देते हुए बातया था कि मामला कोर्ट में है यानी सब-जुडिस है। कानूनी राय हमने ले ली है, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। दहिया साहब ने कहा कि बोर्ड का नाम ठीक नहीं है। दहिया साहब बहुत काबिल मੈम्बर हैं और मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि forest developement is the

specific pupose of this bill. Sale and marketing of forest is also one of the specific puposes of this bill.

श्री अध्यक्ष: प्र न है कि—

दि हरियाणा फौरेस्ट डिवैल्पमेंट बिल, 1983 को इन्ट्रोड्यूस करने की परमि ान दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

राजस्व मंत्री (चौधरी फूल चन्द): अध्यक्ष महोदय, अब मै बिल प्रस्तुत करता हूं।

(v) दि महार्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमैडमेंट) बिल, 1983

श्री अध्यक्ष: अब एजूके ान मिनिस्टर मूव करेगें कि महार्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमैडमेंट) बिल, 1983 को इन्ट्रोड्यूस करने की परमि ान दी जाए।

िक्षा राज्य मंत्री(श्री जगदी ा नेहरा): स्पीकर साहब, मै प्रस्ताव करता हूं—

कि महार्शि दयानन्द वि वविधालय (सं ाोधन) विधेयक, 1983 को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि महार्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमैडमेंट) बिल, 1983 को इन्ट्रोड्यूस करने की परमि ान दी जाए।

डा० भीम सिंह दहिया (रोहट): स्पीकर साहब, महार्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी ऐक्ट क्यो अमैंड हो रहा हैं इस बारे में कुछ कहना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, वहां के जो उपकुलपति हैं उन्होन कई सालो से बड़ा भाोर मचा रखा हैं। वे सरकार पर आरोप लगाते हैं कि यू.जी.सी. इस यूनिवर्सिटी को इसलिये रिकोगनाईज नही कर रहा हैं क्योंकि इसके ऐक्ट मे अमैंडमेंट नही हो रही हैं। स्पीकर साहब, असलियत यह है कि जब था। उन्होने सिर्फ एक औबजैव इन किया था कि आपका जो 1975 का ऐक्ट हैं उसमें लिखा हुआ हैं कि यह युनिवर्सिटी लाइफ साइंस को ऐडवांस करने के लिए बनाई गई है लेकिन हुआ क्या हैं कि कभी ला डिपार्टमेंट खोल दिया जाता हैं ओर कभी हिस्टरी डिपार्टमेंट खोल दिया जाता हैं लाइफ साइंस कि लिये कुछ नही किया गया जब इस औबजैव इन पर कुद कहा गया तो उन्होने कहा कि अगर आपने लाइफ साइंस डिपार्टमेंट नही बनाना हैं तो ऐक्ट चेज कर लिजिए। लेकिन इस समय हाउस के सामने उसक ऐक्ट की जा अमैंडमेंट लाई जा रही है इसमे उसके बारे में कोई जिक्र नही है वह यूं का यूं हैं। मै ज्यादा लम्बी कहानी मे नही जाना चाहता। मै इस बारे में सिर्फ दो तीन बाते ही कहना चाहता हूं। जो बिल हमारे सामने पे । किया जा रहा हैं इसमे बहुत गलत और खतरनाक बात हैं। यदि वे बाते यूं कि यूं रह गई तो यूनिवर्सिटी तबाह हो जाएगी। स्पीकर साहब, स्टैच्यूटस को बनाने का या उनाक अमैंड करने का हर यूनिवर्सिटी में एक प्रोसीजर होता हैं जो स्टैच्यूटस बनाए जाते हैं या जो भी अमैंडमेंट की जाती हैं उसको पहले ऐगजीक्यूटिव

कौंसिल परपोज करती है, फिर उसको कोर्ट ऐप्रुव करती हैं और उसके बाद चांसलर ऐप्रुव करता हैं। लेकिन इस बिल के जरिए जो अमेंडमेंट लाई जा रही हैं वह यह कि ऐगजीक्यूटिव कौंसिल के बाद कोर्ट की ऐप्रुवल की कोई जरूरत नहीं है वही फाईनल अथोरिटी होगी। ऐगजीक्यूटिव कौंसिल मे 15 मैम्बर होते हैं। अगर यह कह दिया जाए कि सारे रूलज कैबिनेट बनाएगी उन रूलज को हाउस के सामने ले जाने की कोई जरूरत नहीं हैं तो यह कभी नहीं होता ओर न ही ऐसा किसी दूसरे मुल्को में होता हैं। स्पीकर साहब, अगर यह बात महार्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी की ऐगजीक्यूटिव कौंसिल पर छोड़ दे तो आप अभी अंदाजा लगा सकते हैं कि वह क्या करेंगे। इसके अलावा दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि वाइस चांसलर को एक एमरजेंसी पावर दी हुई हैं। वह एमरजेंसी पावर कुरुक्षेत्र और महार्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को दी हुई हैं। वह पहले ऐक्ट में भी थी और इस ऐक्ट मे भी है। वह एमरजेंसी पावर यह है कि वाइस चांसलर जब जी चाहे, जब ठीक समझें अपने घर मे बैठ कर यूनिवर्सिटी के जो रूलज या स्टैच्यूटस हैं उनको बदल सकता हैं और ऐगजीक्यूटिव कौंसिल और कोर्ट की जो भी पावर्ज हैं उनको वह खुद यूज कर सकता हैं। इस किस्म की बात होने पर इस ऐक्ट की जरूरत ही नहीं हैं सिर्फ एक वाइस चांसलर अप्वायंट कर दिया जाए वह जब मर्जी रूलज बनाए औरप जब मर्जी उनको अमेंड कर दे। मैं सरकार से यही कहूंगा कि आप वाइस चांसलर पर कोई चैक लगाए ताकि यूनिवर्सिटी अच्छी तरह से चल सके। इसके

अलावा बहुत सी बातें हैं। जैसे वहाँ के टीचर्स की बात है इस बारे में मैं लिखित रूप से अमेंडमेंट सबमिट कर रहा हूँ और मैं आपसे दरखास्त करूँगा कि जब यह बिल कंसीडर हो उस समय मेरी वह अमेंडमेंट भी उस बिल के साथ जोड़ दी जाए।

शिक्षा राज्य मंत्री(श्री जगदीश नेहरा): अध्यक्ष महोदय, अभी दहिया साहब ने यह बात कही कि महार्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी के उप-कुलपती ने भाोर मचा रखा है और उसकी वजह से यूनिवर्सिटी के ऐक्ट में अमेंडमेंट लाई जा रही है। अध्यक्ष महोदय मैं इनको बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है इसकी वजह यह है कि यू. जी. सी के नौर्मज के मुताबिक उस ऐक्ट को बनाया जा रहा है। वह ऐक्ट यू.जी.सी. के नामर्ज के मुताबिक न बनाने की वजह से यूनिवर्सिटी को करोड़ों रूपए का नुक्सान हुआ है। यू.जी.सी. के नामर्ज के मुताबिक ही उस ऐक्ट में अमेंडमेंट की जा रही है। अब यू.जी.सी. ने 40-50 लाख रूपए देने का वायदा भी कर लिया है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस बिल को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।

Mr. Speaker: Question is—

That leave be granted to introduce the Maharshi Dayanand University(Amendment) Bill 1983.

The Motion was carried

Minister of State for Education (Shri Jagdish Nehra): Sir, I introduce the bill.

वर्ष 1983-84 के बजट पर अनुदानों की मांगों पर चर्चा

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब 1983-84 के बजट पर डिमान्डज फार ग्रांटस पर डिस्कशन होगी। पहली प्रैक्टिस के अनुसार और हाउस का समय बचाने के लिए आर्डरप पेपर पर रखी गई सभी डिमान्डज फार ग्रांटस एक साथ पढी गई तथा पेजों की गई समझी जाएगी। माननीय सदस्य किसी भी डिमांड पर डिस्कशन कर सकते हैं लेकिन बोलते समय वह डिमांड का नम्बर दे जिसके ऊपर बोलना चाहते हैं।

That a sum not exceeding Rs.5,48,36,520 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of the charges under Demand No.4 revenue.

That a sum not exceeding Rs.62,65,40,005 for revenue expenditure and Rs. 1,01,23,26,500 for capital expenditure be granted to Governor to defray Charges that will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of charges under Demand No. 15-Irrigation.

That a sum not exceeding Rs.40,33,88,750 for revenue expenditure and Rs.3,24,56,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of the charges under Demand nO.17-Agriculture.

That a sum not exceeding Rs.9,48,40,000 for revenue expenditure be granted to the governor to defray

charges that will come in the course of payment of the year 1983-84 respect of charges under Demand No. 18-Animal Husbandry.

That a sum not exceeding Rs. 13,21,33,100 for revenue expenditure be to granted the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of the charges under Demand No.21-Community Development.

That a sum not exceeding Rs. 4,73,03,000 for revenue expenditure and Rs.12,09,74,300 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of charges under Demand No.22-Cooperation.

16.00 बजें

चोधरी साहब सिंह सैनी(थानेसर): स्पीकर साहब, मैं डिमांड नम्बर 17 और 22 पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। डिमांड नम्बर 17 ऐग्रीकल्चर के बारे में हैं। स्पीकर साहब, गर्वनर ऐड्रेस में भी कृषि को बहुत ही ज्यादा महत्व दिए जाने के बोर में कहा गया है। इस डिमांड के जरिए 40 करोड़ 33 लाख 88 हजार 750 रूपए की राशि ऐग्रीकल्चर के लिए निर्धारित की गई है जोकि हाउस से मंजूर करवाई जा रही हैं। स्पीकर साहब, ऐग्रीकल्चर के लिए जो पैसा रखा गया है यह बहुत ही कम है। कृषि विभाग का बहुत बड़ा अदायरा है। इसमें से बहुत ज्यादा पैसा इस विभाग की ऐसटेब्लिमेंट पर खर्च हो जाएगा इसमें से

ज्यादातर पैसा जो कर्मचारियों/अधिकारियों की तनखाहें और भत्ते वगैरह हैं उसमें चला जाएगा। इसलिए इस पैसे से किसानों को कोई विशेष राहत मिलने वाली नहीं है। इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय गवर्नर साहब के ऐड्रेस में सिंचाई की जितनी भी स्कीन्ज हैं वे सारी की सारी पैसे के बगैर अधूरी पड़ी हैं यह पैसे के बगैर भुर्खु ही नहीं की गई हैं या पैसे की कमी के कारण बीच में ही बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा स्पीकर साहब, सरकार ने किसानों को कीटना एक दवाईयां देने की बात कही है। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य राव इन्द्रजीत सिंह पदासीन हुए।) चेयरमैन साहब, जो कीटना एक दवाईया ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और इफको की तरफ से किसानों को दी जाती है वही दवाई ओपन मार्किट में मिलती है। ओर उन दवाईयों में मिलावट पाई जाती है। चेयरमैन साहब कीटना एक दवाईयो में बहुत ज्यादा बंगला हुई है ओर किसानों को सबसीडाइज्ड रेट पर जो कीटना एक दवाईयो इफको और ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से दी जानी थी वही दवाई ओपन मार्किट में 200 या 300 रूपए की मिलती रही। इस तरह से कीटना एक दवाईयों में बहुत ज्यादा बंगलिक हुई है। इसी प्रकार से खाद की बात है। किसानों को जो खाद की मात्रा बहुत कम होती है। ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से किसानों को जो खाद सप्लाई की जाती है उन कट्टो में खाद का वजन कम होता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि यह जो इस डिमांड के जरिए सदन से जितने पैसे की मंजूरी ली जा रही है। ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के

अधिकारीयों को राहत देने कि लिए इस पैसे की मंजूरी ली जा रही हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कर्मचारियों/अधिकारीयों को तनखाहें और भते आदि देने के लिए पेसा मांगा जा रहा हैं। यह बहुत ही खतरनाक बात हैं। इसी प्रकार से गवर्नरप साहब के ऐड्रेस में ओर बजट स्पीच में यह कहा गया हैं कि हम किसानों को सस्ते दामों पर बीज देगें ओर खाद देगें तथा किसानों को हर तरह से राहत देंगे लेकिन जो पैसा एग्रीकल्चर के लिए दिया जा रहा हैं यह बहुत ही कम है इस पैसे से किसानों को बहुत ज्यादा राहत मिलने वाली नहीं हैं इस पैसे को बढ़ाया जाए। कृशि मंत्री जी हाउस में बैठे हैं मैंने इनको कुरुक्षेत्र जिले में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और इफको की इन्कवायरी के बारे में लिखित रूप में दिया हैं। उनकी इन्कवायरी की जाए। मुझे उम्मीद हैं कि कृशि मंत्री जी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और इफको की इन्कवायरी करवाएगी। इसकी अलावा चेयरमैन साहब, मैं डिमान्ड नम्बर 22 के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। डिमांड नम्बर 22 काप्रोरे इन डिपार्टमेंट के बारे में हैं। पिछले साल यानि 01.07.1981 से 30.06.1982 तक कोआप्रेटिव विभाग ने लैण्ड डिवैलपमेंट बैंका के जरिये हरियाणा राज्य में किसानो को ट्रैक्टर खरीदने , ट्यूबवैल लगाने तगि अन्य कार्यों के लिए लगभग 36 करोड़ 4 लाख रूपए का कर्ज दिया था। लेकिन अब 01.07.1982 से लेकर अब तक केवल 11 करोड रूपये को लोन दिया गया हैं। जबकि पिछले साल 25 करोड़ रूपये का लोन किसानो को अधिक दिया गया था। किसानों को जो 11 करोड रूपये कर्जा अग तक दिया

हैं। यह बहुत कम है जबकि कृषि वर्षा 30 जून को समाप्त हो रहा है। मैं यह समझता हूँ कि यह राशि बहुत कम है जो अभी तक दी गई इसे और बढ़ाया जाना चाहिए।

चेयरमैन साहब, इसी प्रकार से कोआप्रेटिव डिपार्टमेंट के तहत भी किसानों को ज्यादा से ज्यादा राहत देने का प्रोविजन होना चाहिए था। जैसा मैं पहले कह चुका हूँ कि जो राशि ये इन डिमान्डज के जरिए मांग रहे हैं यह राशि तो डिपार्टमेंट के अधिकारियों/कर्मचारियों के टी.ए.डी.ए. तथा तनख्वाह आदि पर खर्च हो जाएगी। किसानों को इस पैसे से कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं है। सहकारी विभाग के बारे में मैंने पहले भी बोलते हुए कहा है कि एक मिनी बैंक मोरथला। जिला कुरुक्षेत्र में एक धर्मबीर हुडा मैनेजर लगा हुआ था उसने लगातार दो साल तक युनिवर्सिटी का डी.पी.ई.डी. कोर्स रैगूलरली किया है और साथ ही साथ बैंक से तनख्वाह भी ड्रा करता रहा है। डिपार्टमेंट में इस तरह की जो बगलिग हो रही है। उसके बारे में भायद मंत्री महोदय को भी मालूम होगा। इसी प्रकार से कोआप्रेटिव इन्टीच्यू इन के तहत किसानों को जो राहत देने की बात कही गई है वह भी ठीक नहीं है। कान्फ़ैड की देहात के अन्दर जगह जगह पर दुकाने खुली हुई है। लेकिन उन दुकानों में किसानों के लिए कोई सामान नहीं पहुंच पाता है। कान्फ़ैड की जितनी भी दुकाने देहात के अन्दर हैं उनमें कोई सामान पूरा नहीं जाता। जो अच्छा अच्छा सामान होता है वह तो बिल्कूल ही नहीं पहुंच

पाता, उसको जो बड़े बड़े लोग बीच में ही उठा ले जाते हैं। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि किसानों को भी सारी चीजें इन दुकानों की मार्फत मिलनी चाहिए और किसानों के लिए अधिक सामान का प्रावाधान इन दुकानों में होना चाहिए। चेयरमैन साहब, कान्फ़ैड की दुकानों पर जो स्टाफ़ लगा रखा है वह बहुत ही ज्यादा है। इस स्टाफ़ को भी कम किया जाना चाहिए। उनके पास चूंकि कोई सामान बेचने के लिए नहीं होता इसलिए वे भी हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते हैं और पतन ख्वाह लेते रहते हैं। सरकार पर इस तरह का जो बर्ज़न है उनका कम किया जाना चाहिए। इस तरह का जितना भी नाजायज़ खर्चा होता है वह आम जनता पर ही पड़ता है। इसी प्रकार से भूगर्भ मिलावट की हमारे यहां हालत खराब है। प्राइवेट सैक्टर में यमुना नगर के अनदर जो मिल लगी हुई है वह तो फायदे में चल रही है और काआप्रेटिव सैक्टर में जो मिले लगी हुई है वे सभी की सभी घाटे में चल रही हैं। वे घाटे में इस लिए चल रही हैं कि वहां का ऐडमिनिस्ट्रेटिव ठीक नहीं होता उसका पता है कि साल या 6 माह के बाद उनकी बदली हो जानी है इसलिए वे रुचि लेकर काम नहीं करते। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि इस और भी सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए। गन्ने की जो कीमत आज किसानों को सरकार की तरफ से दी जा रही है उससे तो किसानों की गन्ने की कीमत की लगत भी पूरी हो पाती। सरकार 20 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से पेमेंट करती है जबकि उसकी कोस्ट इससे कहीं अधिक आती है। प्राइवेट जो क्रैफ़्ट या छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगी हुई है वे

तो 20 रूपए की बजाए सिर्फ 10-12 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से ही किसानों को गन्ने की पैमेंट करती हैं जिससे किसानों को बहुत ही घाटा हो रहा है। यमूनानगर में जो पूरी नाम के व्यक्ति की मिल लगी हुई है उसने तो किसानों के गन्ने को लेने की मात्रा भी कम कर दी है। पहले जिस किसी किसान से समय के अनुसार 100 ट्राली ली जाती थी अब पड़ते के अनुसार 20 या 50 कर दी हैं। जिससे किसान का गन्ना खेत में खड़ा रहेगा। उसे मजबूरन अब प्राइवेट क्षेत्र में जो इण्डस्ट्रीज लगी हुई हैं उनको 10 रूपये क्विंटल के हिसाब से ही देना होगा जिसके कारण यह बहुत ही घाटे में जाएगा। इस संबंध में मेरा सरकार को सूझाव है कि सरकार को गुड़ का एक्सपोर्ट करना चाहिए जिस गुड़ की कीमत बढ़ सके और जो लोग क्रेटान लगाए हुए हैं वे किसान को अधिक से अधिक गन्ने का मूल्य दे सके। यदि किसानों की समस्या की तरफ ध्यान न दिया गया तो मजबूरन किसानों को पहले की तरह अपने गन्ने के खेतों में आग लगानी पड़ेगी। इस डिमांड में भी किसानों को राहत देने वाली कोई बात नजर नहीं आती। चेरमैन साहब, मैं एक बात और लैण्ड डिवेलपमेंट बैंक के बारे में कहना चाहता हूँ। लैण्ड डिवेलपमेंट बैंक की तरफ से किसानों को ट्रैक्टर खरीदने व इंजन आदि खरीदने के लिए कर्ज दिया जाता है लेकिन यह कर्ज किसान को न देकर बैंक डीलर को देता है जिसमें सामान खरीदना होता है। इस तरह डिलर को सीधा पैमेंट करने से बैंक के एम्पलाईज और डिलर मिल कर बिच में कमी न खा जाते हैं जिस के कारण किसान को सफर करना

पड़ता है। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि इस प्रकार का लोन किसानों को दिया जाए वह सीधा किसानों का ही दिया जाए न की डीलर को। सीधा लोन उसे मिलने से वह अपनी चीज कहीं से भी खरीद लेगा और उसे सफर नहीं करना पड़ेगा। 500-700 रूपए का जो कमी इन ऐम्पलाईज और डीलर मिल कर खा जाते हैं उससे किसान बच जाएगा। इस संबंध में मेरी पुनः सरकार को प्रार्थना है कि पैसा सीधा एग्रीकल्चरिस्ट को दिया जाना चाहिए। इन भाबदों के साथ चेयरमैन साहब, मैं आपका धन्यावाद करते हुए अपना स्थान लेता हूँ और जिन डिमांडज के तहत ये पैसा मांग रही है मैं उन का विरोध करता हूँ।

प्रो० सम्पत सिंह(भट्टूकला): चेयरमैन साहब, सबसे पहले मैं डिमाण्ड नमबर 4 के बारे में बोलना चाहता हूँ। यह 5,48,36,520 रूपए की डिमाण्ड राजस्व विभाग से संबंधित है। यह बात ठीक है जो पैसा ये मांग रहे हैं उसे खर्च किया जायेगा। मैंने पहले भी बातया है कि हरिजनो के पास जमीन नहीं है, यदि है भी तो बहुत कम है। जिन लागो के पास जमीन थी उनकी जमीन सरप्लस लेण्ड में आ गई। 1965 से ऐसे केसिज चले आ रहे है जिन्हे जमीन पर काम करते हेँए आज 20-20 साल हो गए है लेकिन उनको कब्जा उस जमीन का आज तक नहीं मिल पाया है। ऐस जमीनो पर अधिकतर हरिजनो का कब्जा है, उनको आज की सरकार बसाने की बजाये उखाड रही है। इसी तरह से जो लोग पाकिस्तान से आये थे उनको भी यहां पर जमीन अलाट होनी थी।

कुछ लोगों को जमीन अलाट होने से रह गई थी। चेयरमैन साहब, हालत यहां तक खराब है कि जो लोग पाकिस्तान में ही मर गए हैं उनके नाम भी मरने के बाद जमीन अलाट करवाई जा रही हैं। चेयरमैन साहब, यह बड़े राज की बात है। बड़ी महंगी जमीन को जिसकी किमत 500-700 रुपये एकड़ हैं, रि वत ले करके बेचा जा रहा है। सरकार के जो उच्च कोटी के लोग हैं उनक लोगो के साथ मिलीभगज करके कुछ बोग बीच में कमी न ले रहे हैं। झूठे आदमियों के नाम गलत ढंग से जमीन अलाट करवाई जा रही हैं। चेयरमैन साहब, इतना ही नहीं आज हरियाणा के अन्दर सिर्फ तीन व्यक्तियों को ही पावर आफ अटार्नी दी हुई है। इनमे से एक अबूब गहर को कोई शिवनारायण हैं, एक कोई जुलाना का ब्यक्ति हैं और तीसरा रोहतक का कोई मि.अरोड़ा हैं। आज हरियाणा के अन्दर इन्ही सिर्फ तीन व्यक्तियो पास पावर आफ अटार्नी हैं। यह सरकार आज किसानों को एक रुपये तक देने के लायक नहीं रही है। चेयरमैन साहब, आज ये एग्रीकल्चर के संबंध में करोड़ो रुपये कि डिमांड मांग रहे हैं। आज प्रातः ही आपने अखबार पढा होगा जिसके अन्दर सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने हरियाणा सरकार को बुरी तरह लताडा है। केन्द्रीय सरकार ने कहा है कि पांच साला योजना जो थी उसके अन्दर 55 करोड़ रुपये रखे गये थे। अब तक इस सरकार ने मुक्ति कल से 20 करोड़ रुपया ही खर्च किया है। यह पैसा भी तीन साल में खर्च किया है। हमारे सैन्ट्रल गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर मिनिस्टरप बड़े सुलझे हुए हैं। पता नहीं उनका कही कही जरूर गडबड़ है। सैन्ट्रल गवर्नमेंट की और

हरियाणा सरकार की आपस में अनबन हो गई है जिसकी वजह से हरियाणा सरकार को लताड़ना पड़ा है। इस सरकार को बदल जाना चाहिए क्योंकि हरियाणा दिन प्रतिदिन सफर करता जा रहा है। पैसा ठीक जगह इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है जिस कारण यह पैसा लैप्स होता जा रहा है। हरियाणा के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वे भी बड़े सुलझे हुए और योग्य हैं पता नहीं इन्हें अब क्या हो गया है? पिछले दिनों जब ये पब्लिक अंडर टेकिंगज कमेटी के मैम्बर थे तो बड़ी बहादूरी के साथ काम किया करते थे। इन्होंने एग्री इण्डस्ट्रीज कारपोरेट्स में बड़ी बहादूरी के साथ कमियां निकाली थी और उन कमियों को दूर करने के लिए सुझाव दिये थे और पत्र आग्रह किया था कि अगर ये सुझाव मान लिये जाएं जो कारपोरेट्स इन का काम ठीक हो जाएगा लेकिन श्री भजन लाल कम्पनी को जवाब देने के बाद इनको भी कुछ हो गया है। ये भी कुछ कर नहीं पाते हैं। हां इनको कुछ न कुछ ितिकायत जरूर रहती है। हमको इनसे बड़ी उम्मीद थी लेकिन अब वे कुछ करते ही नहीं। इनको सारे लूप होल्डिंग का पता है मुझे भी पता है। पी. आर.ओ. चाहे किसी को लगा दो चाहे किसी को हटा दो मुझे इससे कोई वास्ता नहीं है। दक्ष कुमार जैसा कौन है। इसको किस तरह हटाया गया, किस तरह से गडबड की गई है जिसकी वजह से किसको दिलचस्पी है इससे हीमे कोई ताल्लुक नहीं है। चेरमैन साहब, मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि आज सीड कारपोरेट्स इन का बहुत बुरा हाल है। सीड कारपोरेट्स इन बना तो रखी हैं लेकिन यह कारपोरेट्स इन करती क्या है यह मैं आपको

बताना चाहता हूँ। इस कारपोरे इन मे एक गैंग बना हुआ है खास तोर से हिसार मे बना हुआ है हिसार में पिछले दिनों मे स्कैंडल हुआ थां यह आपका पता है। इस कारपोरे इन ने 14 हजार क्विंटल चना सीड के लिए खरीद लिया ओर यह चना बहुत घटिया था। कम रेट पर खरीद लिया और 400 रूपये क्विंटल यानी दूगने रेट पर किसानों को बेच दिया। लैबोरिटी मे जब इसको टैस्ट करवाया गया तो लैबोरेटरी वालो ने इसको सब-स्टैंडड घोशित कर दिया। इस कारनामे से सीड कारपोरे इन का कुछ नही बिगडा। अगर बिगडा है तो स्टेट का बिगडा है स्टेट को नुकसान हो गया और जिस किसान ने बीजा है उसका नुकसान हुआ। कारपोरे इन का कुछ नही बिगडा। अब सुना है कारपोरे इन ने इस सीड को औक् इन कर दिया। इस तरह से लाखो रूपया का हरियाणा गवर्नमेंट को इस कारपोरे इन की वजह से नुकसान हुआ है। सीड को बड़े अच्छे तरीके से तैयार किया जाना चाहिए, इस पर सारी स्टेट निर्भर लोगों को फायदा हो औरप स्टेट की प्रोडक् इन बढें। हरियाणा का किसान महेनती है रात दिन मेहनत करता है लेकिन इस प्रकार के बीज सप्लाई करने में उसके पल्ले कुछ नही पडता । इसका मेन कारण यीह है कि अच्छे बीजों की कमी है ओर इस औब्जेक्ट को अचीव करने के लिए यह कारपोरे इन नाकामयाब है। यही हाल फर्टिलाईजर का है। आज फर्टिलाजर पर सबसिडी मिलती है। अच्छी बात है सबसीडाइज्ड रेट पर खाद मिले, लेकिन इस सबसीडी को बीच के कुछ लोग खा रहे हैं। जिन लोगों का इसके साथ वास्ता है। वे खाद खा रहे

हैं। टोहाना में फर्टिलाईज और विडीसाईड की डिस्ट्रिक्टु इन में घपला हुआ है। जब फर्टिलाईज और विडीसाईड की डिस्ट्रिक्टु इन हो रही थी तो किसी ने डी.सी. हिसार को टैलीफोन किया था कि बोगस परमिट काटे जा रहे हैं और खाद नाजायज तरीके से खाया जा रहा है। इस तरह घपलो में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बिलिंग कर रहा है बिलिंग तो करनी ही पड़ेगी लेकिन चेयरमैन साहब, वहां पर ऐसे इन्फ्लूएण्ड आदमी बैठे हैं जिनके प्रभाव से हमारे मिनिस्टर कुछ कर ही नहीं सकते। करते भी कैसे क्योंकि यह मुख्यमंत्री के लेवल की बात है। सारी खाद एक ही आदमी खा रहा है। टैलिग्राम देनेप के बावजूद भी इन्कवायरी नहीं हुई कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा पता लगा है कि उंचे दर्जे के लोग इस में इनवाल्व्ड हैं। चेयरमैन साहब, अगर ये इन्कवायरी करवाएंगे तो हम साबित करेगे और इस इन्कवायरी में इसकी मदद करेगे, इसको इस बात की चिन्ता नहीं करनी चाहिए। इस तरह एग्रे इंडस्ट्रीज कार्पोरे इन आज अढ़ाई तीन करोड़ रूपये के घाटे में डूबी पड़ी हैं। इसके अरैटस साढे 6 करोड़ रूपए के हैं और जायबिलिटीज साढे 10 करोड़ रूपये की है। यह हाल है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का। इसके अलावाप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने मैलाथीन परचेज करने के लिए आर्डर दिए थे। जब खरीद चुके तो पता लगा कि इसमें खराबी है। लैबोरेटरी में जब टेस्ट करवाया गया तो लेबोरेटरी ने इसको सब-सटैंडर्ड घोशित कर दिया। टेस्ट करने के लिए इसको सेंद्रल इंयुटीच्यूट में भेजा गया। जिस सैम्पल को लेबोरेटरी ने पास किया उस सैम्पल की मैलाथीन को

किसानों को बेच दिया गया। जिन किसानों ने इसको इस्तेमाल किया था उन्होंने कह दिया कि इस दवाई ने तो फसलों का नाश कर दिया। फिर दोबारा लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए भेजा गया। फिर लेबोरेटरी ने इसको सब-सैंडर्ड घोषित किया। लेकिन चेयरमैन साहब, ऐग्री इन्डस्ट्रीज कार्पोरेट को इन बातों की जरा भी परवाह नहीं है। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या ऐग्री इन्डस्ट्रीज कार्पोरेट को कोई प्राइवेट कम्पनी है जो जैसा चाहे करती रहे? इस कार्पोरेट में जितना पैसा लगा है। वह हरियाणा सरकार का लगा है। इसलिए इस ढंग से पैसे को वेस्ट नहीं करना चाहिए। चेयरमैन साहब, इसी तरह से पिछले दिनों में हमारे यहाँ हायर परचेज बेसिस पर 2 लाख रुपये की वसूली ट्रेक्टर कई एन्टरप्राइजेस को दिए गए थे लेकिन तीन साल के बाद इस रुपये की वसूली नहीं हुई। फिर यह रूपया कि तों पर देने का हुकम जारी हुआ लेकिन फिर भी कार्पोरेट को पैसे नहीं मिले क्योंकि जब पैसा बकाया है वे इसी कार्पोरेट में नौकरियाँ कर रहे हैं। जब ये लोग नौकरियाँ कार्पोरेट में कर रहे हैं तो यह पैसा इनकी तनखाहों में क्यों नहीं काटा जा रहा? यह पैसा इन लोगों से वसूल होना चाहिए।

चेयरमैन साहब, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड फूड प्रोसेसिंग प्लांट मूरथल में है। वहाँ पर जूस, जैम वगैरह कई चीजें बनती हैं। भले राम जी के मुँह में पानी आ रहा है। (हंसी) वहाँ पर सरसों का साग तैयार होता है। अगर यहाँ पर सही ढंग से काम

चलाया जाए तो काफी प्रोफिट हो सकता है। लेकिन आप हैरान होंगे यहां भी 70-80 लाख रूपए का घाटा है। अब आप पूछेंगे यहा क्या हो रहा है? चेयरमैन साहब, इसके पहले जो चेयरमैन साहब, हुआ करते थे वे विदे 1 यात्रा पर गए थे यह बात इस रिपोर्ट से पता चलती है। विदे 1 जाकर तकरीबन 16-17 हजार रूपए का आर्डर लेकर के आए लेकिन खर्चा इससे दूगना करके आए। इस सोदे मे हमे एक पैसा नही मिला। यह आर्डर एक कम्पनी से ले कर आए थे। लेकिन हमें एक पैसा फायदा नही हुआ। इसी तरह से इन के एयर क्राफ्टस का हाल है। तीन एयरप क्राफ्टस तो पहले ही डस्पोज आफ कर दिये और एक सोहना के पास पड़ा है। पता नही इसका क्या करेंगे। इसके बारे में मैने एक काल अटैन्डान्स मोडान दी थी, उसका पता नही क्या बना? मेरा कहने का मतलब यह है कि सारे के सारे एग््रीकल्चर डिपार्टमेंट का भट्ठा बैठ रहा है।

चेयरमैन साहब, इसी तरह कोआप्रेटिव डिपार्टमेंट मे हो रहा है। कोआप्रेटिव डिपार्टमेंट में तो इससे भी बुरा हाल है ये किसान के बेटे हैं इनका चाहिए कि किसान को कोओप्रेटिव सोसायटीज से ओर बैंको से लोन दे और इस लोन पर इन्ट्रैस्ट कम करें। मै कोआप्रेटिव मिनिस्टर को याद दिलाता हू कि आज किसान की हालत वही है जो 1935 में थी, जब छोटू राम हुआ करते थे। अगर सर छोटू राम कर्ज का बिल पास न करवाते तो आज किसान के पास जमीन न होती। आज भी किसान कर्ज में

दबा हुआ है, जैसे वह 1935 में दबा हुआ था। इसलिए मेरी सरकार से गुजरिए हैं कि किसानों के इस कर्ज को माफ कर दें। आज जितने भी मिल हैं वे सब के सब घाटे में चल रहे हैं। घाटा इसलिए है कि कुछ आदमी फायदा उठा रहे हैं। करण उन कर लेते हैं। जैसे करनाल में एक तगड़ा बिजनैसमैन के ताललूकात हैं। वह 9-10 रुपए क्विंटल के करीब गन्ना खरीद लेता है और मिल में 20 रुपए क्विंटल के भाव से बेच देता है। किसान का गन्ना इस मिल में नहीं गया उस बिजनैसमैन का गन्ना गया और इस तरह से करोड़ों रुपया कमाया जा रहा है। चैयरमैन साहब, हांसी स्पिनिंग मिल की बड़ी आमदनी थी लेकिन आज यह भी घाटे में जा रही है। यह घाटा क्यों हो रहा है? यह हो रहा है मिस मैनेजमेंट और करण उन की वजह से। चैयरमैन साहब, यही हाल कोआप्रिटिव बैंकस का है। इनकी भी दयनीय हालात हैं।

श्री सभापती: आप वाईड—अप कीजिए।

प्रो. सम्पत सिंह: अभी दो मिनट में खतक करता हूँ। चैयरमैन साहब, कोआप्रिटिव डिपार्टमेंट में क्लर्कस, अकाउंटस क्लर्कस और जुनियर अकाउंटेंट की पोस्टे भी गईं लेकिन इन में कोई भी हरिजन कैंडीडेट नहीं लिया गया। इस बारे में हमारे साथी मैम्बरान ने जब एतराज उठाया तो मुख्य मंत्री जी, ने विवास दिलाया कि हरिजनों के लिए नवम्बर में फिर से इन्टरव्यू रखे हुए हैं। इन्टरव्यू हुए लेकिन पता नहीं एक नयी जाति हरिजनों में कैसे आ गई? भूप सिंह बि नोई, फतेहाबाद और राजेन्द्र सिंह

बिगानोई, अबोहर को सिलैक्ट किया गया। यह हरिजन जाति में कब से शामिल हो गए हैं? हरिजन जाति से ताल्लूक रखने वालों को लिया नहीं गया और दूसरे लोगों का रख लिया गया। हरिजनों को इस सरकार ने क्या इग्नोर किया जबकि लडके अवेलेबल थे?

श्री सभापति: आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है इसलिए आप वाइंड-अप करें।

प्रो० सम्पत सिंह: चेयरमैन साहब, अभी एक मिनट में खत्म करता हूँ। इसी प्रकार का हाल ऐनिमल हस्बैंडरी डिपार्टमेंट का है। हिसार जिले में एक लाईव स्टॉक फार्म है। उस फार्म में बड़ी अच्छी दूध देने वाली भैंसें और गायें रखी हुई हैं। वहां पर अभी पशु बड़ी अच्छी नसल के रखे जाते हैं। यह फार्म सारे एरिया में महार है। आज उस फार्म में इल पशुओं के चारे को एक आदमी खा रहा है। पशुओं को सही ढंग का चारा नहीं डाला जा रहा है। वह आदमी सुप्रिटेन्डेंट के पद पर लगा हुआ है। क्वालिफाईड न होते हुए भी वहां लगाया हुआ है क्योंकि वह मुख्य मंत्री जी, के हल्के का है। वह पशुओं के चारे के पैसे तो खा ही रहा है साथ दूध में पानी भी मिला रहा है। दूध की नकली परचियां भी पकड़ी जाती हैं तो वैंडर के खिलाफ एक्शन लिया जाता है उसे कोई पूछने वाला नहीं है। अगर अखबारों के छपवाते हैं तो धमकी दी जाती है कि मैं आप लोगों को देख लूंगा क्योंकि मेरी आगे तक पहुंच है। इस किस्म के हालात आज

हरियाणा प्रान्त मे पैदा हो रहे हैं। जिनकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए।

श्रीमती करतार देवी(कलानौर अनुसूचित जाति): चेयरमैन साहब, सब से पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आपने डिमान्डज पर बोलने के लिए मुझे समय दिया। मैं डिमान्डज नम्बर 4,17,18 और 22 पर अपने विचार रखना चाहती हूँ। मैं सदन को अधिक समय नहीं लेना चाहती क्योंकि अन्य आदरणीय सदस्यों ने भी अपने विचार प्रकट करने है। मैं थोड़े ही समय में अपने विचार रखने का प्रयत्न करूंगी। चेयरमैन साहब, डिमान्ड नम्बर 4 रेवेन्यू के बारे के है उस पर कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। रेवेन्यू का बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग हैं। हरियाणा प्रान्त का बेस हैं। विकास के क्षेत्र मे आगे बढ़ने के लिए पहला कदम हैं। बजट में भी और बीस सूत्री कार्यक्रम में भी इसे द र्ाया गया है। इस विभाग के कार्यक्रमो को इम्पलीमेंट करने से गरीब लोगों की उन्नति हो सकती है। जो तक गरीब लोगो को प्लाटस ओर सरपल्स लैन्ड देने की बात हैं। इस बारे में सरकार ने काफी कुछ किया हैं। यह तो नहीं कहा हा सकता कि इस बारे में सरकार ने कुछ भी नहीं किया लेकिन एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों को सरपल्स जमीन अलाट की गई हैं। उन्हे मुकदमैंबाजी मे पड़ा रहना पड़ता हैं। उन्हे जमीन तो अलज़ट हो गई लेकिन उसके कब्जे की सुरक्षा पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। वर्तमान कानून में इस किरस्म की कमियग्र हैं कि वह अपनी

जमीन की पूरी तरह से हिफाजत नहीं कर पाता है। चेयरमैन साहब, मेरा इस बारे में सरकार को सुझाव है कि जो वर्तमान में संतोषजनक हो। अगर यही कानून रहा तो गरीब आदमी को उस जमीन के अलाट करने को कोई भी लाभ नहीं है।

चेयरमैन साहब, प्लाटस के विषय में भी यही हालत है। मैं अपने हल्के कलानौरप के गांव से परिचित हूँ। प्लाटस कई बार हो चुकी हैं। एक बार अलौटमेंट उस समय हुई थी जब बन्दोबस्त हुआ था। बन्दोबस्त के टाइम पर गरीब लोगों को प्लाटस दिए गए फिर बीस सूत्री कार्यक्रम के आधार पर 100-100 गज के प्लाटस देने की बात की गई लेकिन देखने में आया है कि वही प्लाटस बार बार अलौट किये जा रहे हैं। (गौर) यह बात नहीं कह सकते कि कांग्रेस सरकार ने प्लाटस हरिजनो को अलौट ही नहीं किए हैं। प्लाट तो अलौट हुए हैं लेकिन जो पंचायत का सामूहिक रकबा छोड़ा जाता है उसके बारे में हर बार स्टेटमेंट में लिखा दिया जाता है कि हमारे गांव में एक या दो एकड़ ही अलौट किया जाता है। (गौर) चेयरमैन साहब, आज तो हमारी कांग्रेस पार्टी की नीतियां हैं उनके लिए भावी कदम उठाने पड़ेगे उनके बारे में सतर्क होना पड़ेगा ताकि उन नीतियों को सही रूप में इम्प्लीमेंट किया जा सके। अगर हम उन नीतियों का ठीक तरह से पालन नहीं करेंगे तो हमारी इमेज खराब होगी लेकिन जो इस डिमान्ड के थु पैसा मांगा है उसका तो मैं समर्थन करती हूँ क्योंकि यह बहुत ही बड़ा विभाग है। नये कार्यक्रम को चलाने के

लिए जितना अधिक पैसा मिले उतना ही अच्छा हैं। अपोजी इन के साथी कई बार तो अच्छी बातों का भी समर्थन नहीं करते हैं। बिना सोचे समझे ही कहना आरम्भ कर देते हैं कि वहा भ्रष्टाचार हैं अव्यवस्था हैं। जब वे इन बातों के बारे में बोलना शुरू करते हैं तो इन छोटी मोटी बातों में ही बात खत्म हो जाती है।

मेरे से पहले बोलने वाले भाई ने बिजली और सिंचाई के बारे में काफी कुछ कहा। मैं तो इस हाउस की पहली बार मेंबर बन कर आयी हू लेकिन जो भाई पहले से बन कर आए हुए हैं वे कांग्रेस सरकार और पिछली सरकार की नीतियों की तस्वीर को सामने रख कर सोचें जिस समय पार्टी की सरकार आयी थी तो लोगों के मन में यह विचार गि कि यह सरकार कांग्रेस पार्टी से अच्छा काम करके दिखलाएगी लेकिन कांग्रेस की सरकार से अच्छा काम नहीं कर पाई। चेरमैन साहब, विरोधी दल के भाईयो ने रेवेन्यू की डिमान्ड पर मजाब भी उड़ाया हैं। मैं उस टाइम की बातों को भूली नहीं हूँ। जिन गरीब आदमियों को थोड़े बहुत प्लॉटस दियो गये थे। उनके भी कब्जे जनता सरकार के टाइम में छीन लिये थे। हरिजनो के दिमाग से पिछली सरकार की बात आत तक निकली नहीं हैं। जितना उस समय कहा गया था उतना जनता पार्टी की सरकार नहीं कर पायी थी। जितना उस समय कहा गया था उतना जनता पार्टी की सरकार नहीं कर पायी थी। वे लोग आज भी किसान की भलाई का दावा करते हैं। उस टाइम बिजली और सिंचाई के लिए 144 करोड रूपया रखा गया था

लेकिन इस बार 235 करोड़ रूपया रखा गया है। वाटर कोसिर्ज और कैनालज को पक्का करने के लिए 200522 करोड़ रूपये का प्रबन्ध किया गया है। हमारी सरकार ने वर्ल्ड बैंक से इस बारे में ऐग्रीमेंट किया है। इससे इरीगे टन के पानी को ठीक प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकेगा।

चेयरमैन साहब, हमारी सरकार जितली भी अधिक से अधिक सरप्लस लैंड दे सकती थी उसके लिए प्रयास किया गया है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जितनी भी नई माईनर्ज इस सरकार के आने के बाद बनी हैं भायद इससे पहले कभी और किसी सरकार के समय नहीं बनी। मेसे अपने हलके कलानोर में पिलाला माईनर सन् 1962 में बननी आरम्भ हुई भी लेकिन इस सरकार के आने के बाद ही वह पूरी हुई है। चेयरमैन साहब, मेरे हलके में इरीगे टन की कमी है। मैं सरकार से अर्ज करूंगी कि गुडाना माईनर, बडौदी जाटान बडौछी रागड़ान आदि माइनर्ज के लिए मामला सरकार के अन्तर कन्सीडरे टन है। अगर उन्हे जल्दी से जल्दी कम्पलीट करा दिया जाये जो लोगो को काफी सहूलियत हो जाएगी। चेयरमैन साहब, हमारी अपोजी टन के साथी मजाक उड़ाते है। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि 20 सूत्री कार्यक्रम ने सामाजिक व्यवस्था में मोड दिया है ताकि गरीब आदमी ऊपर उठ सके। हम अपनी नीतियों के अनुसार अपने कर्तव्यो का पालन कर रहे हैं।

इसके अलावा मैं एक और बात पंजु पालन विभाग के बारे में कहना चाहती हूँ पंजु-पालन विभाग जिस में डेरी विकास और मछली विकास के लिए कुल मिला कर 1979-80 में 2.64 करोड़ रुपया रखा गया था उसके लिए इस साल बजट में 4.52 करोड़ रुपया रखा गया है। मैं इस बात के लिए सरकार को बधाई देती हूँ और यह समझती हूँ कि अगर हमारे विरोधी सदस्य ऐसी स्कीमों की नेगेटिव साईड की ओर सोचने की बजाए कुछ रचनात्मक सहयोग दें जैसे कैसे फार्म भरा जाता है कैसे और कहां से उनको कर्जा मिल सकता है और लोग की डे-टू-डे समस्याओं की ओर भी ध्यान दें तो अच्छा होगा। इससे हम लोग भ्रष्टाचार को रोकने में भी कामयाब होंगे। मैं समझती हूँ कि जितनी भी मांगें रखी गई हैं यह ग्रामीण विकास के लिए जायज है और मैं समझती हूँ कि जितनी भी मांगें रखी गई हैं यह ग्रामीण विकास के लिए जायज है और मैं उन का समर्थन करती हूँ। अब मैं कुछ सहकारिता के बारे में भी कहना चाहूंगी। सहकारिता के बारे में वे कहते हुए हमारे कुछ भाईयो ने इस मूवमेंट को कन्डैम किया है। मैं यह कहना चाहती हूँ कि अच्छा समाज बनाने का स्वपन तो हम ले रहे हैं कि हम समाजवादी समाज बनायेंगे लेकिन वह कैसे आएगा जब तक हम सहकारिता की बात को नहीं अपनायेंगे। जब तक हम इकट्ठे होकर मिल कर काम करना, इकट्ठे होकर रहना नहीं सीखेंगे तो कैसे हम समाजवादी समाज बना पायेंगे। जब तक हम इकट्ठे मिलकर रहने और काम करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन नहीं देंगे तब तक हम सामजवादी समाज की स्थापना में कामयाब

नहीं हो सकते। जब कोई चीज की जाती है तो यह होता है ही है कि उसमें कई बार कमियाँ रह जाती हैं। पहले हमने जब अफसर गृही पर कार्यक्रमों को छोड़ा था तो वह पूरी तरह से चौकस रहे। जो काम सहकारिता के क्षेत्र में हुआ है। वह समाज के निर्माण के लिए बहुत ही अच्छा काम हुआ है। अग जो काम कृषि के क्षेत्र में, सहकारिता के क्षेत्र में सिंचाई के क्षेत्र में और बिजली के क्षेत्र में किया जा रहा है वह समाजवादी व्यवस्था को कायम करने और हमारे मौजूदा समाज को बेहतर बनाने के लिए एक ईमानदाराना कदम है। मैं यह बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि हमारी सरकार पूरी तरह से जागरूक है। इस के साथ ही हमारी जिम्मेवारी भी बनती है कि हम भी जागरूक रहें। चैयरमैन साहब, मैं एक बात कहना चाहूँगी। मेरा हल्का कलानौर एक ऐसा हल्का है जो सब-अर्बन है। वहाँ पर हाई स्कूल भी और कालेज भी हैं। मेरे हल्के में एजूके इन तो बहुत ज्यादा है लेकिन एम्पलायमेंट के एवेन्यूज बहुत थोड़े हैं। इस वजह से हमें एजूके इन तो बहुत ज्यादा सामना करना पड़ रहा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। जब तक हम लोगों को पूरी तरह से रोजगार के अवसर प्रदान नहीं करा सकते, जब तक हम अपने आपको पूर्ण रूप से कामयाब नहीं कह सकते। इस लिए मैं आप के माध्यम से यह कहना चाहती हूँ कि मेरे इलाके में भी सहकारिता के क्षेत्र में कोई भी स्पनिंग मिल या जिनिंग मिल या कोई पेपर मिल लगाई जाए ताकि वहाँ पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहती।

जितना समय आपने मुझे बोलने के लिए दिया है, भायद मैं उससे भी एक दो मिनट कम ही लूंगी। जो मांगे यहा पर रखी बई हैं मैं समझती हूं कि ये जायज मांग हैं और मे इनका समर्थन करती हूं। यहां पर अपने माननीय सदस्य साथियों से यह भी कहना चाहती हूं कि हम सब को अपनी जिम्मेवारी का अहसास होना चाहियें। कोई अलोचना करने से पहले हमें जिन परिस्थितियों में हम रह जाते हैं अनक बारे में भी सोचना चाहिए। इनको यह भी सोचना चाहिये कि जब सत्ता इनके पास थी, तब इन्होने क्या किया था? आज ये लोग बहुत बढ-चढ कर बाते करते रहते हैं। अगर ग्रामीण भाईयो के विकास के लिए एक फण्ड बना दिया गया तो कोई गलत काम नही किया गया है। ग्रामीण विकास के लिए एक फण्ड बना दिया गया तो कोई गलत काम नही किया गया है। ग्रामीण विकास नाम की चीज आपके बजट में कभी थी ही नही। साढे चार करोड़ रूपया अब डी.ए.पी., आर.ए.डी.पी. और एन. आर. डी.पी के लिए रखा गया है। यह व्यवस्था इसलिए की गई हैं ताकि ग्रामीणो का विकास हो। चेयरमैन साहब, मैं सरकार का इस लिए धन्यावाद और आभार प्रकट करना चाहती हूं कि मेरे क्षेत्र के विकास के लिए सहकारिता के क्षेत्र में कोई न कोई मिल जरूर लगाई जाए और वहां पर कृशि और सिचाई की व्यवस्था अच्छी बनाने के लिए खुडाना माईनर और एक नयी माईनर बनाने के लिए जो प्रोपोजल भेजी हुई हैं उसको स्वीकृत किया जाए तथा उन माईनर्ज को जरूर बनाया जाये और जल्दी से जल्दी पूरा किया जाये। इन भाब्दों के सागि मैं इस बजट की डिमान्डज का

समर्थन करती हूं और आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।

बहन भान्ति देवी (करनाल): चेयरमैन साहब, सरकार को लोगों की भलाई के काम करने के लिए राजस्व की जरूरत होती है क्योंकि जब तक पैसा नहीं होगा, कोई भी कार्यक्रम चल नहीं सकता। मेरा कहना यह है कि राजस्व की वसूली के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए। हमारा यह प्रयत्न भी होना चाहिए कि जो खेतीबाड़ी पर कोई टैक्स है या इन्कम टैक्स है या कोई भी टैक्स दूसरा है, जिसकी वसूली होनी है, वे सब के सब पूरी तरह से वसूल किये जायें। सरकार का यह फर्ज है कि वह अपने विभागों द्वारा पूरे टैक्स वसूल करें क्योंकि सरकार को कोई दान तो दता नहीं है, उल्टा सरकार ही दान या अनुदान के रूप में लोगों को देती है। इसी पैसे के द्वारा सरकार जो भी कार्यक्रम बनाती है, उनको चलाती है। मेरा कहना यह है कि राजस्व की वसूली की तरफ पूरा ध्यान रखना भी चाहिए और सरकार रखती भी है। बिक्री कर एक मामूली सी बात है जिसको बढ़ाया गया है, उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जो गरीब है, किसान है या दूसरे हैं, उनके कृषि उत्पादन पर जो टैक्स लगाया गया है, उसका बोझ किसान पर न पड़े बल्कि उसका बोझ अन्तिम नियतिक पर पड़े हमारी सरकार इस बात का पूरा ध्यान रखती आ रही है और आ ता है भविष्य में भी ध्यान रखेगी। गरीब आदमियों का भला हो और उनका हित हो, उनका उत्पादन बढ़े, लेकिन उन पर टैक्स का

बोझ न बढ़े, इस बात को पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। इसी प्रकार से बिक्री टैक्स के बारे में भी और दूसरी टैक्सों के बारे में भी सरकार पूरा ध्यान रख सकेगी, यह मुझे आता है। कृषि तो हमारे प्रदेश का ही नहीं बल्कि सारे देश का एक साधन ऐसा है जिससे हमारे देश और प्रदेश के सारे धंधे चलते हैं। सारे कार्यक्रम इसी पर चलते हैं। कृषि उत्पादन के लिए हरियाणा में भूमि तो बहुत अच्छी है और जो पहले ठीक नहीं थी, उसको अब उपजाऊ बनाने के लिए और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रयत्न किया गया है। जिस भूमि का उपयोग हो सकता था, उसका सदुपयोग किया गया है। जिस भूमि में जिस प्रकार कृषि उत्पादन हो सकता है, उसी प्रकार का करने का प्रयत्न किया गया है पहले तो एक एक वर्ष में केवल एक एक फसल ही हुआ करती थी। कोई अगर ज्यादा से ज्यादा कर लेता था तो दो फसलें पैदा कर लेता था लेकिन अब तो एक साल में तीन तीन फसलें पैदा की जा रही हैं। जहाँ पर पहले सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं थे वहाँ पर अब सिंचाई की सुविधा प्रदान की जा रही है। पहले के मुकाबले में अनाज का उत्पादन बढ़ता जा रहा है और मैं यह चाहती हूँ कि हमारा इस दिशा में लगातार प्रयत्न चलता रहना चाहिए ताकि जितनी आबादी बढ़ रही है, कम से कम उसके लिए कुछ हद तक हम उत्पादन को बढ़ा तो सकें। हमारा हरियाणा प्रान्त दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में काफी सम्पन्न प्रान्त है। यहाँ पर कृषि और दूसरे धंधे सभी अच्छी प्रकार से चल रहे हैं। हमारी यहाँ कोई भूखा नहीं है लेकिन फिर भी गरीबी बिल्कुल नहीं रही हो, ऐसी बात भी

नहीं है। लोगों को हर तरफ से सुखी बनाने के लिए और उनको रोजगार मुहैया करवाने के लिए ताकि उनको खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा मिले, कृषि बहुत जरूरी है और उसके लिये हमारी सरकार ने चहुंमुखी प्रगति प्रदे 1 में करने की कोशिश की है। कृषि के विकास के लिए बीज अच्छे होने चाहिए। इसके लिए बीज निगम, हमारे इलाके में जैसे आलू की पैदावार लोग बहुत करते हैं, वहां पर आलू का बीज तैयार कैसे किया जाये, कैसे उसे बोया जाये, किस प्रकार से उसको उखाड़ा जाये और सिक प्राकर से उसको स्टोर करके रखा जाये, इन सब बातों के लिए बताती है। यह कारपोरेट इन आलू का बीज ही नहीं, प्याज का बीज और लहसुन का बीज भी उपलब्ध करवा देती हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि लोगों को यह मालूम होता है कि कौन सा बीज कब और किस समय बोना है जिससे उसकी पैदावार अच्छी होती है, प्याज अच्छा होता है लहसुन अच्छा होता है। चेयरमैन साहब, इसी तरह से गेहूँ, जीरी के बोने काटने और रखने का सही तरीका लोगों को बताया जाता है। ये चीजे तो इतनी कौमन है कि हर किसान इनके बारे में जानता है और यह भी जानता है कि इनकी पैदावार किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है। बढिया से बढिया फर्टीलाइजर और कीटनाशक दवाइयों की जानकारी लोगों को दी जा रही है ताकि वे अपना उत्पादन अधिक कर सकें और अपनी आय को बढ़ाकर अपने प्रदे 1 और दे 1 को समपन्न बना सकें। चेयरमैन साहब, प्राकृतिक आपदाओं की बात तो ऐसी है जैसे कहा जाता है कि हानि, लाभ जीवन, मरण, य 1

अपय । प्रभु के हाथ में हैं । मनुश्य के हाथ में कुछ भी नहीं हैं । लेकिन यह सरकार लोगों की पूरी तरह से मदद करती हैं और सहायता सराहनीय और प्र । संसनीय हैं । कई दफा राजस्व की माफी की जाती हैं । यह बहुत अच्छी बात हैं । इससे किसानों की हौसला अपजाई होती हैं । फसलों की बीमा योजना की भी बात की गई हैं । यह बहुत अच्छी बात हैं । इस योजना से किसानों को अच्छी मदद मिलेगी । अगर यह योजना चालू हो जाए तो किसानों की चिंता समाप्त हो जाएगी । हमारे दे । की जो अर्थ वयवस्था हैं वह भी बहुत अच्छी हैं । पिछली खरीफ की फसल भी अच्छी रही । और अब रबी की फसल भी अच्छी रहेगी । तिल्हनों ओर दालों का जो कार्यक्रम चल रहा हैं । हमारे प्रदे । के चीनी मिल अच्छे काम कर रहे हैं । चेयरमैन साहब, हमारे प्रदे । में सिचाई की योजनाए हैं वे काफी बडी हैं औरप उनसे लोग फायदा उठा रहे है । करनाल मे जो ट्यूबवैल हैं वे अच्छा काम कर रहे है लेकिन फिरप भी किसानों को बिजाई के समय कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ता हैं । सरकार को उसे दूर करना चाहिए । चेयरमैन साहब, हमारी सरकार किसाने की जमीन एक्वायर करती हैं । उन लोगों की जमीन काफी कीमती होती हैं । कभी कभी सरकार एक किसान की सारी जमीन एक्वायर कर लेती हैं । इससे किसानों को काफी परे ानी होती है । उनके पास रोटी को कोई सहारा नहीं रहता । मेरा सरकार से कहना हैं कि जिन लोगों की सारी जमीन एक्वायर कर ली जाए उनको नौकरी में प्रोत्सानह दिया जाना चाहिए । उनको इण्डस्ट्री लगाने में प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । उनको

बचाने की बहुत आवयकता है। चेयरमैन साहब, पंजुपालन के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। यह तो सभी जानते हैं कि हरियाणा में चाहे काफी तरक्की हुई है। फिर भी दूध की आवयकता पूरी करने के लिए अधिक प्रयत्न जरूरी है। मेरा कहना तो यही है कि पंजुपालन की दिशा में अच्छा काम हो रहा है। लोगों को कर्जे मिल रह हैं और उनकी हर तरह से सहायता की जा रही है। (घंटी) चेयरमैन साहब, मैं इन भावों के साथ डिमाण्ड का समर्थन करती हूँ।

चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवाल(मुढाल खुर्द): चेयरमैन साहब, मैं डिमाण्ड चार और पन्द्रह पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मुझसे पहले चार माननीय सदस्य बोल चुके हैं और उन्होंने कहा कि अपोजी उन के साथी तो केवल नुक्ता चीनी के लिए बोलते हैं। चेयरमैन साहब, इसमें नुक्ताचीनी की कोई बात नहीं है। चेयरमैन साहब, हम तो इनकी जय भी बोलने के लिए तैयार हैं अगर ये अच्छे काम करके दिखाए लेकिन ये तो कुछ काम करते ही नहीं। पिछले चुनाव में लोगों ने इनको रिजैक्ट कर दिया था। जिस स्टेट में पोलिटिकल सिस्टम खराब हो वहां पर आर्थिक डिवैलपमेंट या इकोनोमिक डिवैल्पमेंट नहीं हो सकती। पिछले मई के चुनाव में लोग ने अपोजी उन की सरकार बनाने के लिए राय दी थी।

श्री सभापति: आप डिमाण्ड पर बोले।

चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवाल: चेयरमैन साहब, * * * * *

*

उधोगमंत्री (श्री लछमन सिंह): चेयरमैन साहब, ये पहली दफा चुनकर आए हैं इसलि इनको अभी पता नही हैं कि कैसे बोलना हैं। * * * * * यह रिकार्ड पर नही आना चाहिए।

श्री सभापति: आप केवल डिमाण्ड पर ही बोले।

चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवाल: चेयरमैन साहब, मै कह रहा था कि जिस प्रदेश का पोलिटिकल सिस्टम या राजनैतिक व्यवस्था ठीन ने हो वहां इकौनोमिक डिवैल्पमेंट कैसे होगी? चेयरमैन साहब, गवर्नर ऐड्रस में किसानो को जो 170 करोड़ रूपए की फसल बरबाद हो गई थी उसका चौदह करोड़ रूपया किसानों को कम्पनसे ान देने की बात कही गई हैं लेकिन अफसोस के साथ कहना पडता हैं कि आज भी उस 14 करोड़ में से 64 लाख रूपया बकाया है क्योकि यह सरकार ब्यूरोकेसी बेस्ड हैं पिछले साल अप्रैल और मई में ओलो के कारण किसानो की फसल बरबाद हो गई लेकिन एक साल होने जा रहा हैं आज तक सब किसानों को मुआवजा नही दिया गया। बहन जी कह रही थी कि यह सरकार किसानों को मुआवजा नही दिया गया। बहन जी कह रही थी कि यह सरकार किसानों की हितैशी हैं। मै कहना चाहता हूं कि हितैशी हाती तो यह 64 लाख रूपया बकाया नही रहता। चेयरमैन साहब, जब हमारी सरकार थी ओर चौधरी देवी लाल चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त उन्होने चार सौ रूपया पर किल्ले के

हिसाब से कम्पन ेसन देने को प्रोवीजन किया था। उस वक्त फ़ैसला किया था कि अगर किसी किसान का ओले से नुक्सान होता है तो उसको चार सौ रूपया फी किल्ला के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। आज उन बातों को चार साल हो गए ओर सब चीजों के रेट बढ गए। एम्पलाईज की तनखाह बढ गई, खाद का रेट बढ गया लेकिन किसान के मुआवजे का रेट नही बढा। चौधरी बीरेन्द्र सिंह कहते हैं। कि हम तो चार सौ की जगह छः सौ रूपया देगें लेकिन ये सब कहने की ही बातें हैं। आज तक किसान के मुआवजे का एक पैसा भी नही बढा। यह सरकार कहती है कि हम प्रो-किसान हैं। चेयरमैन साहब, आज ही अखबारों में आया है और केन्द्रीय सरकार ने कहा है कि हरियाणा खेतीबाड़ी पर पूरा ध्यान नही दे रही है। खेती बाड़ी पर पूरा पैसा खर्च नही किया जा रहा है। चेयरमैन साहब, इस सरकार ने 33 करोड़ में से बीस करोड़ रूपया भी खर्च नही किया लेकिन फिर भी यह सरकार अपने आपको प्रो-किसान सरकार कहती है। अभी मेरे भाईयो ने कहा कि यह सरकार खाद पर और बीज पर किसान को सबसिडी देती है। चेयरमैन साहब, हालात तो यह है कि इस सरकार ने आत ही खाद के भाव बढा दिए। चेयरमैन साहब, इस सरकार ने नैपथा फर्टीलाइजर के दाम बढाए और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया में से से मंहगा खाद हिन्दूस्तान का किसान लगाता है लेकिन फिर भी यह सरकार कहती है कि यह प्रो-किसान सरकार है। चेयरमैन साहब, जहां तक इरीगेशन फ़ैसिलिटीज का सम्बन्ध है आज भी ऐसो इलाके हैं जहां पर एम.

आई.टी.सी. ने बताया कि हमने 50 ट्यूबवैल लगा दिए लेकिन उनमें से 12 ट्यूबवैल भी काम नहीं कर रहे हैं।

चेयरमैन साहब, बिजली के रेट पहले 1981 में बढ़े थे। जब झगड़े हुए तो चौधरी भजन लाल ने उनको ड्रॉप कर दिया उसके बाद पिछले सितम्बर में फिर बढ़ा दिये। पता नहीं यह सरकार वाले कैसे समझ गये कि किसानों की आमदनी बढ़ गई है या उनकी प्रोसपैरिटी बढ़ गई है। चेयरमैन साहब, आज हरियाणा की पर कैपिटा इंकम पहले से घटी है। आज से 4-5 साल पहले सारे देश में हरियाणा दूसरे नम्बर पर था लेकिन आज सातवें नम्बर पर है।

लोक स्वास्थ्य राज्य मंत्री (चौधरी लाल सिंह): चेयरमैन साहब, मैरा प्वायंट आफ आर्डर है * * * * * वह कार्यवाही से काट दिया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये हरियाणा को सातवें नम्बर पर लाने लग रहे हैं जबकि हरियाणा तो एक नम्बर पर है। (गोर)

चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवाल: अब मैं पंजाब पालन के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। इस महकमे के हमारे बहुत योग्य मिनिस्टर हैं लेकिन आज भी 8-10 हजार की आबादी तक के ऐसे गांव हैं जहां पर कोई पंजाब हस्पताल नहीं है। पंजाब भी किसानों के लिए उतना ही जरूरी है जितनी खेती की पैदावार। चार हजार से लेकर दस हजार तक की आबादी के आज भी काफी

गावं ऐसे हैं जिनमें ये पूरी सुविधाएँ नहीं दे पाएँ जहाँ तक मैडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की बात है आज भी दस-दस हतार की आबादी के गांव बगैर हस्पताल के है बल्कि कइयो में तो डिसपैसरी भी नहीं है। चौधरी भजन लाल जी भिवानी गये थे ओर इन्होंने खुद माना था कि कुछ गावों को सड़क मिलनी चाहिए लेकिन आज तक कहीं पर भी एक छटांक मिट्टी भी डली है। जहाँ तक ऐजुके ान की बात है आज भी 15-15 हतार की आबादी के गांव ऐसे हैं जिनमें प्राइमरी स्कूल भी नहीं है। फिर ये कहते हैं कि हम डिवैल्पमेंट के काम कर रहे हैं। यह तो आपने नैचुरल क्लाइमिटीज का कम्पनसै ान देने के बारे प्रोवीजन रखा है, वह बहुत कम है। मेरा सुझाव है कि गवर्नमेंट किसान को 400-400 रूपए एकडत्र की बजाए 600 रूपये एकड के हिसाब से कम्पनसै ान दे ताकि बढ़ते हुए भावों में किसानों का भी गुजारा हो सके। इसके इलावा जो माइनर इरीगं ान की फैसिलिटीज है वह भी किसानों को दी जाए। लोग फैसिलिटी को भी आसान बनाया जाए ताकि उनको जल्दी लोन मिल सके।

17.00 बजें

चौधरी धीर पाल सिंह (बादली): चेयरमैन साहब, मैं डिमाण्ड नम्बर 4, 15, 17 और 18 पर बोलूंगा। चेयरमैन साहब, मांग नम्बर 4 के जरिये हमारी सरकार की सूखे की राहत के लिए 11 करोड़ कुछ लाख रूपए अनुदान देने की स्कीम है। मैं आपके माध्यम से सरकार से बताना चाहता हूँ कि रोहतक जिले के साथ

राजनीतिक भावना से बर्ताव किया जा रहा है। उसे सिर्फ 20 लाख रूपये का अनुदान दिया गया। चेयरमैन साहब, आप भी किसान हैं। किसानों का आह भरने वाली सरकार ने जनवरी के आखिरी हफते में बीज का अनुदान दिया। वह अनुदान किसानों के काम आने वाला नहीं था क्योंकि किसानों के पास इतनी भाक्ति नहीं थी कि उसको प्रयोग में ला सकते। किसान बेचारा सोसाईटियों के माध्यम से बीज और खाद लेता है। वह अनुदान जनवरी में दिया गया जबकि रोहतक ओर महेन्द्रगढ में तो नवम्बर के आखिर में बिजाई होती है। इस अनुदान के लिए सात जिले आत थे। हर जिले की 175 लाख रूपए की रे गो बनती थी लेकिन रोहतक को सिर्फ 20 लाख रूपए दिये गये जोकि राजनैतिक भावना से दिये गए। जब चौधरी देवी लाल की सरकार थी तो उसने यह घोशणा की थी कि अगर किसी किसान की फसल जल जाती है तो उसको भी मुआवजा दिया जाएगा। एक गवाना गांव का करतार सिंह है उसकी 100 प्रति ात फसल जल गई लेकिन उसको आत तक पैसा नहीं मिला। इसी तरह से माजरी गांव का धर्म सिंह है उसकी फसल भी सारी की सारी नश्ट हो गई लेकिन उसको भी आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला। इसके बाद मैं कनफैड के बारे कुद कहना चाहता हूं। जितने भी कंज्यूमर स्टोर है वे सारे घाटे में चल रहे हैं। हर गांव में इन दुकानों के जरिये लोगों को राहत देने की जो चीज है वह हें चीनी। गेंहू, चावल, दाले और कपड़े का तो वहा नाम नि ान ही नहीं है। बादली मे 12-13 हतार की आबादी है और वहां पर 50 प्रति ात नान-ऐगीकल्चरिस्टस रहते

हैं। बड़े दूख के साथ कहना पड़ता है कि वहां महीने में तीन दिन चीनी बंटती है। नौकरीयो के बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि रोहतक सेंट्रल कोआप्रेटिव बैंक में जनवरी 1982 में नियुक्तियां की गईं। उनमें 50 प्रतिशत चौधरी भजन लाल के आदमी नियुक्त किये गए। मैं भी वही उस बैंक का डायरेक्टर था। इन्टरव्यू हुई और नियुक्ति का टाईम आया। उस समय वहां के एम.डी. को ट्रांसफर कर दिया गया और अपनी मर्जी का एम.डी. वहां पर लगा दिया जो बाहर से लोग थे उनको जानते थे। उनको लगाया गया। चैयरमैन साहब, इसके बाद आप खाद को ले लेजिए। किसान अपने खेतों में खाद इस आशा से डालते हैं कि उनकी फसल अच्छी हों। लेकिन उनको जो खाद मिलती है वह सारी मिलावट वाली मिलती है। उसको मुश्किल से एक कट्टा खाद को सोसाइटी से मिलता है लेकिन उसमें न तो नाइट्रोजन की भावित होती है और न ही दूसरी भावित होती है। सारी मिलावट वाली मिलती है। इसी तरह से कीटनाशक दवाइयों की बात है। उनमें भी मिट्टी और राख मिली हुई होती है। वे बेचारी कर्जा लेकर दवाईयां खरीदते हैं लेकिन वे उनके किसी काम नहीं आती। किसान लोग जो कीटनाशक दवाईयां खरीदते हैं वह दवाई कोई काम नहीं करती है। चैयरमैन साहब, केन्द्रीय सरकार ने 1980 में हरियाणा सरकार को 55 करोड़ रूपए कृषि पर खर्च करने के लिए दिए थे लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह सरकार उस पैसे को राहत देंगे और हर काम में किसानों को प्राथमिकता देंगे। इसके अलावा चैयरमैन साहब, आपने आज

अखबार में भी पढा होगा। आज के अखबारों में केन्द्रीय सरकार ने हरियाणा सरकार को बुरी तरह लताड़ा हैं और कहा हैं कि जनता सरकारप के टाईम में हरियाणा ने जितनी कृशि की पैदावार की थी उसके मुकाबले मे इस समय की सरकार पैदावार नही कर सकी हैं। इसके अलावा मै यह बात भी कहना चाहता हूं कि इस बजट में एस.वाई.एल. नहर की खुदाई के लिए पैसे का प्रावाधान नही किया गया है। यदि उस नहर की खुदाई के लिए पेसा नही दिया गया तो उसका काम अधूरा रह जाएगा। इसके अलावा मै एक बात अपने हल्के के बारे मे कहना चाहता हूं कि मेरे हल्के में एक जाहगीरपुर ड्रेन हैं। उसका पानी निकालने के लिए 1953 से वहां पर इंजन लगाए गए थे वे सारे इन्जन वैसे ही पड़े हैं। उनसे कोई काम नही लिया जा रहा हैं और वे सारे खराब हो गए हैं। चेयरमैन साहब, आप भी किसान हैं हम भी किसान हैं इसलिए हमको किसानो के दर्द का पता है। मै सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार उस ड्रेन की तरफ ध्यान दे। इन भाब्दो के साथ मै आपका धन्यावाद करता हूं औरप इन डिमाण्ड का विरोध करते हूये अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

मास्टर िव प्र ाद (अम्बाला भाहर): चेयरमैन साहब, मै डिमांड 4, 15, 17, 18, 21 और 22 के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। चेयरमैन साहब, मैं सबसे पहले कोआप्रे ान की डिमांड के बारे में कहना चाहूंगा। हमारे कोआप्रे ान मिनिस्टर साहब हाउस मे बैठे है। मै इनसे कहना

चाहता हूँ कि यदि आप इस डिमांड में यह और लिख देते कि हमारे राजनैतिक लोगों में चरित्रा की कमी है तथा उसको कैसे दूर किया जाए, तो आपको उसमें सारी अपोजी इन का साथ मिल जाता है। यदि यह बात इस डिमांड में लिख दी जाती तो इस बात का पता लगा सकता था कि कहा करण इन हैं और कहां बेइमानी है। चेयरमैन साहब, कहा जाता है कि अगर राजा ईमानदार होगा तो उसकी प्रजा बेइमानी नहीं हो सकती और राजा बेइमान होगा तो प्रजा ईमानदार नहीं रह सकती। आज के युग में ऐसे राजा हो गए हैं जो राजनैतिक भ्रष्टाचार और बेइमानी में विवास रखते हैं। (गोर एव विघ्न)

श्री सभापति: आप कृपया डिमांड पर बोलें। (गोर एव विघ्न)

मास्टर रिजर्व प्रजाद (अम्बाला भाहर): चेयरमैन साहब, कोऑपरेटिव सोसइटीज की तरफ से या कोऑपरेटिव इन डिपार्टमेंट की तरफ से जितनी भी दुकानें और कोऑपरेटिव स्टोर हरियाणा के अन्दर खोले गए हैं उनमें से एक भी दुकान या कोऑपरेटिव स्टोर मुनाफे में नहीं चल रहा है सारे घाटे में चल रहे हैं। एक प्राइवेट दुकानदार अपनी छोटी सी दुकान में अपने परिवार को और दुकान का खर्चा निकाल कर मुनाफा कमा लेता है। यदि प्राइमरी दुकानदार अपनी दुकान का और परिवार का खर्चा निकाल कर मुनाफा कमा लेता है तो गवर्नमेंट की तरफ से जितने कोऑपरेटिव स्टोर्स या मिनी बाजार खोले गए हैं वे मुनाफे में क्यों नहीं चल

रहे हैं इसका क्या कारण हैं? एक भी सरकारी दुकान ऐसी नहीं हैं जो मुनाफे में चल रही हो। इसी प्रकार से डेरी डिवैल्पमेंट कारपोरे इन के मिल्क प्लांट है वे भी घाटे में चल रहे हैं लगभग सारी कारपोरे इन घाटे में चल रही हैं। चेयरमैन साहब, आज मुख्यमंत्री जी ने भी यह बात मानी हैं कि हिसान कनकास्ट लिमिटेड पहले हर महीने लगभग 15-16 लाख रुपये घाटे में चल रही थी लेकिन अब वह 6-7 लाख रूपए घाटे में चल रही हैं। चेयरमैन साहब, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जितनी कारपोरे इन घाटे में चल रही है उनका क्या कारण हैं? घाटे का कारण कही यह तो नहीं कि इन कारपोरे इन में कही न कहीं भ्रष्टाचार हो रहा हो? चेयरमैन साहब, हमारे हरियाणा प्रान्त में जितनी भी कारपोरे इन हैं वे तमाम घाटे में चल रही हैं और घाटे में इसलिए चल रही हैं क्योंकि उनमें कही न कही भ्रष्टाचार पनप रहा है।

अम्बाला चेयरमैन साहब, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि चुनावों में पहले अम्बाला भाहर की मार्किट कमेटी के सैक्रेटरी की बदली कर दी गई थी जबकि उसको अम्बाला भाहर में आए हुए केवल 3-4 महीने ही हुए थे। उस सैक्रेटरी के खिलाफ न वहां के लोगों की तरफ से कोई शिकायत थी ओर न ही वहां के स्थानिय एम.एल.ए. की तरफ से कोई शिकायत थी फिर भी उसका अम्बाला भाहर से ट्रांसफर कर दिया गया। यदि किसी कर्मचारी को एक जगह पर तीन साल का अर्सा हो जाता है तो उसका ट्रांसफर

हो सकता हैं लेकिन उसको केवल तीन महीने के बाद ही वहा से बदल दिया गया। जब मैंने उसके ट्रांसफर के बारे में मार्किट कमेटी के चेयरमैन साहब, से बात की तो उसका ट्रांसफर रोक दिया गया। इस किस्म की बातें हो रही है। उस ट्रांसफर के पिछे कोई न कोई भ्रष्टाचार का उदे ाय भी हो सकता हैं। मैंने उस सैक्रेटरी के बारे मे चेयरमैन साहब, से कहा कि आप इसका ट्रांसफर क्यों कर रहे है? इसको तो अभी केवल 3-4 महीने ही हुए हैं, यह बहुत अच्छा आदमी हैं इसको यही पर रहने दिया जाए। उसके बाद उसका ट्रांसफर रोक दिया गया। चेयरमैन साहब, इस तरह से यदि किसी का ट्रांसफर करना हो तो इसका मतलब यह हुआ कि उसके ट्रांसफर की पीछे भ्रष्टाचार का कोई उदे य हो सकता हैं। (गोर एव विघ्न) जिस समय हमारी सरकार थी, उस समय हमने किसानों को खाद का एक कट्टा 70 रूपये में दिया था। आज की सरकार किस भाव पर दे रही है, यह आपको ही पता होगा। हमारी सरकार ने समुदायिक विकास के लिए काम किया था। जिस समय हमारी सरकार थी उस समय हमने जो कर्मचारी म्यूनिसिपल कमेटियो मे काम करते हैं उनके 50 रूपये प्रतिमास के हिसाब से बढ़ाए थे। इसी प्रकार से जो व्यक्ति सड़को पर काम करते हैं उनके वेतन बढ़ाए थें। हरिजनो के लिए बाकायदा चौपाले बनानी भुरू किया था। मै पूछना चाहता हूं कि आज की सरकार क्या कर रही है? जैसा मै पहले कह चुका हूं कि यदि यह सरकार भ्रष्टाचार को कम करने और क्रप्ान को खत्म करने और राजनैतिक हस्तक्षेप को कम करने के लिए काम करे तो

बात समझ में आ सकती हैं। मैं मुख्यमंत्री महोदय के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूँ कि अम्बाला भाहर में एक अस्पताल बन रहा है। उस में पानी की टूटिया लगनी है और ये टूटिया पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट द्वारा लगायी जानी है। इनका ठेका लाल सिंह के लड़के को तीन लाख रुपये का दिया गया है। (ेम— ेम की आवाजे) चौधरी भजन लाल जी तो सूझ-बूझ वाले हैं लेकिन ये भी अब काफी परेशानी महसूस कर रहे हैं। ये 36 एम.एल.एज. चुनकर आए थे। * * * * * (ोर) यह इनकी नोलेज में है। (ोर)

मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल): चेयरमैन साहब, इनहोंने * * * * * जो बात कही है वह रिकार्ड से ऐक्सपंज होनी चाहिए।

श्री सभापति: यह जो बात कही गई है उसे ऐक्सपंज कर दिया जाए।

मास्टर रिाव प्र ाद: चेयरमैन साहब, मैं कोई नाजायज बात नहीं कर रहा। हरियाणा के एक बड़े मिनिस्टर के लड़के के विरुद्ध 10 लाख रुपये का गबन पाया गया है। यह केस सैन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर किया गया है। भाग्यद मुख्य मंत्री जी, को इस केस का पता है। ये पता नहीं क्यों ऐकान नहीं ले रहे? इन की अब मुश्किल है। आज हरियाणा में भ्रष्टाचार प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है यदि ये सही ढंग से काम करे तो इनको आज हरियाणा के अन्दर किसी नए टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं थी। हरियाणा के डिवैल्पमेंट के कोई भी काम नहीं हो पा रहे

। * * * * इनका एक पैर चण्डीगढ रहता हैं और एक पैर दिल्ली में रहता है।

श्री सभापति: माता और भाई वाली बात एक्सपंज कर दिया जाये।

मास्टर िव प्र साद: चेयरमैन साहब, यदि चौधरी भजन लाल सही काम करें तो हरियाणा देा के नक्शे पर सबसे ऊपर हो सकता हैं। आज हरियाणा भ्रष्टाचार के मामले में और बदनामी की वजह से बहुत बदनाम हो चुका हैं। (गोर)

सहकारिता मंत्री (चौधरी बीरेन्द्र सिंह): चेयरमैन साहब, आज विभिन्न मांगों पर आनरेबल साथियों ने चर्चा की। को-आप्रेटिव महकमे के बारे में चौधरी साहब सिंह सैनी, प्रो. समप्त सिंह, श्रीमति करतार देवी, चौ. बलबीर सिंह, मास्टर िव प्रसाद और चौ. धीरपाल जी ने विभिन्न मुद्दों ओर कारगुतारियों के बारे में काफी चर्चा की हैं। मास्टर िव प्रसाद जी एक बात भूल गए। इन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री जी, ने यह माना हैं कि कानकास्ट कम्पनी घाटे में चल रही हैं। चेयरमैन साहब, कोई संस्था और गवर्नमेंट की क्या मांग हैं कि ऐसे संस्थानों के जरिये ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचे। बहन करतार देवी ने सही भावों में व्याख्या की हैं कि सामूहिक तौर पर जो काम करना होता हैं उसी को सही मायनों में कोआप्रेटिव कहा जा सकता हैं जिस समाजवाद की नींव प. जवाहर लाल नेहरू ने रखी

थी और अब श्रीमती इन्दिरा गांधी जिस पथ पर चल रही हैं उसका सही मायना यही है। कि पब्लिक सैक्टर में ज्यादा से ज्यादा उद्योग धन्धे चल रही हैं उसका सही मायना यही है कि पब्लिका सैक्टर में ज्यादा से ज्यादा उद्योग धन्धे लगाये जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। लेकिन जो भाषण इन्होंने अभी दिया है उसमें समाजवाद की कोई चीज नहीं है। यह चाहते है कि हमारी सरकार को और चौधरी भजन लाल जी का यह पक्का इरादा है कि चाहे वह टैनरीज है या कानकास्ट या दूसरी कार्पोरे इन यदि वे घाटे में भी हैं तो भी उन्हें जारी रखा जाये। आज की सरकार सारी पूंजी को एक पूंजीपति के हाथ में जाने नहीं दे रही। (गोर) भाई बलबीर सिंह जी दल-बदल की बात कह रहे थे मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जिस समय चुनाव लड़कर आये थे उस समय आप कौन से लोकदल के थे। अब आप बताइए कि आप कर्पूरी ठाकुर ग्रुप लोकदल के थे या चरण सिंह ग्रुप लोकदल के थे? यदि कोई दल-बदल है तो यही सबसे बड़े दल बदल के लोग हैं। चेयरमैन साहब, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि लोकदल दिल्ली के अन्दर बी.जे.पी. के साथ चुनावों के दौरान समझौता करता है। यानि पूंजीपतियों के साथ समझौता करता है। अब ये यहां पर किसानों के हमदर्द बन रहे हैं। (गोर)

Sh. Mangal Sein: Sir, I strongly refute the charge. BJP never belonged to capitalists. Instead they belong to capitalists. They dance at the tuen of capitalists.

Sh. Hira Nand Arya: They are teh agents of the capitalists.

श्रीमती चन्द्रावती: आन ए प्वायंअ आफ आर्डर सर। इनकी कांग्रेस पार्टी के असली मैम्बर तो सिर्फ तीन या चार ही हैं।(गोर)

राजस्व मंत्री (चौधरी फूल चन्द मुलाना): आन ए प्वायंअ आफ आर्डर सर। चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंअ आफ आर्डर एक भोयर की भाकल में हैं:—

वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता,

हम आहें भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम।

जब भी हम बोलना भारु करते हैं तो ये बीच में रूकावट डालते हैं। हमारी बात सुनते ही नहीं हैं, जब भी बोलते हैं तो सिर्फ हमारी पार्टी की ही बात करते हैं।(गोर)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): चेयरमैन साहब, मेहरबानी करके आप इनको बैठा दीजिए। जब हम बोलते हैं तो ये भाोर मचाने लग जाते हैं। आप इन्हे बैठने के लिए कह दे।(गोर)
(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

राव निहाल सिंह: स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। चौधरी भजन लाल जी की सरकार सर्वदलीय सरकार

हैं। इसमें लोकदल के मैम्बर भी शामिल हैं। हमारी पार्टी के भी शामिल हैं और स्वतंत्र पार्टी के मैम्बर भी शामिल हैं। (गोर)

चौधरी भजन लाल: राव साहब, आप बैठे बैठे दुखी हो गए। आप वहा से इधर ही आ जाएं तो ठीक हैं।

श्री मनफूल सिंह: स्पीकर साहब, आपके आने से पहले रैवेन्यू मिनिस्टर साहब ने एक भोयर की भाक्ल में प्वायंट आफ आर्डर किया था। उसी भाक्ल में मेरा भी प्वायंट आफ आर्डर है।

इमारत बनाने वाले इमारत बना बहरेतला ताल पर,

किनारों पर मत बना अक्सर डूब जाते हैं। (हंसी एव भाोर)

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि हमारे साथी श्री साहिब सिंह सैनी ने हरियाणा स्टेट लैंड डिवैल्पमेंट बैंक के बारे में चर्चा की कि पिछले साल इस बैंक के द्वारा 36 करोड़ रूपये से ज्यादा विभिन्न मदों के लिए कर्ज तकसीम किए गए। इसी तरह दूसरे लोगों को भी तकसीम किये गये और अब की बार सिर्फ 11 करोड़ रूपए ही बांट सके हैं। भायद मेरे लायक दोस्त को पूरी फिगरप का पता नहीं है। मैं उन्हे सकी फिगर बातना चाहता हूं। हमने पिछले साल 1981-82 में 36 करोड़ नहीं बल्कि 46 करोड़ रूपये किसानों को ट्रैक्टर के लिए, टयूबवैल के लिए, स्प्रिंकलर्ज-सैट लगाने के लिए और मिनी डैरी लगाने के लिए कर्ज दिये और इस साल 1982-83 में 11

करोड़ नहीं बल्कि 17 करोड़ के करीब बांट चुके हैं। इस बार अगले साल के लिए जो हमारा टार्गेट है वह भी हम जरूर पूरा करेंगे। इसके साथ ही साथ मैं सदस्यों को यह भी बताना चाहता हूँ कि भिवानी और महेन्द्रगढ़ जिलों में जहां स्प्रिंकलर्स सैट लगाकर किसान अपनी खेती पैदा करता है वहां हमने हिदायत दी है कि कोई भी किसान जो स्प्रिंकलर्स सैट लगाने के लिए कर्जा लेना चाहता है। उसको कर्जा दे दिया जाए और इस कर्ज का भूगतान जल्दी किया जाए। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने श्री धर्मवीर हुड्डा, जो मिनी बैंक मैनेजर थे, के बारे में चर्चा की कि वे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में शिक्षा ग्रहण करते रहे और उनहोंने कुछ गड़बड़ की। मैं अपने साथियों को बताना चाहता हूँ कि यह बात महकमे के नोटिस में पहली बार आई। कुछ लोग कुरुक्षेत्र में 13.09.1982 को और 15.09.1982 को मिले। जब हमें यह ज्ञात हुआ तो हमने उस कर्मचारी को सस्पेंड किया और इसके बाद उसने अपना रैजिगनैशन महकमे को दिया। इसके खिलाफ इन्कवायरी हुई। (व्यवधान)

चौधरी साहब सिंह सैनी: वह तो आपकी नौकरी छोड़ कर चला गया है भायद मंत्री महोदय को इस बात का पता नहीं है।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मेरे साथी श्री साहब सिंह सैनी और प्रोफ़ेसर सम्पत सिंह जी ने किसानों को सस्ते बीज और कर्ज देने की बात कही और यहां

तक कह दिया कि किसानों के ऊपर जो कर्जे हैं वे मुआफ करने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को एक बात बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ। जब नई विधान सभा का गठन हुआ और मुख्य मंत्री जी, ने स्टेट की बागडोर सम्भाली, उस समय किसान से भीर्ट टर्म्ज लोन पर साढे 12 परसैन्ट के हिसाब से ब्याज लिया जाता था लेकिन सारे हिन्दुस्तान के अन्दर हमारे मुख्य मंत्री जी, पहले मुख्य मंत्री है जिन्होंने भीर्ट टर्म्ज लोन के रूप में 140 करोड़ रूपये के लगभग किसानों में बांटा और साढे 12 परसैन्ट ब्याज की दर को घटाकर 11 परसैन्ट किया।(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, इन्होंने तो 14 परसैन्ट कर दिया था लेकिन यह जनता गवर्नमेंट ही थी जिसने 14 परसैन्ट से घटाकर साढे 12 परसैन्ट किया था।(व्यवधान)

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, साढे 12 परसैन्ट ब्याज को घटाकर 11 परसैन्ट उस वक्त किया था जब रिजर्व बैंक आफ इन्डिया और कमर्शियल बैंक ने ब्याज के रेट्स डेढ परसैन्ट बढ़ा दिये थे। इसका मतलब यह हुआ कि डेढ परसैन्ट की बैंक की बढ़ोतरी को रोका और डेढ परसैन्ट हमने ब्याज घटा दिया, यानी 3 परसैन्ट की छूट किसान को दी गई।(तालियां) इसके साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय मैं प्रोफेसर सम्पत सिंह को और बता देना चाहता हूँ कि इन्होंने लोकदल के लीडर चौधरी चरण सिंह की तरह चौधरी छोटू राम जी का नाम लिया और कहा कि किसानों के लिये कुछ किया जाए। लोकदल (सी) में तरह प्रोफेसर सम्पत सिंह

ने पूजीपतियों के साथ समझौता नहीं किया, लेकिन यह फैक्ट है कि उन्होंने दिल्ली के इलैक्ट्रान में पूजीपतियों के साथ समझौता किया और वोट के लिए घर घर जाते रहें। (व्यवधान)

श्री मंगल सैन: अगर इनको ब्रहाचारी का हवाई जहाज न मिलता * * * * * तो ये यहां न बैठते। (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रावती: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, ये पूंजीपतियों की बात कह रहे हैं। आज कांग्रेस से ज्यादा पूंजीपतियों की रखवाली करने वाली दूसरी कोई जमात हो नहीं सकती जिसके राज में लिविंग स्टैंडर्ड में 1 औरी 4000 रुपये का फर्क है। मंत्री जी को पार्टी की बात नहीं करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: इन्होंने जो गवर्नर साहब का नाम लिया है, इसको ऐक्सपंज कर दिया जाए।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, अगर मैं कोई बात कहूं और उसके तथ्य मेरे पास न हो तो भाग्य नहीं देता। प्रोफ़ैसर सम्पत सिंह और साहब सिंह ने कहा कि हरियाणा कोआप्रेटिव भूगर मिले आज घाटे में चल रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं सारे सदन को बताना चाहता हूं कि ऐग्रीकल्चर प्राईस कमी इन ने हरियाणा सरकार को हिदायत दी है कि गन्ने का भाव साढ़े 13 रुपये किंवटल दिया जाए। इस सिलसिले में हमारे ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में, सब प्राईवैट और कोआप्रेटिव भूगर मिलज के प्रतिनिधियों की मीटिंग

हुई और उस मिंटीग मे फैसला किया गया कि किसान को श्री भजन लाल की सरकार और श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार 20 रूपये क्विंटल से कम का भाव नहीं देगी। (तालियां)(श्रीमती चन्द्रावती की तरफ इ गारा करते हुए) बहनजी, यह सरकार आपकी सरकार ती तरह नहीं हैं, जिस जनता सरकार की आप प्रधान थी। उस वक्त आप कुद कहती थी, चौधरी देवी लाल कुछ कहता था और डा. मंगल सैन कुछ कहते थे।(व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, अगर इन्होंने पार्टी की ही बात कहनी हैं तो हम भी पार्टी की बात कर लेते हैं।(व्यवधान)

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपको सबमिट करना चाहता हूँ कि जब से कोआप्रेटिव भुगर मिलज हरियाणा मे लगे हैं तब से हरियाणा के किसान की आर्थिक अवस्था में सुधार हुआ है और इन भुगर मिलों को 22 करोड़ रूपया सेव किया जा सकता था। अध्यक्ष महोदय, आप अन्दाजा लगाए कि समाजवादी ढांचे के अन्दर हरियाणा सरकार ने जो नीति अपनाई है उसके मुताबिक सरकार ने किसान को 22 करोड़ रूपया फालतू दिया और स्वयं घाटा उठा लिया। अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी प्रो. सम्पत सिंह ने सिलैक्शन के बारे में, एक और साथी ने रोहतक के बैंक बारे में कहा कि इसमे बि नोइयो का लगाया जा रहा है। इन्होंने किसी खास जात बिरादरी की बात की थी। अध्यक्ष महोदय, आप जिस जिले से ताल्लुक रखते हैं, उस में सरकार ने पिछले दिनों भर्ती की है। आप बे तक रिकार्ड चैक कर सकते हैं हरिजनो का,

बैकवर्ड क्लासिज का और एक्स-सर्विस मैन का सारे का सारा कोटा पूरा किया है। यह बिल्कूल गलत बात है कि किसी खास बिरादरी को तरजीह दी गई है। सन 1975 से पहले मिनि बैंक सैक्रेटरीज का कौमन केडर नहीं था। हर सोसाइटी के इम्पलाइज अलग से होते थे, उस टाईम पर सोसाइटीज भी पांच छः हजार के करीब थी लेकिन अब दो हतार हैं। कौमन केडर बनने के पचास जाति किसी विशेष जाति के लोगों को भर्ती नहीं किया गया। किसी खास जाट, सैनी या अन्य को नहीं लगाया गया है। जिसकी जितनी रिजर्वेशन बनती है उसी के हिसाब से भर्ती की जाती है। हरिजनो को पूरा प्रतिनिधित्व दिया गया है।

श्री भागी राम: मंत्री महोदय ने बताया कि रिजर्वेशन का पूरा ख्याल रखा जाता है। मेरे क्वेश्चन का जवाब देते हुए मुख्य मंत्री जी, ने आवासन दिया था कि नवम्बर में जो इन्टरव्यू होगा उस समय हरिजन जाति के कैंडीडेट्स लिए जाएंगे लेकिन आपको यह जान कर हैरानी होगी कि उस समय बी.कौम. और फर्स्ट डिवीजन ग्रेजुएट्स लड़के आये लेकिन उन में से एक भी लड़का सिलेक्ट नहीं किया गया। जिन लड़कों ने इन्टरव्यू नहीं दिया था उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया।।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, इनके बारे में मैं भी बताऊँ कि यह हरिजनो के कितने हमदर्द हैं। इनकी ही मिसला देना चाहता हूँ। आज से चार दिन पहले मेरे पास आये और कहने लगे कि लैन्ड मार्गेज बैंक इन्टरव्यू हुआ है। उसमें मेरा भी एक

लडकां एल.बी.ओ. के लिए कैंडीडेट हैं उसे आप सिलैक्ट करवा देना। मैने कहा कि हरिजन लड़के का आप नाम दे देना लेकिन इन्होने कहा कि हरिजन का तो नहीं दूसरी जाति का हैं। आप इस बात से अन्दाजा लगाये कि ये कितने हरिजनो के हमदर्द है।

श्री भागी राम: मैने कभी यह नहीं कहा कि मेरे किसी लड़के को आप सिलैक्ट कर देना। दूसरी चौधरी बीरेन्द्र सिंह के हाथ मे भी क्या हैं जो इन्हे कहता कि सिलैक्ट कर देना। वह तो चीफ मिनिस्टर साहब करेंगे।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, यहा कान्फैड के बारे में भी चर्चा की गई। इन्होने कहा कि कान्फैड की रिटेल आउटलैटस पूरा सामान वहा नहीं पहुंचा पायी। स्पीकर साहब, कान्फैड का इतना बड़ा इनफ्रास्ट्रक्चर हैं कि गांव की आबादी दो हजार या दो हजार से ऊपर हैं, उस हर गांव में जरूरियाते जिन्दगी की चीजे मुहैया करी हैं। तीन साल से हम प्रयत्न कर रहे हैं कि हर गांव में आम जरूरत की चीज पहुंचे लेकिन इनकी बायबिलिटी में कुछ समय लगेंगे। पिछले साल 15 करोड़ रूपये की असैलिबिल कमोडिटीज दूर-दराज इलाको में पहुंचायी हैं। कानफैड मे एफीसिएन्सी लाने के लिए स्टाफ भी कम किया हैं लेकिन जब हम स्टाफ कम करने की बात करते हैं। हमने 450 ऐडहाम इम्पलाईज को सर्विस से निकाला हैं। पहले दस लाख का घाटा होता था लेकिन अब पिछले महीने से घाटा नीचे आ गया है। 6-7 लाख का घाटा आ गया है। इसलिए मै हाउस को यकीन

दिलाना चाहता हूँ कि कानफ़ैड की रिटेल आउटलैट्स पर जरूरियाते जिन्दगी की चीजे अधिक मात्रा मे मुहेया की जाएगी।

स्पीकर साहब, एक ओर बात हैं ओर भी ध्यान दिलया गयय कि डेरी डिवैल्पमेंट फ़ैडरे इन ठोस से काम नही कर रही। आप्रे इन फ़ल्ड-2 मे हरियाणा सरकार की डेरी डिवैल्पमेंट फ़ैडरे इन को 33 करोड रूपया मिलने जा रहा हैं। आज जहां हमारी दो लाख 20 हजार लीटरप मिल्क प्लांटस की कैपसिटी है वह अगले 6 सालों में 8 लाख लीटर कैपसिटी हो जाएगी। जब इतनी मात्रा में दूध मिलने लगेगा तो किसानो और गरीब लोगो की हालत मे भी सुधार हो जाएगा। हमारे हरियाणा प्रदे 1 मे सारे दे 1 का 1/8 हिस्सा दूध होता हैं लेकिन हमारी सामाजिक व्यवस्था ऐसी हैं कि जब तक हम अपने घर पर दूध का इस्तेमाल न कर ले दूसरे को बेचना पसन्द नही करते। डैरी डिवैल्पमेंट फ़ैडरे इन का विकास करने की हम पूरी कोशिश करेगें ताकि गरीब किसानों और गरीब आदमियों को अधिक से अधिक लाभ हो सके और उनकी आर्थिक अवस्था मे भी सूधार हो सके। इन भाब्दो के साथ मै सदन से दरखास्त करूंगा कि कोआप्रटिव की डिमान्डज को सर्वसम्मती से पास किया जाये।

कृशि मंत्री(चौधरी सुरेन्द्र सिंह): अध्यक्ष महोदय, खेती बाडी के महकमे के बारे में चौधरी सम्पत सिंह जी और चौधरी साहब सिंह सैनी ने विचार रखे। वे अपनी तकरीर के दोरान कुछ बाते सरकार के नोटिस मे लेकर आये हैं। उन्होने यह भी कहा हैं

कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मे कई किस्म के घपले हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कारपोरेट का भी चर्चा किया। चौधरी सम्पत सिंह जी ने आज अखबार का हवाला दिया। आज सुबह जब मैं दिल्ली से आ रहा था तो खुशकिस्मती से पानीपत में मैंने भी उस अखबार को खरीद लिया। मैंने भी उस अखबार को पढ़ा है क्योंकि मुझे भी बड़ी क्यूरोसिटी थी कि उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बारे में जो चर्चा किया गया उसे देखू। लेकिन बेहतर यह होता कि लिखने वाला हरियाणा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से फ़ैक्ट्स एण्ड फिगर्स ले कर और अपनी तसल्ली करे लिखता। लेकिन उसने बिना तसल्ली के ही आकड़ें दिये हैं। मैं मानता हूँ कि सन् 1978-79 में हरियाणा में 63 लाख टन से ज्यादा अनाज का उत्पादन हुआ है। अगर इस बात को क्रेडिट आपकी सरकार का यानपी जनता सरकार को है तो बड़ी अच्छी बात है। मैं इस बात को मानता हूँ कि आपकी सरकार ने अच्छा किया होगा लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि सन् 1978-79 की बिजाई सन् 1977 में हुई होगी। अगर आपने किसानों की भलाई के लिए अच्छा कदम उठाया होता तो चौधरी सम्पत सिंह जी सदन में इस बात की चर्चा न करते। मैं भाई सम्पत सिंह की इतलाह के लिए बताऊँ कि जिन जिन बातों में गड़बड़ हुई है वही घोटाले पे आ कर पाये हैं। वास्तव में इन तमाम बातों का सम्बन्ध चौधरी सम्पत सिंह जी से तो नहीं है लेकिन उन व्यक्तियों से जरूर है जो इस सदन में यहां या वहां बैठे रहे हैं। चौधरी सम्पत सिंह जी ने कहा कि हरियाणा में सन् 1978-79 के बाद रिकार्ड फसल नहीं हुई।

स्पीकर साहब, मैं सन् 1979-80, 1980-81 और 1981-82 की खरीफ की और रबी की फसल का भी चर्चा करूंगा क्योंकि 15 जुलाई और 15 अगस्त से न पहले और न बाद में बारिश हुई। हमें मानसून ने बड़ा धोखा दिया। ये कहते हैं कि गवर्नमेंट के टाइम पर रिकार्ड फसल हुई थी। सन् 1978-79 में 63.10 लाख टन पैदावार हुई लेकिन हमारे समय ड्राउट कन्डीशन में 64 लाख टन अनाज पैदा हुआ। (तालियां) अध्यक्ष महोदय, मैं यह तसलीक करता हूँ कि हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ लेकिन इन के टाइम से तो कभी भी कोई टारगेट पूरा ही नहीं हुआ। सन् 1978-79 में पानी की हालत अच्छी थी। पानी की हालत अच्छी होने के बारे में सरकार का कोई कन्ट्रीब्यूशन नहीं होता। अगर गोबिन्द सागर में पूरा पानी नहीं आएगा तो बिजली नहीं मिलेगी और नहरों में पूरा पानी नहीं आ सकेगा। जब बारिश न होने पर सरकार क्या करती हैं? भाई सम्पत सिंह जी ने अखबार का भी चर्चा किया लेकिन जिस भाई ने अखबार वाले को खबर दी, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता। वह सरकारी अफसर दिल्ली में है या यहाँ का कोई दूसरा आदमी है छठी पंचवर्षीय योजना में कृषि विभाग को 110 करोड़ रुपया अलौट हुआ लेकिन उन्होंने कहा है कि 55 करोड़ में से 22 करोड़ रुपया ही खर्च हुआ है। स्पीकर साहब, आपको पता है क्योंकि आप भी कृषि मंत्री रहते हैं। इस विभाग में पांच विंग और भी हैं जिनमें पैसा जाता है। मैं सदन की इतलाह के लिए बताऊँ कि हमने 55 और 60 करोड़ रुपया खर्च किया है।

स्पीकर साहब, वन विभाग के विषय में कहा गया कि वहां पर भी पैसा खर्च नहीं किया गया। मैं उनकी इतलाह के लिए बताऊँ कि हरियाणा में सन् 1980-81 में डेढ़ करोड़ सन् 1981-82 में 6 करोड़ सन् 1982-83 में 8 करोड़ पौधों की प्लान्टे गन हुई हैं और सन् 1983-84 में दस करोड़ पौधों लगाये जायेंगे। अपोजी गन के भाईयों को यह भी मालूम होना चाहिए कि फोरैस्टरी के लिए पैसा हम अपने दम पर ले कर आये हैं। वर्ल्ड बैंक वालों ने कहा है कि अगर किसी स्टेट ने वनों का काम देखना है तो हरियाणा प्रान्त में जाकर देखें।

श्री हरि चन्द हुडडा: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। अभी मेरे दोस्त मंत्री महोदया एक बात कह रहे थे। (व्यवधान व भाोर) मैं एक बात कह लूँ। दरअसल 1978 से पहले सारे हिन्दूस्तान में कृषि पर साढ़े सतारह परसेंट से ज्यादा खर्च ही नहीं हुआ। 1979 में साढ़े सैंतीस परसेंट विधान के मुताबिक खर्च किया गया है। यह जो करोड़ों रूपए का अनुमान लगा रहे हैं यह 1978 में केवल साढ़े सतारह परसेंट था और 1979 में उसके बाद साढ़े सैंतीस परसेंट आया था। यह जो कुछ कह रहे हैं यह गलत कह रहे हैं। (व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है। (व्यवधान व भाोर)

श्री हीरा नन्द आर्य: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, मंत्री महोदय यह बताए कि क्या 20 करोड़ रूपया जंगलात महकमे न भिवानी जिले में खर्च किया हैं? जो मुख्य मंत्री जी, के चहेते इस फारैस्ट डिवैल्पमेंट बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए हे। यह रूपया उनके हवाल कर दिया जाता हैं, क्या यह बात ठीक हैं?

चौधरी सुरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, सदन में एक बात कही गई। हरियाणा प्रान्त मे बैकवर्ड एरियाज हैं, महेन्द्रगढ जिला, भिवानी जिला, गुड़गाव जिला, हिसार जिला, सिरसा जिले का कुछ इलाका और रोहतक जिले का झज्जर और नाहड़ का इलाका। यहां पर इस बात की चर्चा की गई कि इन इलाको के लिए कृशि विभाग ने कोइ काम नही किया। मैं आपके जरिये से अध्यक्ष महोदय, सदन को यह बताना चाहता हूं कि पिछले सालो में जब चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी भी मैम्बर थे, चौधरी कंवल सिंह भी मैम्बर थे, उस वक्त की फिगर्ज निकाल लिजिए। (व्यवधान व भाोर) 33 लाख रूपये की सबसीडी कृशि विभाग ने स्पेंलर्ज के लिए दी थी और केवल साढे पांच सौ स्पिंकलर्ज की प्रोपोजल थी। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने यह महसूस किया कि वास्तव में बैकवर्ड एरियाज के लिए जां पर पानी लिफ्ट इरेगें इन स्कीम होने के बावजूद कई जगह नही पहुंच पाता, क्योंकि वहा पर ऊंचा लेवल हैं, इनके 33 लाख के मुकाबले मे 2 करोड़ 21 लाख रूपये की सबसीडी दी ओर 2800 स्पिंजलर्ज के लिए दी। मेरी इस बात

को तसलीम तो यह भी करते हैं ऊपर से चाहे जो कुछ भी कहते रहे। सबसीडी के बारे में अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बता दूँ कि कहा कहा पर मिलती है। फर्टीलाइजर पर और वगैरा पर देते हैं। 20 करोड़ रूपया फौरेस्ट्री के लिए कही नहीं दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं आपको फिगर दे तो आप देखेंगे कि आज तक इस सरकार ने किसानों के लिए जो कुछ किया है। वह मेरे विरोधी भाईयों की जब सरकार थी जब ये लोग सत्ता में थे। तो कभी नहीं किया गया था। साहब सिंह जी ने वीडियोसाइडज के बारे में एक कम्पलेंट की। 3-4 रोज पहले उन्होंने सदन में चर्चा की थी। इसका जिक्र आज भी उन्होंने किया है। उन्होंने यह कम्पलेंट चूकि पिछले फ्राईडे को ही दी थी, इस लिए हम उस बारे में अभी तहकीकात कर रहे हैं। मैं इनका यह बताना चाहता हूँ कि 92 लाख रूपया सबसीडी हमने वीडियोसाइडज पर दी है। मुझे एक बात की खुशी है। जब भी मेरे विरोधी दल के भाई मेरे पास दफतर में आते थे और इस बारे में मुझे बताते थे तो इनको अपने इलाके में पहुंचने के बाद इस बात की दोबारा जांच नहीं मिलती थी कि वीडियोसाइडज के बारे में कुछ गड़बड़ है। (व्यवधान व भाोर)

चौधरी कुलबीर सिंह मलिक: प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, यह सिडाइज के बारे में बता रहे हैं कि सब अच्छा है। मैं इनको यह बताना चाहता हूँ कि करनाल जिले में एक निसिंग गांव है, वहां पर एक आदमी सबसिसाइडज, वीडियोसाइडज

को पंजाब में बेचने की वहम हसे सस्पेंड किया गया हैं। यह कैसे कह रहे हैं कि इनके पास कोई कम्प्लैट ही नहीं आई?(व्यवधान व भाोर)

चौधरी सुरेन्द्र सिंह: सर, हमने यह 92 लाख की सबसिडी एक लाख 10 हजार हैक्टैयर्ज जमीन को का त के ऊपर दी है। पैडी पर 21 लाख 60 हजार रूपए की सबसीडी दी है और आप ही देखिए इनके जमाने की 56,314 हैक्टयर्ज के मुकाबले में हमने एक लाख 10 हजार हैक्टैयर्ज जमीन की का त के लिए सबसीडी दी हैं जोकि दुहाई देते हैं। एक बात मंसे और याद बात रही है। हमारे ये भाई किसान की बहुत दुहाई देते हैं। एक भाई गन्ने की वबात भी कर रहा था। मुझे तो अचम्भा होता हैं जब हमारे ये भाई गन्ने की कीमत की बात करते हैं। इसक राज मे गन्ने का क्या भाव था? उस समय 4 रूपए विंवटल था। अध्यक्ष महोदय, यह लोग किसान को 4 रूपए से ज्यादा भाव नहीं दिलवा सके।(व्यवधान व भाोर)

श्री कंवल सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, मै मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि हमारे इसी हाउस के एक माननीय सदस्य श्री टेक राम जी को 1976 में इसलिए गिरफ्तार किया गया था कि उनके घर मै गेहू पडी थी। वह गेहूं कान्फीरकेट कर ली गई थी। क्या यह बात सही हैं या गलत हैं? (व्यवधान व भाोर)

चौधरी सुरेन्द्र सिंह: मुझे पता नहीं कि इस बारे में सच्ची बात क्या है। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने 2 करोड़ 39 लाख रूपए की फर्टिलाइजर पर सबसिडी दी और विरोधी पक्ष का एक भी सम्मानित सदस्य यह कहने के लिए नहीं आया कि हमने किसी को फर्टिलाइजर पर सबसिडी नहीं दी। स्पीकर साहब, एक बात चौधरी सम्पत सिंह ने कही कि हिसान में चने के बीज का सैकण्डल हुआ। अध्यक्ष महोदय, यह बात बिल्कूल दुरस्त है। इस किस्म की फिआकायत हमें मिली। अध्यक्ष महोदय, असल में फिआकायत यह थी कि जैनुअन एग्रीकल्चरिस्ट को वास्तव में बीज नहीं मिला। चीफ मिनिस्टर साहब ने डिप्टी कमिशनर को इन्क्वायरी के लिए नियुक्त किया और इन्क्वायरी हुई। उसमें चोदह औफिसर्ज दोशी पाए गए। उन सबको सस्पेंड किया गया। जो डीलर्ज थे उनके लाईसैंस कैंसिल कर दिए गए। अध्यक्ष महोदय, यह हो सकता है कि चौधरी सम्पत सिंह के सिद्धांतों को सामने रखकर उनके खिलाफ ऐक्शन न हुआ हो। यह दूसरी बात है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं एग्री-इण्डस्ट्रीज कार्पोरेट्स के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। (व्यवधान व भाोर) जिस मैलाथीन का जिक्र चौधरी सम्पत सिंह ने किया उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि लेबोरेटरी से जो सैम्पल फेल हुए और सरकार के नाटिस में अब यह बात आई तो उनकी सेल बन्द करवा दी गई। उसके बाद दुबारा हमने गवर्नमेंट आफ इंडिया की जो लेबोरेटरी हैं उसके पास हो गए और एक फेल हो गया। जो फेल हुआ उस के मैटीरियल को बाहर नहीं निकाला। वह 1861 विंक्टल के लगभग

था। उसको हमने कम्पनी को वापिस कर दिया। जो टैस्ट में ठीक था उसको मार्किट में बेचा।

अध्यक्ष महोदय, डा. मंगल सैन ने स्वामी आदित्यवे । को चेयरमैन बनाया था।

श्री मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, अगर ये इतनी सच्चाई बोलेंगे तो फिर काम चल लिया। (व्यवधान व भाोर) आप मुख्य मंत्री जी, से डरते क्यों हैं।

चौधरी सुरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, डा. साहब जानते हैं कि मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं डरना तो जानता ही नहीं हूँ। मैं कह सकता हूँ। चौधरी भजन लाल और डा. मंगल सैन दोनों ने मिलकर बनाया। (व्यवधान व भाोर) अध्यक्ष महोदय, स्वामी जी की गतिविधियां जब हमारे नोटिस में आईं तो हमने चीफ मिनिस्टर के नोटिस में उनको लाया और चीफ मिनिस्टर ने उनका हटा दिया।

कुछ आवाजें: चीफ मिनिस्टर ने नहीं हटाया था बल्कि उनको तो जनता ने हटाया था।

श्री कवल सिंह: स्पीकर साहब, रिकार्ड की बात हैं। ये बैचारे हमारी बहुत मदद करना चाहते थे। ये पी.यू.सी. के मैम्बर थे। एक दफा हमारे साथ इन्होंने सिगनेचर भी कर दिये थे लेकिन चौधरी भजन लाल ने दवाब डाला और बैचारे डर गए। (व्यवधान व भाोर)

चौधरी सुरैन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस चीज पर जिस फाइंडिंग्स पर मैंने दस्तखत किये थे आज भी मेरा स्टैण्ड वही है। मैंने स्वामी जी को नोटिस दिया है कि आप से पैसे की रिक्वरी क्यों न की जाए और स्पीकर साहब, साहब, जो इनके चहेते थे उनको भी नोटिस दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, सच बात तो यह है कि हरियाणा सरकार के नोटिस में जब कभी भी कोई इररैगुलेरिटी आई तो सरकार ने कायदे कानून के साथ उसको डिल किया।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, सच बोलने पर मैं इनकी दाद देता हूँ। ये एक बात को क्लेरिफाठ कर दे कि स्वामी आदित्यवे 1 को ट्रेजरी बैन्चिज के बार बार कहने पर और हमारे कहने पर रिमूव किया या सरकार ने स्वयं रिमूव किया?

चौधरी सुरैन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी, के पास जब इस सदन की और दूसरी रिक्वायते पहुंची तो मुख्य मंत्री जी, ने उन्हें रिमूव किया। अध्यक्ष महोदय, चीफ मिनिस्टर साहब को एग्रे इण्डस्ट्रीज के बारे में जब तसल्ली हो गई कि काम के बारे में ओर दूसरी चीजों में इररैबुलिटीज हो रही है तो इन्होंने उन्हें हटा दिया। (व्यवधान व भाोर) अध्यक्ष महोदय, स्वामी जी के टी.ए.डी.ए. के बारे में तथा दूसरी किस्म की रिक्वायते जब सरकार के नोटिस में आई तो उनको हटा दिया गया। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, हवाई जहाज के बारे में एक बात आई। यह बड़े खेद की बात है कि एक सम्मानित सदस्य यह बात कहे कि सोहना

के पास ऐग्रो-इण्डस्ट्रीज का जो हवाई जहाज स्प्रे के लिए रखा जाता है वह स्मगलिंग के लिए रखा गया है। बात यह है कि उस हवाई जहाज के वायरलैस और रेडियों को लाईसैंस ऐक्सपायर हो गया है और जब तक इन दोनों के लाईसैंस रिन्यू न कराए जाए वह एयर क्राफ्ट टेक-ऑफ नहीं कर सकता। उनकी सर्टिफिकेट्स इन जरूरी होती हैं। ये दोनों दो दिन लेट हो गए और इसलिए हवाई जहाज टेक-ऑफ नहीं कर सका। इस लिए यह बात बैबनियान है। ट्रेक्टर की रिकॉर्ड हमारे पास है और इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं।

अन्त में मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन से यह प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारी जो मांगें हैं उनको पास किया जाए।

18.00 बजे

जन स्वास्थ्य राज्य मंत्री(चौधरी लाल सिंह): स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत सदन को और माननीय सदस्य मास्टर शिव प्रसाद जी जिनहोने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है बताना चाहता हूँ कि मेरे बेटे पर ठेकेदारी का जो इल्जाम लगाया गया है वह गलत है। जो ठेकेदारी मेरे बेटे के नाम है वह मैं लिखित रूप में इनके नाम करने को तैयार हूँ। मेरा बेटा तो अभी पढ़ रहा है। कानून के अनुसार जिसका टेण्डर कम होता है उसको ठेका मिल

जाता हैं। मै स्पीकर साहब, इनकी तरह नही जोकि चौक मे बैठकर गरीब लोगों को यू ही लूट रहा है।(हसी व भाोर)

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, अगर यह बात गलत हैं तो ये बात दे कि कहीं उनके बेटे के नाम कोई लाएस्ट टैण्डर तो नही खुला। कही उसके नाम से कोई टैण्डर तो नही आया हैं।

चौधरी लाल सिंह: स्पीकर साहब, मैने तो कहा है कि यह इल्जाम गलत हैं (भाोर व व्यवधान)

राजस्व मंत्री (चौधरी फुलचन्द): अध्यक्ष महोदय, मांगो पर चर्चा करते हुए कुछ माननीय सदस्यो ने अपने विचार यहां पर रखे और जो पैसा रैवेन्यू विभाग से सम्बन्धित हैं, उस पर भी कुछ बाते कही गई हैं। खासतौर पर प्रो. सम्पत सिंह जी ने बोलते हुए कहा कि किसानों को बसाने की बजाये उजाड़ा जा रहा हैं। मै उनका यह बताना याहता हूं कि सरकार की नीति किसानों को उजाडना नही हैं। मै उनको यह बताना चाहता हैं कि सरकार की नीति किसानों को उजाड़ना नही हैं। सरकार की नीति किसानों को बसाना हैं। सदन को यह बातना चाहता हूं कि 1961 मे पंजाब सरकार ने यह भूमि पैकेज डील मे ली थी और यह जमीन हरिजनो को रिस्ट्रिक्टड बोली मे दी जाती हैं। पहले सरकार की यह नीति थी कि जिन का कब्जा 1960 से होगा उनको भूमि सरकारी कीमत पर दी जाएगी किन्तु अब यह भूमि उन लोगों को भी सरकार कीमत पर दी जाती हैं जिनका कब्जा 1975 से हैं।

बाकी भूमि हरिजनो को बोली मे दी जाती हैं और इस तरह से हम 23 हजार हरिजन परिवारो को इस तरह की जमीन दे चुके है और उस पर बसा चुके हैं। अगर कोई इन प्लाटस की अलाटमेंट्स को फर्जी साबित कर दे तो हम उसकी पूरी चाज करवाने के लिए तैयार हैं। जिस भाई का ये नाम ले रहे है उकसे नाम कोई भूमि नहीं है।

स्पीकर साहब, श्रीमती करतार देवी जी ने बोलते हुए कहां कि बहुत सारी भूमि जो गरीब हरिजनो को अलौट कर दी गई हैं उसके पास से जाने न पाये। हमने पहले ही यह भात रखी हैं कि जो हरिजन रकबा खरीदेगा वह 10 साल तक आगे नहीं बेच सकेगा। अगर 10 सालो के बाद कोई उसे बेच भी देता हैं तो वह कानूनी तौर पर सही है। लेकिन खिलाफ हम कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकते। लेकिन अब सरकार इस पर विचार कर रही है कि अगर रकबा किसी हरिजन के नाम से कैंसिल किया गया हो तो वह किसी दूसरे और आदमी को बोली मे नहीं जाएगा। वह अगर किसी दूसरे को अलाट किया जाएगा तो केवल हरिजन को ही उसकी अलाटमेंट की जाएगी। इसके अलावा एक और आत मेरी बहन जी ने यह कही कि प्रधान मंत्री महोदया जी के 20 सूत्रीय प्रोग्राम के तहत जो प्लाट्स दिया जा रहे हैं उनका कब्जा लोगों को नहीं मिल रहा हैं और कुछ प्लाट्स की अलाटमेंट ही नहीं हुई। मैं यह बताना चाहूंगा कि पिछले सर्वे के अनुसार जिन 2 करोड़ 43 लाख 500 लोगों को प्लाट्स दिये जा चुके हैं। बहन

जी को मैं यह भी कहूंगा कि 20 सुत्रीय प्रोग्राम के तहत सरकार ने स्टेट लेवल पर रैवेन्यू टौन अप कमेटी बनाई हैं। हरिजनो तथा पिछड़ी जाति के लोगो को सर्वे हम करवा रहे है और जो ऐलिजीबल पाये गये, उनको पंचायत की भूमि से या दूसरी भूमि से प्लॉटस की अलाटमेंटस की जाएगी।(ताल्लियां)

स्पीकर साहब, धीरपाल जी ने मुआवजे की बात कही कि कई जगहों पर ओलावृष्टि के कारण जो लोगों की फसलो का नुकसान हुआ है। उसका मुआवजा लोगो का नहीं दिया गया है। हम यह कोर्िा कर रहे हैं और की भी है कि जिन लोगो का कहीं पर भी नुकसान हुआ है उस नुकसान के अनुसार सरकार की तरफ से जो भाडयूल तय हुए हैं उनके मुताबिक उनको मुआवजा दिया जाए। अगर कही पर इस तरह को मुआवता बकाया रह गया हो तो वह भी पैसे की कमी के कारण। तो वह मुआवजा इस साल पूरा बंटवाया जाएगा। स्पीकर साहब, कुदरत की जो मार पड़ती है उसका इलाज किसी के पास नहीं है। जब मौत मा कुल्हाड़ा पड़ता है या बिमारी पड़ती है तो हम कोर्िा करते हैं कि डाक्टर से उससे बचने के लिए दवाई ली जाए लेकिन कुदरत की मार की कोई अपील नहीं है लेकिन फिर भी सरकार ने यह सोचा कि जिन किसानों की तरफ से की जाए ताकि किसानों को कुछ राहत मिल सके और वे अपने आप को सरकार के हाथो मे सेफ समझ सके।(ताल्लियां)

श्री अध्यक्ष: मुलाना साहब, अब आप वाइंड अप किजिए।

चौधरी फुलचन्द: ठीक है सर, मैं वाइंड अप करने जा रहा हूँ। स्पीकर साहब, मुआवजे के बारे में यह भी कहा गया है कि 400 रुपये पर एकड़ के हिसाब से जो मुआवजा सकराकर की तरफ से दिया जा रहा है वह बहुत कम है। मैं उनका बताना चाहता हूँ कि इनके टाइम में 2 करोड़ रुपया मुआवजे का बांटा गया था लेकिन हमारे समय में 14 करोड़ रुपया बांटा गया है। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि इनके वक्त में किसानों की ज्यादा मदद की गई यह इस सरकार ने गरीब किसानों का पुरा ध्यान रखा है। स्पीकर साहब, यहां यह बात आई कि जो प्लॉट्स बांटे गये हैं उनका अभी तक कब्जा लोगों का नहीं मिला। एक तरफ तो ये लोग किसानों के हतें में बनते हैं और दूसरी तरफ कुझावला कांड भी करवाते हैं। (गौर एव व्यवधान) धीरपाल जी ने यह भी कहा है कि सूखे के समय पर लोगों को किसी प्रकार की राहत नहीं दी गयी। जहां तक स्टेट में सूखे का सम्बन्ध है, हमने उस वक्त केन्द्र सरकार को इस बारे में लिखा और केन्द्र सरकार से जो सहायता मिली वह विभिन्न वर्गों में बांट कर हमने लोगों का राहत दी थी। हमने किसानों का मालिया भी माफ किया है और गरीब किसानों की हर तरफ से मदद की है। इस दौरान कितने ही संकट आए, कभी गर्मी कभी सर्दी, कभी सूखा तो कभी औले पड़े लेकिन फिर भी हमने सभी मुसीबतों का डटकर मुकाबला किया और हमारी सरकार ने यह तय किया कि हर आफत में हम किसानों की मदद करेंगे और की भी। फण्डज के अनुसार पूरी पूरी मदद देने का प्रवाधान हमारी सरकार ने किया है। धीरपाल जी ने

एक बात यह कही कि करतार सिंह और धर्म सिंह की सारी फसले आग लगने से तबाह हो गयी थी लेकिन उनको मुआवजा देने के लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं। डिस्ट्रिक्ट ऐडमिनिस्ट्रेटोर के पास इसके लिए फण्डज होते हैं। सरकार के नियमों के मुताबिक मुआवजा दिया जाता है। इसलिए स्पीकर साहब, इन्होंने जो जो बातें हमारे नोटिस में लायी हैं उनकी इन्कवायरी करवा कर नियमों के अनुसार कार्य किया जाएगा।

स्पीकर साहब, मैं सम्पत सिंह जी को एक और बात का भी जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हरिजनो को जमीन नहीं दी जाती। मैं उनको बताना चाहता हूँ। कि जो सरप्लस इवैक्यूलैंड है वह हरिजनो में रिस्ट्रिक्टिड औक इन से बाटी जाती है और प्लॉट भी उन्हीं को की जाती है। जिनका कब्जा बनता है। सिवाए उस भूमि के जो एक एकड़ से कम होया जो रकबा कम हो गया हो या कोई भाहरी जायदाद हो। इन भाब्दा के साथ मैं निवेदन करूंगा कि ये मांगे बिल्कूल जायज हैं और इनको पास कर दिया जाए।

भाहरी तथा ग्राम योजना मंत्री(सरदार हरपाल सिंह):

स्पीकर साहब, अभी डिमांडज पर चर्चा हो रही थी। उसमें पंजाब पालन विभाग पर भी थोड़ी चर्चा आई मे आपके द्वारा सदनक को बताना चाहूंगा कि सरकार पंजाब पालन की तरफ पूरा ध्यान दे रही है। हम इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि पंजाब पालन के द्वारा ही हम अपने प्रदेश के किसानों की हालत अच्छी कर सकते

हैं। मैं कह सकता हूँ कि हमारे प्रदेश के पशु सारे देश में सब से अच्छे माने गये हैं। पिछले दिनों इलाहाबाद में आल इंडिया कैटल भाव हुआ था। उसमें सारे देश के सभी प्रदेशों के जानवर गये और भाव की इनामगुंनें उन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने की। सदन को यह जान कर खुशी होगी कि जो प्रथम एनीमल माना गया वह हरियाणा के लाईव स्टॉक फार्म हिसार को बफला बुल था। उसको सबसे ज्यादा इनाम मिला। सदन को यह भी सूचना कर खुशी होगी कि उस भाव में हरियाणा की 82 एन्ट्रीज थी और हमें 83 इनाम मिले। जो प्रदेश एक नम्बर पर आया वह भी हरियाणा प्रदेश ही है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, जब एन्ट्रीज 82 थी तो इनाम 83 कैसे मिले?

सरदार हरपाल सिंह: मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे एक एनीमल दूध में भी अच्छा हो और नस्ल में भी अच्छा हो तो उसके लिए दो इनाम हैं। ये इनाम एक पशु के दौहरे भी हो सकते हैं और उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। (विघ्न)

श्री निहाल सिंह: स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ये सारे जानवर हिसार में ही क्यों रहते हैं और कहीं क्यों नहीं रहते? (हंसी)

सरदार हरपाल सिंह: भैस रोहतक की अच्छी हैं। हिसार के तो बुल महार है। स्पीकर साहब, अभी एक आनरेबल मैम्बर ने

यह जिक्र किया कि किसी ऐरिया में बैटर्नरी हस्पताल या डिसपैसरीज कम हैं। मैं सदन को बाताना चाहता हूँ कि जो हम प जुओं के लिए हरियाणा में वेटरनरी एड दे रहे हैं वह 4450 प जुओं में पीछे एक इस्ट्रीब्यू इन यानी एक हस्पताल या एक डिसपैसरी खोलते हैं। इतनी वैटरनरी एड का सारे दे 1 में कोई भी स्टेट इंताजाम नहीं कर सकी। इसमें भी हम सब से आगे है इसके बाद जो अवेलेबिलिटी आफ मिलक है वह दे 1 में एवरेज एक व्यक्ति को 128 ग्राम मिलती हैं लेकिन हरियाणा में 484 ग्राम दूध मिलता है। इससे भी आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा में मिलक प्रोडैक्ट इन में भी दूसरी स्टेटो से आगे है। लाइव स्टॉक फार्म के बारे में पीछे एक रिक्वायत आई थी कि यहां पर दूध की डिस्ट्रीब्यू इन ठीक नहीं हैं। हमने वहां के इन्चार्ज को बदल कर दूसरे को लगाया। उसके बाद दोबारा रिक्वायत आई कि अभी भी मिलक डिस्ट्रीब्यू इन ठीक नहीं हो रही है। हमने बाकायदा केस रजिस्टर करवाया और इन्कवायरी विजीलैस के सुपुर्द कर दी। उसमें जो भी दोषी माया जाएगा चाहे कोई भी हो किसी के साथ कोई भी लिहाज नहीं की जाएगी। सरकार ने यह फैसला कर लिया है कि मिलक की डिस्ट्रीब्यू इन उस फार्म के एम्पलाईज की बजाए अअ हमने डेरी डिवैल्पमेंट कार्पोरे इन के हवाले करने का फैसला कर लिया ताकि मिलक डिस्ट्रीब्यू इन में इम्प्रूवमेंट हो ओर लोगो को ठीक ढग से दूध मिल सके। इन भाब्दो के साथ रिक्वैस्ट करूंगा कि यह मांग पास कर दी जाए।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग की डिमांड न. 15 के जरिये से हाऊस पसे 62,65,40,005 रूपये की मंजूरी मागी जा रही है। मै सदन के सदस्यो का बहुत आभारी हूं कि सिंचाई विभाग के बारे मे कोई नुक्ताचीनी उन्होने नही की। (विध्न) मै इससे यह मानता हें कि सिंचाई विभाग से सब पूरी तरह से सन्तुष्ट हें।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डरप हें। स्पीकर साहब, डिमाण्डज पर टाईम की कमी की वजह से ज्यादा चर्चा नही हो पाई। बजट पर बोलते हुए मैने स्पैसिफिकली कहा था जिसका जवाब फाइनेंस मिनिस्टर ने नही दिया। मै चाहूंगा कि उस बात का जवाब अब मंत्री जी दे। बजट मे केवल 82 करोड़ रूपया मेजरप औरप मीडियम स्कीमो के लिए एलोकेट किया है।। अकेली एस.बाई.एल. अगर स्पैसिफाइड टाईम मे कम्पलीट करनी हें तो उस पर 100 करोड़ रूपये से फालतू लगेगा। एस.वाई.एल. के लिए ये 20 करोड़ रूपया पहले दे चुके हें। इसके लिए हमे न बजट स्पीच मै और न बजट की किताबो मे कुछ मिला। उसके लिये क्या प्रबनघ हें यह मंत्री जी कृपया बताए?

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला: मैने इस बात का भी जवाब देना था। अध्यक्ष महोदय, हमारा सारा प्रान्त कृशि प्रधान प्रान्त हें। हमारे सिंचाई विभाग का काम सारे प्रदे 1 में सिंचाई उपलब्ध करवाना हें। हमारे प्रदे 1 मे सिंचाई के कुदरती साधन नही हें, बारि 1 का भी भारी अभाव हें। हमारी जो पाना की

डिमाण्ड है वह 33.5 एम.ए.एफ. हैं उसके मुकाबले में हमारे जो रिसोर्सिज हैं, चाहे वे जमना से हैं, भाखड़ा से हैं या अंडर ग्राउन्ड वाटर से है वे 14.30 एम.ए.एफ. हैं। यह जो गैप है इसका ब्रिज करने के लिए सिंचाई विभाग अपने रिसोर्सिज को बहुत किफायते से यूटिलाईज करने और साधनों को बढ़ाने का यत्न कर रहा है। 1983-84 के बजट में आपने देखा होगा कि 70 लाख रूपया हमने मल्टी परपज प्राजैक्ट के लिए खर्च करना है। जितनी भी दरमियानी और बड़ी योजनाएँ हैं उनके लिए सरकार ने 81 करोड़ 90 लाख रूपये का प्रावधान किया है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि एस.वाई.एल. नहर की खुदाई के लिए इस बजट में 30 करोड़ रूपये प्रावधान किया गया है। यह 30 करोड़ रूपया जो पहले 50 करोड़ रूपया रखे हुए है उससे अलग है। कोई माननीय सदस्य यह न समझे ककि यह 30 करोड़ रूपया उस 50 करोड़ रूपये में से 20 करोड़ रूपय खर्च होने को बाद बचता है। यह 30 करोड़ रूपय का अलग से प्रावधान किया गया है। स्पीकर साहब, हरियाणा सरकार एस.वाई.एल. नहर की खुदाई के लिए बहुत ही प्रयत्न गील है। भारत सरकार भी हरियाणा सरकार को मैचिंग ग्रांट के तौर पर एड दे रही है। स्पीकर साहब, हमें एस.वाई.एल. नहर के पानी का हिस्सा 1976 में मिला था लेकिन 1976 के फैसले को बहुत ढीला रखा गया और यह फैसला 1981 तक लटकता रहा। फिर 1982 के भुरु में वह फैसला हुआ। 1982 के बाद एक साल के अन्दर 100-200 करोड़ के प्रोजैक्ट को कोई भी सरकार और किसी भी पार्टी की सरकार पूरा नहीं कर सकती।

स्पीकर साहब, हमे पूरी उम्मीद है कि अब एस.वाई.एल. नहर का खुदाई का काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा और इस काम के लिए हमे जितना पैसा चाहिए उसमे कोई कमी नहीं आने देगे। इस नहर की खुदाई के लिए हम वर्ल्ड बैंक से एडवांस पैसा ले लेगे। पैसे की कमी की वजह से एस.वाई.एल. नहर की खुदाई का काम ढीला होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने पिछले साल के बजट में भी इस काम के लिए पैसे का प्रावधान न होने के बावजूद भी अपने साधनों से जितना पैसा पंजाब सरकार ने मांगा था वह पैसा उसको दे दिया था। स्पीकर साहब, इसके अलावा काफी बड़ी-बड़ी स्कीम्ज हैं। जौ लिफ्ट इरीगेन की स्कीम है, उसको मुकम्मल करने के लिए इस बजट मे 9 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कुछ स्कीम ऐसी हैं जो अडर एग्जामिने न हैं। उनको भी कम्पलीट करना है। इसी प्रकार से जो नहरो और रजवाहो को पक्का करने की स्कीम है उसके लिए हमने इस बजट में 21 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हथनी कुण्ड बैराज के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से फ्लउ कंट्रोल के लिए साढे 17 करोड़ रुपए का प्राधान किया गया है। स्पीकर साहब, हरियाणा प्रदे 1966 मे बना था। आप 1967 से 1979 तक के बजट निकाल कर देख लिजिए। उस दौरान केवल एक या दो रजवाहों की ऐक गटेन न हुई होगी लेकिन 1979-80 से लेकर 1982-83 तक ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने लगभग 90 राजवाहों की ऐक गटेन न की स्कीम इन हैंड ली हैं। उन 90 राजबाहों में से लगभग 20 रजबाहों की ऐक गटेन न कम्पलीट हो चुकी हैं

और 27 स्कीमों पर काम चल रहा है। बाकी 43 राजबाहों की स्कीम्ज इस साल और अगले साल के अन्त तक कम्पलीट हो जाने की उम्मीद है। इन सभी रजबाहों की स्कीमें कम्पलीट हो जाने के बाद सिंचाई सुविधाओं में काफी बढ़ोत्तरी होगी।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: यदि हाउस की सैंस हो तो हाउस का समय 10 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें: ठीक है जी। हाउस का टाईम 10 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: बैठक का समय 10 मिनट बढ़ाया जाता है।

वर्ष 1983-84 के बजट पर अनुदानों की मांगों पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री हरि चन्द हुड्डा: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मेरे हल्के में 15 ड्रेन्ज हैं उन में से 13 ड्रेन्ज की खुदाई का काम मैंने खुद ने करवाया था। मैंने अपने हल्के की दो ड्रेन्ज, नादल और किलाई, के बारे में सुरजेवाला साहब को लिख कर दिया है कि इन ड्रेन्ज को खुदवाया जाए। मैंने अपने हल्के में 15 ड्रेन्ज में से 13 ड्रेन्ज की खुदवाई का काम करवा दिया था लेकिन दो ड्रेन्ज बाकी रहती हैं। इसलिए मैं इन से दरखास्त

करूंगा कि इन दोनों ड्रेन्ज को खुदवाने के लिए सरकार की तरफ से तवज्जो दी जाए।

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने जिन ड्रेन्ज का नाम लिया है उनमें से एक ड्रेन का केसा हाई कोर्ट में पेडिंग है और उस ड्रेन का जमींदारों ने हाई कोर्ट से स्टे ले रखा है। दूसरी ड्रेन का केस सिविल कोर्ट में पेडिंग है। इन का जब भी फैसला हो जाएगा, ड्रेन को बनाएंगे। स्पीकर साहब, नए 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत हरियाणा सरकार ने छठी पंच वर्षीय योजना में सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए काफी प्रोत्साहन दिया है। स्पीकर साहब, प्लानिंग कमी ान ने हरियाणा सरकार से इस बात की सहमति प्रकट की है कि 15 लाख हैक्टेयर भूमि को बढ़ा करके 32 लाख हैक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधाओं को बढ़ा दिया जाए। इसी प्रकार से 1983-84 के साल में जिनती भी सिंचाई सुविधाएं बढ़ेगी उनसे एक लाख एकड़ नई भूमि को सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड बैंक ने हरियाणा की नहरों और रजबाहों को पक्का करने के लिए पहली फेज में 77 करोड़ रुपये दिए थे।

चौधरी औम प्रका 1: स्पीकर साहब, मंत्री जी नहरों और रजबाहों को पक्का करने के बारे में कह रहे हैं। मैं इन को एक सुझाव देना चाहूंगा कि नहरों की लाईनिंग करते समय जो मैटीरियल यूज किया जाता है वह सब-स्टैंडर्ड मैटीरियल यूज

किया जाता है। जे.एल.एन. नहर की जो लाईनिंग की गई हैं उसमें सब-स्टैंडर्ड मैटीरियल यूज किया गया है जिस के कारण उसा नहर में बहुत ज्यादा सीपेज हो रही हैं। इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जिस समय आप नहरों और रजबाहों की लाईनिंग का काम करवाए उस समय जे.एल.एन. नहर कि मिसाल अपने सामने रख करके लाईनिंग का काम करवाएं ताकि सीपेज न हों।

चौधरी भाम ार सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, मैं हाउस को बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड बैंक ने पहली फेज में जो 77 करोड़ रूपया नहरों और रजबाहों को पक्का करने के लिए दिया था उससे 25 हजार वर्ग फुट नहरों और रजबाहों को पक्का किया गया है। हाउस को इस बात की खुशी होगी कि हमारा वर्ल्ड बैंक के साथ 90 करोड़ रूपए काक सैकिण्ड फेज का ऐग्रीमेंट कम्पलीट हो चुका है। यह पैसा हरियाणा में अगले चार सालों में नहरों और रजबाहों को पक्का करने पर खर्च होगा। इन भाब्डों के साथ मैं हाउस से दरखास्त करूंगा कि इरिगेंशन विभाग की जो डिमांड हैं उस को मंजूरी दी जाए।

वर्ष 1983-84 के बजट पर अनुदानों की मांगों पर मतदान

Mr. Speaker: Now I will put the Various Demands to the vote for the house.

आवाजें: इन्हें इक्ठठा ही पुट कर दिया जाए।

Mr. Speaker: Question is -

That a sum not exceeding RS. 5,48,36,520 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of the charge under Demand No.4-Revenue.

Mr. Speaker: Question is -

That a sum not exceeding Rs. 40,33,88,750 for revenue expenditure and Rs. 3,24,56,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of the charges under Demand No. 17-Agriculture.

That a sum not exceeding Rs. 9,48,40,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of the charges under Demand No. 18-Agriculture Husbandry.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a sum not exceeding Rs. 13,21,33,100 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of the charges under Demand No. 21-Community Development.

That a sum not exceeding Rs. 4,73,03,000 for revenue expenditure and Rs. 12,09,74,300 for capital

expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of the charges under Demand No. 22-Cooperation.

The motion was carried.

श्री अध्यक्ष: अब सदन कल मंगलवार दिनांक 22.03.1983 प्रातः 9.30 बजे तक के लिए स्थागित किया जाता हैं।

18 : 28 बजे

(तत्प चात सदन मंगलवाल दिनांक 22.03.1983 को प्रातः 9.30 बजे तक लिए स्थागित हुआ)

ANNEXURE

Drinking Water Tanks

***278 Sh. Nar Singh:** Will the Minister of State for Public Health be pleased to state whether any water tanks for the supply of drinking water have been constructed in the State during the period from 1978-79 to date; if so, constituency-wise number thereof?

Chief Minister(Chaudhri Bhajan Lal): A statement showing the number of water works constructed in the State during the period from 1978-79 to July, 1983 is placed on the Table of the house.

STATEMENT

Sr. No.	District	Name of the Constituency	No. of Water Works constructed during 1978-79 to 7/83.
1	2	3	4
1.	Ambala	Kalka	33
		Naraingarh	29
		Sadhaura	3
		Chachhrauli	5

		Mullana	6
		Ambala City	1
		Naggal	7
		Total	84
2.	Bhiwani	Badara	7
		Dadri	4
		Mundhal	5
		Bhiwani	1
		Loharu	5
		Bawani Khera	9
		Total	31
3	Gurgaon/Faridabad	Ferozpur Zhirka	4
		Taoru	7
		Hathin	5
		Palwal	3
		Ballabgarh	4
		Mewla Mahrajpur	5

		Sohna	10
		Pataudi	9
		Gurgaon	7
		Hssanpur	2
		Faridabad	1
		Total	61
4.	Hissar	Bhattu Kalan	12
		Barwala	4
		Narnaud	7
		Hansi	6
		Hissar	2
		Ghirai	7
		Adampur	7
		Ratia	4
		Dabra Kalan (Part area in Hissar)	4
		Tohana	6
		Fatehabad	8

		Total	67
5.	Jind	Jind	2
		Narwana	7
		Uchana	5
		Jullana	5
		Rajound	2
		Safidon	9
		Kalayat	3
		Total	33
6.	Karnal	Nilokheri	2
		Jundla	3
		Gharaunda	3
		Asandh	2
		Samalkha	5
		Naultha	4
		Total	19
7.	Kurukshetra	Shahbad	2
		Thanesar	9
		Pehowa	3

		Pundri	4
		Pai	1
		Gulha	1
		Kaithal	1
		Total	21
8.	Mohindergarh	Rewari	5
		Narnaul	13
		Ateli	9
		Bawal	8
		Jattusana	3
		Mohindergarh	11
		Total	49
9.	Rohtak	Hassangarh	5
		Kiloi	3
		Meham	4
		Kalanaur	3
		Beri	5
		Salhawas	2
		Jhajjar	7

		Badli	9
		Bahadurgarh	11
		Total	49
10.	Sirsa	Ellanabad	4
		Rori	16
		Darba Kalan	6
		Dabwali	6
		Total	32
11.	Sonipat	Kaliana	2
		Rohat	5
		Baroda	2
		Rai	1
		Gohana	1
		Total	11
		Grand Total	457